कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः—एसडीओ/खाजू/आवंटन/2015/ दिनांक

—ःकार्यालय आदेशः—

प्रार्थी हड़मानराम पुत्र खींयाराम जाति खाती साकिन राजासर उर्फ करणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर का पृष्ठांकन तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के पत्रांक 147 दिनांक 23.03.2015 के अनुसार प्रार्थी खातेदारी सनद संख्या 124/49 दिनांक 24.12.2004 में चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 105/17 में किला नं0 17 ता 25 की 10.00 बीघा के स्थान पर मु0नं0 105/17 के किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता है।

संलग्न खातेदारी सनद की प्रति अनुसार प्रार्थी हड़मानराम पुत्र खींयाराम जाति खाती निवासी राजासर उर्फ करणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर को चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 85/44 के किला नं0 1 ता 24 की 24.00 बीघा अ.क. एवं किला नं0 25 1.00 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 105/17 के किला नं0 17 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि की खातेदारी सनद संख्या 124/49 दिनांक 24.12.2004 को जारी की गई है। हल्का पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम से चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 105/17 के किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम सेचक 3 बीवाईएम में खाता संख्या 91 पर मु0नं0 105/17 के किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः खातेदारी सनद संख्या 124/49 दिनांक 24.12.2004 में चक 3 बीवाईएम के मु0नं0 105/17 में किला नं0 17 ता 25 की 10.00 बीघा अ.क. भूमि के स्थान पर किला नं0 16 ता 25 की 10.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का संशोधन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। शेष खातेदारी सनद यथावत रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांकः—सम/2015/ दिनांक

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।
2. प्रार्थी हड़मानराम पुत्र खींयाराम जाति खाती साकिन राजासर उर्फ करणीसर तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः—एसडीओ/खाजू/रीडर/NAD/2018/ दिनांक

(अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी पुनमखाँ पुत्र ईसु खाँ जाति ढाढी सा0 चिताणा तह. नोखा हाल 35 केजेडी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे चक 1 एसएसएम का मु0नं0 108/50 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा क./अ.क. रकबा पु0आ0 हुआ जबकि अप्रार्थी श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू को चक 35 केजेडी बी का मु0नं0 108/4 का किला नं0 1 ता 15 केल 15.00 बीघा व मु0नं0 108/12 का किला नं0 1 ता 4, 10,11 की कुल 60.00 बीघा, कुल तादादी 21.00 बीघा रकबा पु0आ0 हुआ था। तहसीलदार द्वारा आदेश क्र. 740/ 07.07.1983 से आपसी सहमति (विनिमय) से प्रार्थी व अप्रार्थी के रकबों का विनिमय हुआ जिससे प्रार्थी के नाम का आवंटित रकबा अप्रार्थी के नाम रिकॉर्ड दर्ज हो गया किंतु प्रार्थी के नाम रिकॉर्ड में अप्रार्थी वाला पूर्व आवंटित रकबा नहीं आज दिनांक तक दर्ज नहीं हुआ। जिसे दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2069—2072 में चक 35 केजेडी बी का मु0नं0 108/4 का किला नं0 1 ता 15 की 15.00 बीघा व मु0नं0 108/12 का किला नं0 1 ता 4, 10 की 5.00 बीघा कुल 20.00 बीघा क./अ.क. रकबा श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. चिताणा तह. नोखा हाल 35 केजेडी का कब्जाकाश्त है। इसीप्रकार चक 1 एसएसएम का मु0नं0 108/50 का किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा क./अ.क. वर्तातान में फूलाराम, सावरमल वगैरह के नाम है जो जरिये बैयनामा नामा.सं. 18/ 19.03.1993 श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू से खरीदशुदा रकबा है। नामां. सं. 06 से उपनिवेशन समय में पुनम खाँ पुत्र ईसु खाँ जाति ढाढी सा. चिताणा तह. नोखा से श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू के नाम अंकन हुआ। इन तथ्यों की पुष्टि तराले की विक्रय पंजिका से भी होती है। भूमि कीमत पेटै समस्त राशियां जमा है।

मूल आवंटन पत्रावलीयों की सत्यापित प्रतिलिपियों एवं राजस्व अभिलेखां से प्रार्थना पत्र अनुसार तथ्यों की पुष्टि होती है। मौके अनुसार प्रार्थी विनिमय में प्राप्त रकबे पर ही काबिल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में चक 25 केजेडी बी का मु0नं0 108/4 का किला नं0 1 ता 15 की 15.00 बीघा व मु0नं0 108/12 का किला नं0 1 ता 4, 10 की 5.00 बीघा कुल 20.00 बीघा रकबे की जमाबंदी के खाता के अनुसार श्योकरण पुत्र आशाराम जाति जाट सा. ढाढर तह. व जिला चुरू पु.आ. की प्रविष्टि को विलोपित कर पुनम खाँ पुत्र ईसुखाँ जाति ढाढी सा. चिताणा तह. नोखा हाल 35 केजेडी के नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 77/2008

1. रामकुमार
2. रायसिंह } पिसरान तिलोकाराम कौम जाट निवासी 25 बीडी तहसील खाजूवाला
3. जगदीश जिला बीकानेर

..... वादीगण

बनाम

1. रहमत पत्नी अहमद अली जाति मुसलमान निवासी 25 बीडी, खाजूवाला।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री सीताराम खिचड़ प्रतिवादीगण संख्या 02 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट एवम् 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. एवम 136 एल.आर.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 25 बीडी के मु.न. 54/7 के कि.न. 2, 3, 8 ता, 17 ता 20 की 13.00 बीघा भूमि वादीगण ने दिनांक 03.12.1971 को जरिए बैयनामा खरीद की थी। जिसका इन्तकाल सं. 63 दिनांक 25.07.86 को दर्ज हो गया और बाद में इसी मुरब्बा का कि.न. 1 वादीगण ने स्मालपेच में आवंटन करवा लिया। इस प्रकार वादीगण ने कुल 14.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त शुरु कर दी एवं खरीद दिन से लेकर आज तक उक्त भूमि पर काबीज काश्त है तथा ढाणी व मकान बनाकर सपरिवार रहवास कर रहे हैं वादीगण ने जब उक्त खातेदारी भूमि खरीद की तब उक्त भूमि मे कही रास्ता दर्ज नहीं था इसके बाद सम्बत 2048 में प्रतिवादी सं. 3 ने खसरा गिरदावरी में रास्ता खेत दर्ज कर दिया। उक्त अंकन किस सक्षम अधिकारी के आदेश हुआ स्पष्ट नहीं है। मात्र पेन त्रुटि से उक्त रास्ता खेत दर्ज हुआ है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि खातेदारी भूमि में रास्ता बगैर खातेदार को सुने स्वीकृत नही किया जा सकता। चुंकि उक्त खेत मे दो तरफ रास्ता पहले से ही मौजूद हैं तो उक्त रास्ता की कहीं आवश्यकता नहीं है ना ही यह आम रास्ता है जिससे लोगो को फायदा पहूंचता हो। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी सं. 2 के साथ मिलकर राजनैतिक प्रभावो का इस्तेमाल कर पक्की सड़क को अपने मुरबा में से ले जाने पर आमादा है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 अपना मुरब्बा 34/64 मे पक्की सड़क ले जाना चाहता है [illegible] मुरब्बा नम्बर 54/07 कि.न. 21 से अपने कि.न. 5 मे प्रवेश कर जाये और स[illegible] कि.न. 21, 20, 11, 10, 1 से मुरब्बा नं. 54/6 में बीएसएफ चौकी मे प्रवेश करे जबकि उक्त सड़क की कहीं कोई आवश्यकता नही है क्योंकि इसी मुरब्बा 54/7 के कि.न. 5, 15, 16, 25 में 3–3 बिस्वा रास्ता बीएसएफ मौके पर स्वीकृत है तथा उक्त सड़क प्रस्तावित है तथा बीएसएफ चौकी मु. न. 57/6 मे है जिसका मैन गेट सड़क पर मु.न. 54/7 के कि.न. 5 पर खुलता है। उससे आगे रास्ता की आवश्यकता ही नहीं है, इधर कि.न. 20 में वादीगण की 30 वर्ष पुरानी ढाणी बनी हुई है तथा इतने ही पुराने नीम व शीशम के पेड़ खड़े है तथा इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

के चिपते मु.न. 34/63 की 10.00 बीघा भूमि वादीगण की है। यदि रास्ता मु.न. 54/7 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 से निकलता है तो वादीगण की पुरानी ढाणी व पेड़ो को नष्ट करना होगा तथा वादीगण की जमीन दो फाड़ हो जायेगी। जिस पर तारबन्दी करना मुश्किल होगा और आवारा पशु खेत को नष्ट कर देंगे। अतः वादीगण के कब्जा काश्त शुदा खातेदारी भूमि चक 25 बीडी के मु.न. 54/7 क कि.न. 1, 10, 11, 20 में प्रत्ये कमे 2–2 बिस्वा जो रास्ता खेत दर्ज है को हटाकर विधिवत वादीगण के नाम खातेदार दर्ज किये जायें।

प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम खिचड़ ने लिखित जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 02 राज्य सरकार की कार्यकारी एजेन्सी के रुप में कार्य करता है जो कि जिला परिषद अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा स्वीकृत बजट राशि से राज्यहित के सार्वजनिक निर्माण कार्य करता हैं। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्माण करवायी जा रही खड़वंजा सड़क चक 20 बीडी से कोडेवाला तक अधुरी निर्माण की स्वीकृति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा. वि.प्र) बीकानेर द्वारा पत्र क्रमांक प–10(1) मुख्य/बीएडीपी/2008–09/57–64 दिनांक 06.04.2008 द्वारा स्वीकृत क्षेत्र विकास योजना में जारी की गई है। प्रतिवादी संख्या ने वादगत सड़क का निर्माण राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ता एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार चालु एवं स्वीकृत रास्ता के आधार पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। वादगत चालु रास्ता राष्ट्रीय सीमा की ओर जाता है इसलिए यह सड़क निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

पैरोकारराज ने अपने लिखित जवाब में कथन किया है कि चक 25 बीडी ए के मु.न. 54/7 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा कुल 0.10 बीघा गैरमुमकिन रास्ता कटानशुदा दर्ज है। मौके पर उक्त रास्ते के रकबे पर रामसिंह पुत्र तिलोकराम तथा जगदीश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट के द्वारा काश्त किया जा रहा है तथा रास्ता पुर्णत बन्द है। अतः मु.न. 54/7 के कि.न. 1, 10, 11, 20 का शेष रकबा रामसिंह पुत्र तिलोकाराम तथा जगदीश पुत्र तिलोकाराम जाति जाट निवासी 25 बीडी के नाम दर्ज तथा इन्हीं का कब्जा है। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला के पत्रांक 4154 दिनांक 30. 11.2015 के अनुसार मौके पर उक्त रास्ता बन्द है।

प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित नहीं आने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 25 बीडी ए के मु.न. 54/7 के कि. न. 5, 6, 15, 16, 25 में 3–3 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता कटानशुदा दर्ज रिकार्ड है जो मौके पर चालु है। इसी मुरब्बा का कि.न. 1, 10, 11, 20 में 2–2 बिस्वा रास्ता भी कटानशुदा है जो कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ते के रकबे पर रायसिंह व जगदीश के द्वारा काश्त की जा र[illegible] रास्ता पूर्णत बन्द हैं।

अतः चक 25 बीडी ए के मु.न. 54/[illegible] कि[illegible] 1, 10, 11, 20 में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता निरस्त किया जाता है। तहसी[illegible] राजस्व उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज रिकार्ड करे।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे[illegible]लास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश सहारण),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 109/2012

पवन कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 16 बीडी तहसील खाजूवाला

..... वादी

बनाम

1. बद्रीप्रसाद
2. राजेन्द्र कुमार } पिसरान सरदाराराम जाति कुम्हार निवासीगण 16 बीडी तहसील
3. ब्रहमा देवी खाजूवाला
4. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री सुमेरमल स्वामी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 2017

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील खाजूवाला के चक 16 बीडी का मु.न. 115/45 की 24.10 बीघा भूमि में से वादी के नाम बहिस्सा 5/18 दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 2 के नाम बहिस्सा 5/9 व प्रतिवादी नं. 3 के नाम बहिस्सा 1/6 सहकाश्तकार के रुप में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि सह खातेदार के रुप में अंकन है। उक्त खातेदारी भूमि वादी ने वादगत भूमि के पूर्व सहखातेदार शीलादेवी पुत्री सरदाराराम से जरिये बैयनामा खरीद की थी। वरवक्त बैयनामा शीलादेवी ने मु.न. 115/45 के कि.न 1 ता 4, 8 ता 10 की भूमि में बतौर पारिवारिक बंटवारा के सफल काश्त कर रखी थी तथा बैयनामा के समय भी शीला देवी ने कि.न. 1 ता 4, 8 ता 10 की भूमि का कब्जा वादी को सौंपा था जिसकी लिखापढी भी कि थी तथा वादी ने उक्त हिस्से की भूमि पर काबिज हो काश्त करने लगा जिससे सभी प्रतिवादीगण सहमत थे एवम मुताबिक घरेलू बंटवारा के वादी ने भूमि पर कड़ी मेहनत व काफी खर्च कर भूमि को [illegible] व समतल बनाया। रकबा संयुक्त खाता में होने के कारण वादी को सिंचाई [illegible] बारी, लगान, आबियाना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि हेतू भारी परेशानी होती है तथा [illegible] की कृषि योजनाओं का लाभ वादी नहीं उठा पाता है। उक्त परेशानी दूर करने हेतु वादी ने पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार बंटवारा कर अलग—2 करने बाबत बार बार प्रतिवादी नं. 1 ता 3 से कहा परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। अतः वादी की भूमि वाके चक 16 बीडी के मु.न. 115/45 की कुल 24.10 बीघा भूमि में से वादी के कि.न. 1 ता 4, 8 ता 10 की कुल 6.03 बीघा भूमि तथा शेष भूमि प्रतिवादी नं. 1 ता 3 जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का घरेलू व पंचायती बंटवारा अनुसार लम्बे समय से कब्जा काश्त है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

का खाता विभाजन कर अलग से वादी के किलो का अंकन राजस्व रिकार्ड में करें तथा अलग–2 लगान वसूल करने की डिक्री फरमावें।

प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुमेरमल स्वामी अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र धारा 10 वा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के सलंग्न जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर का मु.न. 218/12 व 126/12 की प्रति प्रस्तुत की।

वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10 वा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि वादी ने मु.न. 115/45 के सह हिस्सेदार खातेदार श्रीमति शीलादेवी से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 01.08.2012 को प्रतिफल अदा कर खरीद किया था तथा कब्जा उक्त दिनांक को ही प्राप्त किया था उक्त बैयनामा व कब्जा हस्तान्तरण के अनुसार पवन कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज कर स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरण के बाद वादी (प्रतिवादी) ने एक कूटरचित इकरारनामा शीलादेवी के नाम का बीकानेर में तैयार किया जिसका मुकदमा शीलादेवी ने एफ.आई.आर. नम्बर 330/12 सदर थाना बीकानेर में दर्ज करवाया जिसका अनुसंधान कर एफ.एस.एल. रिर्पोट का इंतजार है। उक्त कूटरचित इकरारनामा के विर्निर्दिष्ट पालन का वाद वादी (प्रतिवादी) ने पेश किया है जिसका वादी (वादी) के खाता विभाजन के बाद से कोई लेना देना नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित मुकदमा नं. 218/12 तथा वादी के वाद का कॉज ऑफ एक्स अलग–2 है तथा दोनो वाद अलग–अलग विषय हेतु है। वादी (वादी) रिकोर्डेड खातेदार है जो सहखातेदार से अपना खाता विभाजन कि डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है जिसे प्रतिवादी के कूटरचित इकरारनामा के विनिर्दिष्ट पालना के बाद कि आड़ में न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातो पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि से वादी के मध्य बंटवारा किया जाता है कि वादी का हिस्सा चक 16 बीडी के मु. न. 115/45 कि.न. 1 ता 4, 8 ता 10 कुल 6.03 बीघा भूमि। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा की रिपोर्ट एक माह में पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 103/2013

1. रामगोपाल पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन चक 15 बीडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन चक 15 बीडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री विनोद भोभरिया अधिवक्ता अवादी संख्या 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) एवं सुखाधिकार अधिनियम

26.04.2017

यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) एवं सुखाधिकार अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी की चक 15 बीडी बी के मु.न. 114/22 के कि.न. 5 में 10 बिस्वा, 6 सालम, 7 में 10 बिस्वा, 13 में 10 बिस्वा, 14 सालम, 15 में 19 बिस्वा, 16 में 4 बिस्वा, 17 में 17 बिस्वा, 18 सालम, 19 में 13 बिस्वा, 20 में 12 बिस्वा, 21 सालम, 22 सालम, 23 में 15 बि[illegible] में 2 बिस्वा कुल तादादी 10.12 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदार शुदा है जिस प[illegible]दी [illegible]द से लेकर आज तक काबिज कास्त है। मौके पर ढाणी एव [illegible]कान बनाकर म[illegible]न रहवास कर रहा है। चक 15 बीडी के मु.न. 114/21 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा रास्ता खेत पक्की सड़क से कटाण शुदा रास्ता है तथा वादी उक्त [illegible]ता से होकर मु.न. 114/22 के कि.न. 1, 10, 11, 20 से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता लगभग 20–22 वर्षों से चल रहा है इसके अलावा अन्य आने जाने का कोई रास्ता वादी के पास नहीं है मौके पर उक्त रास्ता लगभग 1–1 बिस्वा भूमि पर कायम है तथा चालू है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिसका उपयोग उपभोग वादी लम्बे अरसे से करता आ रहा है। मु.न. 114/22 के कि. न. 1, 10, 11, 20 की 8 बिस्वा अवादी सं. 1 के नाम दर्ज है। जो अक्सर राजनीतिवश रास्ते को लेकर झगड़ा फसाद करता है। जिससे वहां तनाव की स्थिति बनी रहती है क्योंकि रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। इस कारण वादी के सुखाधिकारों का हनन होता है और अवादी पिछले पांच–सात रोज से रास्ता बंद करने की धमकी दे रहा है। यदि वो रास्ता बंद कर देगा तो वादी को अपनी भूमि एवं ढाणी में आने–जाने एवं कृषि यंत्र व वाहन ले जाने में बड़ी समस्या होगी व उसके हितों पर कुठाराघात होगा जबकि उक्त भूमि के काश्तकार एवं वादी लगभग 20–22 सालों से इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे है और यही एकमात्र खेत में जाने का रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः चक 15 बीडी के मु.न. 114/22 के कि.न. 1, 10, 11, 20 में उतर से दक्षिण 1–1 बिस्वा में रास्ता स्वीकार कर गैर मुमकिन रास्ता खेत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2015

1. बंशीलाल पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी 3 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 9 डीडब्ल्यूडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

1. राजवीरसिंह पुत्र गमदूरसिंह जाति जटसिख निवासी भगवानगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

.......05.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी के नाम के कृषि भूमि वाके चक नं. 9 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 69/50 के कि.न. 1 ता 15 की 15.00 बीघा व मु.न. 69/43 के [illegible] ता 4 व 7 ता 12 की 10.00 बीघा इस प्रकार दोनों मुरब्बा में कुल तादादी 25.00 बीघा कृषि भूमि है। अवादी सं. 1 के नाम से चक 9 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 69/43 के कि.न. 5, 6, 13 ता 19 की 9.00 बीघा व मु.न. 69/51 के कि.न. 6, 8 की 2.00 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 11.00 बीघा

कृषि भूमि है। वादी ने अपने रकबा मु.न. 69/43 की 10.00 बीघा कृषि भूमि में ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व काश्त कार्य करने के लिए अवादी सं. 1 के कि.न. 5 में पूर्व से पश्चिम (उतर दिशा की तरफ) 2 बिस्वा भूमि में रास्ता है तथा उक्त रास्ता पिछले 20 वर्षों से निर्बाध रुप से चला आ रहा है तथा जिसे वादी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा है जो कटानशुदा रास्ता से मेरी ढाणी तक जाता है। अब कुछ दिन पहले अवादी सं. 1 से वादी की अनबन हो गई तो अवादी सं. 1 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ते में खाई खोद दी व बाड़ लगा दी। जिसको मैंने मुश्किल से हटाया। जब भी अवादी सं. 1 के मन में आती है तो मेरा रास्ता बन्द कर देता है। उक्त रास्ता रिकार्ड में राजवीरसिंह के नाम दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करता है व मनमर्जी से रास्ता बाधिक कर देता है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करना आवश्यक है तथा वादी डी.एल.सी. की दर से राजवीरसिंह को उक्त रास्ते की कीमत अदा करने को तैयार है, अगर न्यायालय कोर्ट में जमा करवाने के आदेश करता है तो वादी कोर्ट में जमा करवाने को तैयार है तथा वादी डी.एल.सी. रेट से मुताबिक अवादी सं. 1 को भूगतान करने को तैयार है। विकल्प रुप में वादी अपनी कृषि भूमि के कि.न. 7 में 2 बिस्वा भूमि अवादी सं. 1 को देने को तैयार है। अतः अवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 9 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 69/43 में कि.न. 5 में 2 बिस्वा पूर्व से पश्चिम (उतर दिशा में) भूमि जिसका आसा–पासा नजरिया नक्शा में दिखाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अंकन करने के आदेश अवादी सं. 2 को दिये जावे।

अवादी संख्या 01 राजवीरसिंह ने दिनांक 31.05.2016 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि उनकी सहमति नहीं है। मैं सोचकर बताउंगा। उक्त दिनांक 31.05.2016 के बाद अवादी राजवीरसिंह के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बंशीलाल को मु.न. 69/43 में आने–जाने के लिए कटानशुदा रास्ता नहीं है। वादी बंशीलाल को उक्त भूमि में आने–जाने के लिए इसी मु.न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है। अवादी दिनांक 31.05.2016 को उपस्थित आने के बाद आदिनांक तक असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं हुआ है। जिससे जाहिर होता है कि वादी को उक्त प्रकरण का ध्यान होते हुए भी उपस्थित नहीं आया है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 से इस न्यायालय में विचाराधिन है तथा वादी पक्ष इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण चाहता है क्योंकि उसे अवादी अपने धारण की मु.न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। हमने नक्शा चक प्लान का अवलोकन किया तथा हम वादी के कथन से संतुष्ट है। वादी के द्वारा कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की मंजूरी चाही गई है। यदि वादी अवादी से चिपते हुए किसी किले में इस रास्ते के तुल्य क्षेत्र की अवादी को भूमि देता है तथा लिखित दस्तावेज निर्णय के 30 दिवस में पेश करता है तो भूमि गैर मुमकिन दर्ज नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

यदि उभय पक्ष 30 दिवस में ऐसा लिखित समझौता प्रस्तुत नहीं करते है तो अवादी की भूमि में से चाहा गया रास्ता दो बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता इस शर्त पर दर्ज किया जावे कि वादी ने दो बिस्वा भूमि के डीएलसी मुल्य से दुगुनी कीमत राजकोष में

अमानत मद में जमा करा दी है। यह कार्यवाही आदेश के 30 दिन पुरा होने के बाद प्रभावी होगी। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा यदि प्रथम भाग की पालना उभय पक्ष द्वारा नही की जाती है तो अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक ....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 14 / 2017

मोहम्मद इसाक पुत्र हुसैनखां कौम मुसलमान साकिन 5 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :— 05.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार भू.अ. खाज[illegible] पत्रांक 505 दिनांक 20.03.17 से पत्र प्राप्त होने पर अन्तर्गत धारा 136 [illegible] में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। [illegible] द्वारा वर्ष 2001 में जरिये बैयनामा चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91 / 52 में 19.00 बीघा व चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91 / 38 की 17.08 बीघा अनकमांड खरीद कर [illegible]मान्तरकरण दर्ज करवाया गया था। चक 3 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91 / 52 का ईन्तकाल मुताबिक बैयनामा मोहम्मद इसाक पुत्र श्री हुसैनखां के नाम से सही दर्ज है तथा चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91 / 38 के 17.08 बीघा अनकमांड का ईन्तकाल गलती से मोहम्मद हुसैन पुत्र इसाकखां के नाम

से दर्ज कर दिया गया है। वादी ई.स. 108 को बैयनामा के आधार पर दुरुस्त करवाना चाहता है। वादी ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न बैयनमाा की प्रति, जमाबन्दी की छायाप्रति, नामान्तरकरण की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

तहसीलदार खाजूवाला ने अपने पत्रांक 505 दिनांक 20.03.2017 में अंकित किया है कि चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. की वर्तमान जमाबन्दी में खाना संख्या 27 मु.न. 91/38 तादादी 17.08 बीघा अनकमांड भूमि में मोहम्मद हुसैन पुत्र ईशाकखां कौम मुसलमान साकिन 3 एमडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा आवेदन पत्र के सलंग्न उप पंजियक खाजूवाला से जारी रजिस्ट्री की छायाप्रति पेश की है। जिसमें वादी का नाम मोहम्मद ईसाक वल्द हुसेनखां जाति मुसलमान है। जबकि ना.स. 108 दिनांक 04.04.2001 में मोहम्मद हुसैन पुत्र ईशाकखां कौम मुसलमान दर्ज स्वीकृत है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट के यह गलती सहवन से हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत बेयनामा की प्रति अनुसार वादी मोहम्मद इसाक पुत्र श्री हुसैनखां ने चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/38 के 17.08 बीघा अनकमांड भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध करवाया था। सहवन से ना.स. 108 दिनांक 04.04.2001 में वादी का नाम मोहम्मद हुसैन पुत्र ईसाकखां दर्ज हो गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 5 एम.डब्ल्यू.एम. के मु.न. 91/38 के 17. 08 बीघा अनकमांड भूमि में वादी का नाम मोहम्मद हुसैन पुत्र ईशाकखा के स्थान पर मोहम्मद ईसाक पुत्र श्री हुसैनखां दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक ....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 67/2015

विमलादेवी पत्नी रुपाराम जाति मेघवाल साकिन चक 15 केवाईडी हाल चक 14 केएलडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादीया

बनाम

1. दिलीप कुमार पुत्र बिहारीलाल जाति धानक साकिन चक 14 केएलडी ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरजू बेवा नाथूराम
3. पप्पु
4. हणमान
5. मंगलाराम

(3–5) } पिसराम नाथूराम [illegible] मेघवाल साकिन पांचोता तहसील नांवा जिला नागौर।

6. रत्नीदेवी
7. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादीया की ओर से
2. श्री त्रिलोकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 2017

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयां एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 की सयुंक्त खाते में चक 14 केएलडी ए के मु.न. 73/30 के कि.न. 1 ता 24 तादादी 23.12 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीया का हिस्सा 11.10 बीघा और प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 07.08 बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का 4.14 बीघा हिस्सा है और वादीया एवं प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने भौतिक और वाहमी बंटवारा कर लिया था जिसमें कि.न. 4 ता 7, 13/0.14, 14 ता 18, 23/0.18, 24/0.18 कुल 11.10 बीघा वादीया के हिस्से में दी गई जिस पर वादीया तब से लेकर आज तक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनकार सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रही है एवं समस्त भूमि वादीया के उपयोग—उपभोग में है। समय—समय पर समस्त लगान खजानाराज में जमा करवाती रही है। वादीया लम्बे अरसे से जो भूमि घरु बंटवारे में मिली उसी भूमि पर काबिज काश्त है जिसको सुधार पर लाखों रुपये खर्च कर खेती लायक बनाई हैं वादीया ने प्रतिवादीगण से काफी दफा तहसील चलकर खाता तकसीम करवाने हेतू निवेदन किया तो हमेशा बहाने बनाकर टालते गये और वादीया विश्वास कर इन्तजार करती रही। सुधारी हुई भूमि देखकर प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लालच आ गया है और वो प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को बरगलाकर समस्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 ता 6 का कि.न. 12/0.16, 19 ता 22 तादादी 4.14 बीघा पर और बाकि 7.08 बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जाकाश्त है। अतः खाता विभाजन डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि चक 14 केएलडी ए के मु.न. 73/30 में कि.न. 1 ता 24 तादादी 23.12 बीघा कमाण्ड में से वादीया की घरु बंटवारे एवं कब्जाकाश्त अनुसार कि.न. 4 ता 7, 13/0.14, 14 ता 18, 23/0.18, 24/0.18 कुल 11.10 बीघा का खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 7 को प्रदान कर अलग से लगान कायमी और रिकार्ड मैन्टेन करने के आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 की ओर से श्री त्रिलोकसिंह अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा आदिनांक तक कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 6 उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण द्वारा काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण पत्रावली पर एकपक्षीय [illegible] अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि से वादीया के मध्य बंटवारा किया जाता है कि वादी[illegible] हिस्सा चक 14 केएलडी ए के मु.न. 73/30 में कि.न. 4 ता 7, 13/0.14, 14 ता 18, 23/0.18, 24/0.18 कुल 11.10 बीघा भूमि। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा की रिपोर्ट एक माह में पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 07/2014

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

शीशपालसिंह पुत्र हरचंदराम जाति जाट निवा[illegible]7 केएनडी तहसील खाजूवाला

..... अपीलांट

बनाम

1. रतनदास पुत्र माणकदास जाति साध निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला।
2. धर्मपाल पुत्र श्री घुड़नाथ जाति जोगी निवासी हमीरबास तहसील राजगढ जिला चुरु।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मक्खनसिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1975

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1975 में प्रस्तुत की गई है। अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 27 केएनडी के मु.न. 132/32 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 की 20.00 बीघा अनकमांड भूमि जो अपीलांट को दिनांक 25.03.1992 को जरिये एग्रीमेंट टू सैल विक्रय हुआ था। इकरारनामा सैल है तथा कब्जा इकरारनामा के दिन से अपीलांट को सुपुर्द कर दिया उसी दिन से आज तक अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का खातेदार रेस्पोडेंट सं. 2 है जिन्होंने बिना कब्जे के भूमि का स्थानान्तरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 18.06.2014 को कर दिया। दिनांक 18.06.2014 के बैयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा बिना कब्जे की जांच किये इन्तकाल संख्या 196 स्वीकार किया गया। जैर इंतकाल नं. 196 विदआउट ज्यूरिडिक्शन, न्याय सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरुद्ध है। बैयनामा का इंतकाल तहसीलदार रेस्पोडेन्ट नं. 3 द्वारा किया गया है बैयनामा का इंतकाल करने का क्षेत्राधिकार संबंधित पंचायत को ही है बैयनामा दिनांक 18.06.2014 को हुआ है इंतकाल स्वीकार दिनांक 23.06.2014 को हो गया जो ग्राम पंचायत का 45 दिन क्षेत्राधिकार रहता है इस कारण आदेश बिना क्षेत्राधिकार के रहने से काबिल निरस्त के है। इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व लैण्ड रिकार्ड रुल्स नियम 121 की पालना नहीं की गई है इस कारण आदेश काबिल निरस्त के है। मुताबिक लैण्ड रिकार्ड रुल्स व इंतकाल धारा 135 (1) राजस्थान भू अराजस्व के बैयनामा का इंतकाल करने के लिए पहले कब्जे की जांच की जाती है इसके बाद इंतकाल स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। कब्जे की बिना जांच के इंतकाल नं. 196 लैण्ड रिकार्ड रुल्स व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) इंतकाल नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध होने से काबिल निरस्त के है। इंतकाल संख्या 196 दिनांक 23.06.2014 को पटवारी ने भरा है उसी दिन राजस्व राजस्व निरीक्षण ने जांच की है उसी दिन तहसीलदार ने स्वीकार किया है। एक मिटिंग में हुआ इस कारण प्रथम दृष्टया ही इंतकाल नं. 196 काबिल निरस्त के है। पटवारी हल्का व गिरदावर दोनो को पता है कि विक्रेता का भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिए क्रेता को कब्जा नहीं दिया और ना ही दिया जा सकता है। इस तथ्य की जानकारी पटवारी व राजस्व दोनो को होते हुए जानबुझकर तथ्यों को छुपाते हुए इन्तकाल नं. 196 की रचना की जो फरोड की तारीफ में आता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील इंतकाल 196 निरस्त फरमाया जावे अन्य कोई रिलीफ जो न्योचित हो प्रदान की जावे।

पैरोकारराज ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि चक 27 केएनडी का मु.न. 132/32 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 15 ता 25 की 20.00 बीघा अनकमांड भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रतनदास पुत्र माणकदास जाति साध निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रकबा पर एडीजे ए बीकानेर के द्वारा स्थगन जारी किया गया है। मौके पर उक्त रकबा खाली है, किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं है। राज्य हित को ध्यान में रखकर निर्णय पारित किया जाए तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद सम्मन तामिल के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट इकरारनामा के आधार पर इतंकाल की प्रविष्टि निरस्त करवाना चाहता है। इकरारानामा के आधार पर इंतकाल की प्रविष्टि निरस्त नहीं की जा सकती है। अपीलांट इकरारनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या — 94/2014

1. बसीया पत्नि स्व. गिरधारीराम
2. कमलादेवी पुत्री स्व. गिरधारीराम
3. प्रेमीदेवी पुत्री स्व. गिरधारीराम

4. किशना पुत्री स्व. गिरधारीराम
5. मुलाराम पुत्र स्व. गिरधारीराम
6. भंवरराम पुत्र स्व. गिरधारीराम कौम मेघवाल साकिन चक 24 केवाईडी हाल
7. शिवकुमार पुत्र स्व. गिरधारीराम चक 27 केएनडी तहसील खाजूवाला जिला
8. फूलीदेवी पत्नि स्व. हुकमाराम बीकानेर, राजस्थान।
9. धनराज पुत्र स्व. हुकमाराम
10. भूपेन्द्र पुत्र स्व. हुकमाराम
11. पुजा पुत्री स्व. हुकमाराम

..... वादीगण

बनाम

1. नागरराम पुत्र कुरड़ाराम जाति भामी निवासी सांखू, तहसील राजगढ, जिला चुरु।
2. उप पंजियक, खाजूवाला
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मक्खनसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 2017

यह वादपत्र वादीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी उपरोक्त 20 बीघा कमाण्ड/अनकमांड आवंटित कृषि भूमि का सौदा जरिये विक्रय इकरारनामा वादीगण के पति/पिता/दादा के साथ दिनांक 22.05.1986 को मुबलिग रुपये 60000/– अखरे साठ हजार रुपये में करके वरवक्त विक्रय इकरारनामा 60000/– अखरे साठ हजार रुपये प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के पति/पिता/दादा से बतौर प्रतिफल नगद प्राप्त कर लिए थे तथा शेष कुछ भी बकाया नहीं रहा था। उपरोक्त कृषि भूमि पर वास्तविक व भौतिक कब्जा विक्रय इकरार के समय प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण के पति/पिता/दादा को दे दिया था। वादीगण के पति/पिता/दादा ने वादगत भूमि अपने व अपने परिवार के भरण पोषण व जीविकापार्जन के लिए खरीद की थी। वादीगत के पति/पिता/दादा ने उपरोक्त कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 1 से खरीदकर व मौके पर भौतिक कब्जा लेकर उक्त भूमि में आवासीय ढाणी बनाकर मय परिवार आबाद होकर व सुधार कर काश्त [illegible]। वादीगण आजीवन उक्त भूमि को अपने वास्तविक व भौतिक [illegible] रहे हैं व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते रहे हैं। वादीगण के [illegible] वादगत भूमि ही भरण पोषण व जीविकोपार्जन का साधन रही है। वादीगण के पति/पिता/दादा ने जरिये इकरारनामा दिनांक 22.05.1986 वाद में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमि को खरीदकर इकरारनामा की शर्तों के अनुसार उक्त भूमि की तमाम आवंटन की किश्तें राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग को आवंटी प्रतिवादी सं. 1 नागरराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम से जमा करवाई व उपनिवेशन विभाग ने उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के खर्चे पर कर दी। किश्त अदायगी की रसीदें व खातेदारी सनद वादीगण के पास है। वादीगण के पति/पिता/दादा की मृत्यू दिनांक 12.03.2014 को हो चुकी है जिसके बाद वादीगण ही उनके जायज वारिस हैं व उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। वादीगण के पति/पिता/दादा ने मृत्यु से पूर्व उक्त भूमि की खातेदारी लेने के पश्चात् बेयनामा अपने हक में करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा परन्तु बैयनामा करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बैयनामे को टालता रहा व वादीगण के पति/पिता/दादा व वादीगण को उक्त भूमि का बैयनामा कराने का पक्का आश्वासन देता रहा। दिनांक 20.09.2014 को जब वादी सं. 6 प्रतिवादी सं. 1 के पास उनके गांव सांखू गया और प्रतिवादी सं. 1 के इकरारनामे के अनुसार उपरोक्त भूमि का बैयनामा वादीगण के पक्ष में करवाने के लिए कहा तो अन्ततः प्रतिवादी सं. 1 ने वादी नं. 6 को मौतबीरान के रुबरु उपरोक्त भूमि का बैयनामा वादीगण के पक्ष में करवाने से स्पष्ट रुप से इन्कार हो गया। अतः प्रतिवादी सं. 1 वादगत चक 27 केएनडी, तहसील खाजूवाला के मु.न. 152/01 के कि.न. 1 ता 20 की 20.00 बीघा कमांड/अनकमांड खातेदारीशुदा कृषि भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा न करें, न ही वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करे, न जबरन भूमि पर कब्जा करे, न किसी अन्य को कब्जा करावें और न ही भूमि, ढाणी तथा वादी की फसल को खुर्द बुर्द करे, न ही ऐसा कोई अकृत्य या तर्क फेल करे जिससे वादीगण के हक हकूकों व कब्जे काश्त पर वितरीत असर पड़ता हो।

प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा न्यायालय सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाजूवाला का मु.न. 72/14 बसीयादेवी वगै. बनाम नागरराम वगै. की फोटोप्रति प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण अपने पति/पिता/दादा के पक्ष में किये गये इकरारनामा के आधार पर अनुतोष प्राप्त करना चाहते है। वादीगण के पति/पिता/दादा की मृत्यू हो चुकी है। मृतक के पक्ष में किये गये इकरारनामा के आधार पर वादीगण को कोई भी अनुतोष इस न्यायालय से नहीं दिया जा सकता है। अतः वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। वादीगण इकरारनामा के आधार पर सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 98/2015

लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

..... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 05.2017

यह प्रार्थना पत्र वादी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी के नाम से चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 के कि.न. 1 ता 25 की कुल 22.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है। भू–राजस्व अभिलेख में अंकन चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 की 22.04 बीघा में वादी का नाम लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर अंकित है जबकि वादी का सही नाम लुणाराम पुत्र केशराराम जाति निवासी रावतसर है। राशन कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड व जमाबन्दी ग्राम राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की सलंग्न की है। वादी का नाम में भिन्नता रहने से वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। अतः चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 की 22.04 बीघा भूमि में लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर के स्थान पर लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर अंकन करने के आदेश पारित किये जाकर भू–राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड व जमाबन्दी ग्राम राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की प्रति अनुसार वादी का नाम लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर है। सहवन से राजस्व रिकार्ड में लूणकरण अंकित हो गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 के कि.न. 1 ता 25 की कुल 22.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि में वादी का नाम लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर के स्थान पर लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक .....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 53/2016

1. बीरबलराम पुत्र श्री रेवन्तराम जाति जाट निवासी बास करणीसर महादेववाली तहसील छतरगढ हाल आबाद चक 21 बीडी बी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट निवासी बास करणीसर महादेववाली तहसील छतरगढ जिला बीकनेर।
2. भारुराम पुत्र रेवन्तराम जाति जाट निवासी बास करणीसर महादेववाली तहसील छतरगढ जिला बीकनेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री बृजलाल चाहर अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 2017**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के नाम से संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी 1/3 हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 2/3 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य हो चुका है। उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.06 बीघा भूमि है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त एवं शेष भूमि से प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड भूमि है, जिस पर प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त है। दिनांक 11.07.2016 को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अपनी भूमि को विधिक रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमउक्त भूमि का खाता विभाजन नहीं करवायेगें व लगान भी अलग–अलग नहीं करने देंगे तथा तुम्हारे कब्जाकाश्त व बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर हम कब्जा कर लेंगे। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड भूमि में से वाद के 1/3 हिस्सा की भूमी चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कमांड कुल तादादी 9.06 बीघा कमांड भूमि जिस पर वादी का कब्जा काश्त है एंव शेष भूमि पर उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त है, इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से अलग–अलग दज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान अलग–अलग किया जाये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा अंकित सभी तथ्यों को स्वीकार कर उक्त वाहमी बंटवारे के अनुसार सहमति दी तथा इसी अनुसार कब्जेकाश्त में है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 कानूनी रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातो पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा अंकित तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किये है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड में से वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.06 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल द... ।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को ... इ... स सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 25/2017

1. पूरणाराम उर्फ पूर्णाराम पुत्र मोहनलाल जाति सुनार साकिन मिठड़ी तह. लाड़नू जिला नागौर हाल 16 डीडब्ल्यूडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 2017**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के नाम से संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी 1/3 हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 2/3 हिस्सा बनता है। उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य हो चुका है। उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. [illegible] की 1.00 बीघा कुल तादादी 9. 06 बीघा भूमि है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त है एवं शेष भूमि से प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड भूमि है, जिस पर प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सं. 2 का कब्जा काश्त है। दिनांक 11.07.2016 को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से अपनी भूमि को विधिक रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ने स्पष्ट मना कर दिया कि हमउक्त भूमि का खाता विभाजन नहीं करवायेगें व लगान भी अलग–अलग नहीं करने देंगे तथा तुम्हारे कब्जाकाश्त व बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर हम कब्जा कर लेंगे। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि वाके चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड भूमि में से वाद के 1/3 हिस्सा की भूमी चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कमांड कुल तादादी 9.06 बीघा कमांड भूमि जिस पर वादी का कब्जा काश्त है एंव शेष भूमि पर उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त है, इसी अनुसार खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से अलग–अलग दज कर तथा उसी अनुसार खाता तकसीम कर लगान अलग–अलग किया जाये।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं लिखित जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी द्वारा अंकित सभी तथ्यों को स्वीकार कर उक्त वाहमी बंटवारे के अनुसार सहमति दी तथा इसी अनुसार कब्जेकाश्त में है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 कानूनी रुप से बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागजातो पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी द्वारा अंकित तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किये है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा कमांड, मु.न. 76/42 के कि.न. 4 ता 6 की 3.00 बीघा कुल तादादी 28.00 बीघा कमांड में से वादी के 1/3 हिस्सा की भूमि चक 21 बीडी बी के मु.न. 76/49 के कि.न. 17/0.06, 18 ता 25 की 8.06 बीघा कमांड व मु.न. 76/42 के कि.न. 6 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.06 बीघा भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा की की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 1 ता 8, 9/0.7 में 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 4 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 के 1/3 हिस्सा की भूमि मु.न. 76/49 के कि.न. 9/0.13, 10 ता 16, 17/0.14 की 8.07 बीघा व मु.न. 76/42 के कि.न. 5 की 1.00 बीघा कुल तादादी 9.07 बीघा कमांड अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अल[illegible] दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible]

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे [illegible]स सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— /2017

बेगराज पुत्र श्री अन्नाराम जाति जाट निवासी 13 क्यू बक्खताना तहसील व जिला गंगानगर हाल निवासी 19 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :— 2017

यह प्रार्थना पत्र वादी की ओर से दिनांक 03.05.17 को अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। वादी द्वारा दिनांक 19.05.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विलेख बैयनामा मनीराम पुत्र जयमलराम जाति मुसलमान ढाडी निवासी 19 बी डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर से उसकी जमीन मुरब्बा नं. 94/45 में किला न. 14 ता 19 सालम, 20, 21 प्रत्येक में 18—18 बिस्वा, 22 ता 25 सालम= 11.1[illegible] कमाण्ड वाके चक 19 बी डी उपनिवेशन तहसील छतरगढ [illegible] को खरीद किया था। जिसका बैयनामा बाबत् स्टाम्प [illegible] वादी ने अपने [illegible] बेगराज पुत्र अन्नाराम के नाम से खरीदकर बैयनामा निष्पादित किया। बैयनामा के समर्थन में अपने समस्त कागजात बेगराज के नाम से ही प्रस्तुत किये लेकिन बैय[illegible]मा टाईप करते समय टंकण मशीन द्वारा सहवन से लिपिकिय त्रुटि के चलते वादी का नाम बेगराज के स्थान पर बेधराज अंकन हो गया। वादी ने प्रार्थना पत्र के सलंग्न बैयनमाा की प्रति, जमाबन्दी की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मुताबिक बैयनामा इन्काल सं. 71 में भी वादी का नाम बेगराज के स्थान पर बेधराज नाम से दर्ज हो गया उसी के मुताबिक जमाबन्दी, गिरदावरी में भी वादी का सही नाम बेगराज अंकित न होकर सहवन लिपिकीय त्रुटि के चलते मुताबिक बैयनामा बेधराज अंकित हो गया। जो कि सहवन लिपिकीय त्रुटि होने के कारण गलत है। वादी को दिनांक 02.05.2017 को इस बात की सर्वप्रथम जानकारी हुई कि उसका सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। सहवन गलती के कारण लिपिकीय त्रुटिवश वादी के सही नाम के स्थान पर गलत नाम बेधराज अंकित हो गया है। मौका पर वादी उक्त भूमि में कब्जा काश्त है लेकिन वादी अशिक्षित व कानूनी प्रकिया के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण राजस्व रिकार्ड के बारे में हमेशा अन्जान रहा। अतः वादी की अपनी स्वयं की उक्त कमाण्ड कृषि भूमि के रिकार्ड में सहवन गलतीवश लिखा गया बेधराज नाम के स्थान पर बेगराज पुत्र अन्नाराम का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, इन्तकाल, गिरदावरी आदि में दर्ज करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत बेयनामा की प्रति अनुसार वादी बेगराज पुत्र अन्नाराम ने 19 बी डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर के मुरब्बा नं. 94/45 में किला न. 14 ता 19 सालम, 20, 21 प्रत्येक में 18-18 बिस्वा, 22 ता 25 सालम= 11.16 बीघा कमाण्ड भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध करवाया था। लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, इन्तकाल सं. 71 , गिरदावरी आदि में वादी का नाम बेधराज पुत्र अन्नाराम दर्ज हो गया।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 19 बी डी तहसील छतरगढ जिला बीकानेर के मुरब्बा नं. 94/45 में किला न. 14 ता 19 सालम, 20, 21 प्रत्येक में 18-18 बिस्वा, 22 ता 25 सालम= 11.16 बीघा कमाण्ड भूमि में वादी का नाम बेधराज पुत्र अन्नाराम के स्थान पर बेगराज पुत्र अन्नाराम दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 64 / 2015

पोलाराम पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला
जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. रिछपाल सिंह पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तह. रतनगढ जिला चुरू।
2. करणीसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ जिला चुरू।
3. उप–पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक :— 2017

यह वाद पत्र वादी ने अन्तर्गत धारा 92ए, 177 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से उसका रकबा वाके चक 17 के.वाई.डी. ए तहसील खाजूवाला के मु.न. 116/16 के किला न. 1 ता 17 सालम = 17.00 बीघा कृषि भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 26.06.1990 को बएवज 1,12,000/– रू. अखरे एक लाख बारह हजार रूपये में खरीद की थी, तथा उसी समय सौदा की साई पेटे राशि 97,000/– रूपये अखरे सतानवें हजार रू. प्रतिवादी सं. 1 को अदा कर दिये थे तथा उसी समय उक्त रकबा का कब्जा वादी ने मय पानी पर्ची के प्राप्त कर लिया था। तथा शेष राषि 15,000/– रू. वर–वक्त बैयनामा पर देना तय हुआ था। तथा उक्त रकबा की बकाया समस्त किश्तें वादी द्वारा अदा कर खातेदारी प्राप्त करना तय हुआ था। तथा उक्त रकबा का बैयनामा वादी के पक्ष में वादी की इच्छानुसार करवाने का इकरर हुआ था। उक्त भूमि का कब्जा मौका पर पानी पर्ची सहित इकरारनामा के रोज वादी को सुपुर्द कर दिया था। जिस पर ाज तक वादी का कब्जा काश्त चल रहा है। इकरारनामा की प्रति संलग्न वाद पत्र है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड व जमाबन्दी ग्राम राणासर पंवारान तहसील सरदारशहर की प्रति अनुसार वादी का नाम लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर है। सहवन से राजस्व रिकार्ड में लूणकरण अंकित हो गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चक 20 केएचएम बी का मु.न. 199/18 के कि. न. 1 ता 25 की कुल 22.04 बीघा कमांड/अनकमांड भूमि में वादी का नाम लूणकरण पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर के स्थान पर लुणाराम पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी रावतसर तहसील रावतसर दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक ....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2017

बलकरण सिंह पुत्र श्री बीकर सिंह जाति जटसिख निवासी 29 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. डालूराम
2. रामनिवास
3. नन्द किशोर
4. गुमानी देवी

पुत्र [illegible] लुहार साकिन डाबड़ी तह. [illegible] जिला नागौर

5. उमा देवी
6. पप्पु

पुत्र पत्नि पन्नाराम जाति लुहार साकिन डाबड़ी तह. डीडवाना जिला नागौर

7. उप–पंजीयक खाजूवाला।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2017

यह प्रार्थना पत्र वादी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। वादी बलकरण सिंह की कृषि भूमि चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/59 में 15 बीघा स्थित है जिसके समस्त मालिकाना, काबिजाना हक हकुक वादी को प्राप्त है। वादी के चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/59 में वादी की खातेदारी भूमि के अलावा केवाईएम माईनर गुजरता है जिसका राजस्व रिकार्ड में मु.न. 18/57, 18/58, 18/59 में कटान नहीं है। केवाईएम माईनर व उसके दोनों तरफ वन विभाग के पेड़ लगे है जिनका राजस्व रिकार्ड में अंकन विधिवत होना चाहिये था उक्त माइनर का कटान होने के बाद मामूली भूमि बचती है जिसे वादी स्मालपेच श्रेणी में आंवटन करवाने का अधिकारी है। मु.न. 18/59 में चना, सरसों व गेहुं की फसल खड़ी है। वादी के चक 29 केवाईडी (ए) का मु.न. 18/58 व 18/59 की कोई भूमि अवादी संख्या 1 ता 6 के पिता के नाम कभी भी आंवटन नहीं की गई थी और ना हीं चन्द्राराम पुत्र सुरजाराम लुहार की कोई भूमि कभी नहर में अवाप्त हुई है। उक्त चन्द्राराम को फर्जी भूमि अवाप्त होना बताकर तत्कालीन पटवारी हल्का ने बिना तहसीलदार के आदेश के मनमर्जी से बिना किसी गिरदावरी नोट के सम्वत 2054 में भूमि अराजीराज चन्द्राराम के नाम गिरदावरी में दर्ज कर दी व फर्जी आवंटन आदेश दिनांक 08.06.87 बताकर इतंकाल संख्या 87 भरकर दिनांक 26.12.95 को स्वीकृत करवा लिया जबकि चन्द्राराम की मृत्यु दिनांक 26.06.91 को हो चुकी थी तो बिना अधिकारिता के फर्जी भूमि अवाप्त बताकर मृत व्यक्ति को कब्जा देना बताकर दर्ज इंतकाल संख्या 87 निष्प्रभावी व फर्जी कूटरचित होना स्वतः स्पष्ट है। वर्तमान में वादी. चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/59 में ढाणी व पानी का कुण्ड बनाकर सन 1990 से रहवास व कब्जा काश्त है। लिहाजा सुविधा का सतुंलन वादी के पक्ष में है। यदि अवादीगण कूटरचित आवंटन व प्रविष्टियों के आधार पर वादी को बेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अवादीगण की और से जबाब प्रस्तुत हुआ। अवादीगण का कथन है कि चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि अवादीगण के पिता चन्द्राराम पुत्र सुरजाराम को आंवटित हुयी तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अवादीगण कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में विधिवत प्रक्रिया के अनुसार अवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। वादी तंग और परेशान करने की नियत से स्थगन आदेश की आड़ में उक्त कृषि भूमि से बेदखल करना चाहता है। एक पक्षीय स्थगन आदेश खारिज फरमाया जाये।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। दस्तावेज के अनुसार अवादीगण के नाम से ही खसरा गिरदावरी मय चन्द्राराम द्वारा काश्त होना बताया गया है। इस प्रकार चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि की काश्त चन्द्राराम की होना खसरा गिरदावरी में अंकित है।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी बलकरण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 02.03.17 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: Self-Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नं0 50/2016

1. सुरजासराम पुत्र निरायणराम जाति सुथार निवासी कानोलाई हाल आबाद चक 6 डी के डी तह. पूगल जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति विशनोई निवासी चक 42 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री मनीराम जाखड, अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री भीमसिंह एडवोकेट, प्रतिवादी की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी

आदेश दिनांक :— 01.09.2017

प्रतिवादी ने कथन किया कि चक 42 केवाईडी क मु.न. 121/43 में 13 बीघा भूमि की अपील संख्या 679 व 680 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जैरकार है। वादगत भूमि की विषयवस्तु पर अपील का निर्णय पारित नहीं हो तब तक वाद में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

वकील वादी ने धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र का

प्रतिवादीगण की और से जबाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण का कथन है कि चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि अवादीगण के पिता चन्द्राराम पुत्र सुरजाराम को आंवटित हुयी तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर अवादीगण कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में विधिवत प्रक्रिया के अनुसार अवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन जारी नहीं किया जा सकता। वादी तंग और परेशान करने की नियत से स्थगन आदेश की आड़ में उक्त कृषि भूमि से बेदखल करना चाहता है। एक पक्षीय स्थगन आदेश खारिज फरमाया जाये।

दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से अवादीगण रिकार्डेड खातेदार है। दस्तावेज के अनुसार अवादीगण के नाम से ही खसरा गिरदावरी मय चन्द्राराम द्वारा काश्त होना बताया गया है। इस प्रकार चक 29 केवाईडी (ए) के मु.न. 18/58 के कि.न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23, 24, 25 की तादादी 14.14 बीघा व मु.न. 18/59 के कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की तादादी 10.00 बीघा कुल तादादी 24.14 बीघा अनकमाण्ड कृषि भूमि की काश्त चन्द्राराम की होना खसरा गिरदावरी में अंकित है।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है। अतः वादी बलकरण सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 02.03.17 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2017

मोतीलाल पुत्र श्री पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी 3 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

..... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 09.2017

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये बैयनामा चक 1 पीडब्ल्यूएम (ए) के मु.न. 80/03 में 25.00 बीघा भूमि खरीद की जिसको राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के समय प्रार्थी का नाम मोतीलाल की जगह मोतीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजो में मोतीलाल नाम दर्ज है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में पंचायत समिति खाजूवाला के वार्ड न. 12 के डायरेक्टर पूजा रानी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिचय पत्र की प्रतिलिपी प्रस्तुत की। जमाबन्दी सम्वत 2069–72 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की।

उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी मोतीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में मोतीलाल की बजाय मोतीराम अंकित हो गया, जिसमें सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी मोतीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक ....09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/2017

1. किशने खां पुत्र पेमे खां जाति ढाढी निवासी चिताणा तहसील नोखा हाल चक

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 09.2017

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण के नाम से चक 9 एस.एस.एम. के मु.न. 28/30 में 19.19 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय अजीत सिंह के स्थान पर दीपसिंह तथा अर्जून सिंह के स्थान पर अजयपाल सिंह दर्ज हो गया एवं गांव मामड़ोदा की जगह मानरोड़ हो गया। प्रार्थीगण के परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत मामड़ोदा पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किये।

उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थीगण दीपसिंह व अजयपाल सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अकित होते समय अजीतसिंह का नाम दीपसिंह तथा अर्जून सिंह का नाम अजयपाल सिंह दर्ज हो गया, जिसमें सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक ....09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 31/2017

रामप्यारी पत्नि धन्नाराम जाति जाट निवासी हरदास वाली हाल चक 38 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

.

....वादी

बनाम

1. पाना देवी पत्नि श्री भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी 38 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
2. भंवरलाल पुत्र श्री नरसीराम जाति मेघवाल निवासी 38 के वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
3. उपपंजियक खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला

....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश **दिनांक :— 09.2017**

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र में चाहा गया अनुतोष कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में वादीनी प्राप्त करने की अधिकारीणीं नहीं है। वादीनी को न्यायालय में वाद पत्र लाने के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्व कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है। वादीनी के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत करवाया कि वाद—पत्र के पैरा न. 6 में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीनी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल हुआ है। जिसके आधार पर वादीनी का वाद न्यायालय में चलने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद—पत्र में वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि चक 38 के वाई डी के मु.न. 161/21 के कि.न. 1 ता 20 की कुल 19.12 बीघा कमाण्ड भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा [illegible] की खातेदारी कृषि भूमि के कि. न. 16 ता 20 की सींव को आगे खिसकाकर कब्जा करने की धमकी दी है जिसको वादीनी द्वारा कॉज ऑफ एक्शन का हक प्रतिवादी[illegible] के विरूद्व हासिल होने का कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा [illegible] 5, 6, 7 जुलाई 2017 को भू—प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के आदेश क्रमांक 440—44 दिनांक 23.06.2017 की पालना में भू—प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के निरीक्षक चन्द्रभान सोनी एवं उसके द्वारा गठित कमेटी द्वारा पुलिस की मौजूदगी में सीमाज्ञान किया गया जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि पक्षकारों की वादगत भूमि का सीमाज्ञान संबधित विभाग द्वारा हो चुका है तथा मौके पर निशान दिये जा चुके है। प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिग्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक ....09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 08/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. देवाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल चक 6 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री नरेन्द्र गौड़ अधिवक्त प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :— 2017

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय 06.06.2016 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 08/17 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई [illegible] साक्ष्य वाद को 28.05.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था [illegible] में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.06.2016 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.05.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 18:44:58 IST
Reason: SelfAttested

समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है। चूंकि राजपक्ष द्वारा अपने दिनांक 30.11.2011 से भेजे गये वादपत्र के दस्तावेज के अतिरिक्त समुचित रूप से प्रतिवादी को नोटिस तामिल करवाने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी नहीं की गई।

प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र कमांक 493 दिनांक 17.03.2017 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 6 पीआरएम का मु.न. 56/5 के कि.न. 1 त[illegible] कमाण्ड रकबा अराजीराज दर्ज है मौके पर रकबा खाली है तथा कि.न. 4 ता 7 [illegible] 14, 19 ता 22 में जगह–जगह गड्ढे खुदे है। हल्का पटवारी [illegible] संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर [illegible] कार्य नहीं हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 08/17 सरकार बनाम देवाराम रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 6 पीआरएम के ना.स. 188

की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 27 / 2017

1. किशने खां पुत्र पेमे खां जाति ढाढी निवासी चिताणा तहसील नोखा हाल चक 1 एस.एस.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री रोहिताश गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible]

निर्णय दिनांक :— 2017

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी के नाम से बतौर भूमिहीन सन् 1975 में चक 1 एस.एस.एम. के मु.नं. 108 / 18 में 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड भूमि लूम पुख्ता आंवटन हुई तब से लेकर आज तक प्रार्थी व उसका परिवार उक्त भूमि पर काश्त करता आ रहा है, तथा प्रार्थी के ही कब्जा काश्त में है।

प्रार्थी मूल रूप से चिताणा तहसील नोखा जिला बीकानेर का निवासी है एवं प्रार्थी के नाम से समस्त दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि किशनेखॉ पुत्र पेमे खां जाति ढाढी के बने हुए है तथा प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत चिताणा मतदाता सूची 2004 के वार्ड न. 8 के क्रम संख्या 325 पर किशनेखॉ पुत्र पेमे खां के नाम से अंकित है जो कि संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी का कथन है कि चक 1 एस.एस.एम. के मु.न. 108/18 में प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र पेमाराम जाति ढाढी निवासी चिताणा दर्ज है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम किशनेखॉ पुत्र पेमेखॉ जाति ढाढी निवासी चिताणा हाल चक 1 एस.एस.एम. है।

उक्त दस्तावेजात का अवलोकन करने से निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी किशनेखॉ पुत्र पेमेखॉ का नाम राजस्व रिकार्ड में अकित होते समय किशनेखॉ पुत्र पेमेखॉ के स्थान पर किशनाराम पुत्र पेमाराम दर्ज हो गया, जिसमें सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक ....2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—

दुलीचन्द पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी 6 एस.जे.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.......प्रार्थी

बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार [illegible]

......अप्राार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1[illegible] एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :— 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 1[illegible] एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 6 एस.जे.एम. के मु.न. 58/13 की कृषि भूमि है। जो प्रार्थी को जरिये विरासतन् दर्ज हुई है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का सही नाम दुलीचन्द है लेकिन सरपंच द्वारा जारी वारीस प्रमाण पत्र में

प्रार्थी का नाम सहवन् से दुलीचन्द के स्थान पर दुलाराम अंकित हो गया, जो गलत है। प्रार्थी उक्त नाम को सही करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम दुलाराम के स्थान पर दुलीचन्द करवाना चाहता है। प्रार्थी ने शपथ–पत्र, जायज वारिस प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड संलग्न पत्रावली किये है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर स्वीकार योग्य त्रुटि की दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी का नाम दुलाराम की जगह दुलीचन्द दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला, राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अमरसिंह पुत्र पन्नाराम जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील तारानगर जिला चुरू हाल चक 3 एस.एल.एम. तहसील खाजूवाला [illegible]नेर।

.......प्रार्थी

[illegible]

राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार [illegible]ला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक वाके 3 एस.एल.एम. के मु.न. 235/61 के कि.न. 1 ता 21 की कुल 21.00 बीघा कमाण्ड भूमि पुख्ता आंवटन शुदा है। प्रार्थी ने समय–समय पर भूमि की समस्त किश्तें जमा करवा दी है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्तमान में कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 18.08. 2017 को ऑनलाईन जमाबन्दी निकलवाई तो पता चला कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम पन्नाराम की जगह पल्लाराम अंकित हैं, जो कि राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हो गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पिता के नाम की दुरूस्ती कर पल्लाराम के स्थान पर पन्नाराम की जाती है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– [illegible] आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना [illegible] सं[illegible] :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

तारूराम पुत्र गेनाराम जाति [illegible]वाल निवासी [illegible]सर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी ने कथन किया है कि चक 39 केजेडी के मु.न. 48/16 में 21 बीघा पुख्ता आवंटित खातेदारी भूमि प्रार्थी तारूराम पुत्र गेनाराम जाति मेघवाल के नाम से है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन होते समय प्रार्थी के पिता का नाम तथा जाति का सही अंकन नहीं हुआ। जो काबिले दुरूस्तनीय हैं। प्रार्थी ने कथन किया है कि आवंटन आदेश, चालान में प्रार्थी की जाति मेघवाल दर्ज है जबकि खातेदारी सनद में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज कर दी गई है इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का सही नाम गेनाराम है जबकि आवंटन आदेश व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ज्ञानाराम दर्ज कर दिया गया है जो काबिले दुरूस्तनीय है। इस संबध में प्रार्थी ने नकल आवंटन आदेश, चालान, खातेदारी, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी कल्याणसर, राशन कार्ड व परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी तारूराम के पिता के नाम व जाति की दुरूस्ती कर ज्ञानाराम के स्थान पर गेनाराम व जाति जाट के स्थान पर मेघवाल की जाती है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

क्लै सिंह पुत्र श्री दानसिंह जाति राजपूत निवासी [illegible]टवाद ताल तहसील व जिला चुरू
.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश   दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से चक 21 केएलडी के मु.न. 57/11 में 14 बीघा अ.क. खातेदारी कृषि भूमि पुख्ता आंवटन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने कथन किया है कि सम्वत 2063 से पूर्व उपनिवेशन विभाग की गिरदावर में प्रार्थी का सही नाम क्लै सिंह ही दर्ज था। लेकिन सम्वत 2063 के बाद उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम फलेल सिंह दर्ज हो गया जो की गलत है प्रार्थी का सही नाम क्लै सिंह है। इस संबध में प्रार्थी ने शपथ–पत्र, आंवटन आदेश की प्रतिलिपि, आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज, शपथ–पत्र, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, एवं रिकार्ड होल्डर तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी नाम फलेल सिंह के स्थान पर क्लै सिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मिलखराज पुत्र श्री रावतराम जाति नायक निवासी 1 केजेडी(बी) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :— 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 1 केजेडी(बी) का मु.न. 100/6 के कुल 12.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने उक्त भूमि एमजीबी बैंक शाखा खाजूवाला के अधीन रहन पर रखी थी। एमजीबी बैंक शाखा खाजूवाला ने प्रार्थी को 24.07.12 को रहननामा 6(1) जारी कर दिया था। जिसका पंजीयक, उप पंजीयक खाजूवाला के यहां दिनांक 24.07.12 को पु. स. 1, जि.स. 111, पृ.स.77 क.स. 2012001877 को पंजीबद्व होने के पश्चात पटवारी हल्का को प्राप्त हुआ। जिसको पटवारी द्वारा नामान्तरण संख्या 125 के अन्तर्गत उक्त रहननामा को दर्ज किया जो कि दर्ज करते समय सहवन से एमजीबी शाखा खाजूवाला के स्थान पर एसबीबीजे शाखा खाजूवाला दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थी की जमाबन्दी में भी एसबीबीजे शाखा खाजूवाला दर्ज हो गया जो कि गलत है। इस संबध में प्रार्थी ने एमजीबी शाखा खाजूवाला द्वारा जारी 6(1) व जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 1 केजेडी (बी) की 12.10 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि का रहननामा एसबीबीजे शाखा खाजूवाला के स्थान पर एमजीबी शाखा खाजूवाला दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

शिवशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भनीण हाल चक 13 के.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम बतौर भूमिहीन सन् 1982 में चक 13 केएलडी के मु.न. 75/33 के 02.16 बीघा, 75/25 के 01.18 बीघा व 75/34 के 22 बीघा कुल 26.14 बीघा कृषि भूमि का आवंटन हुआ है जिस पर प्रार्थी आज तक काबिज काश्त है। प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थी के उक्त रकबा का राजस्व रिकार्ड में शिवशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मानिवा तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक निवास स्थान भनीण तहसील तारानगर है जैसा कि सैल रजिस्टर में शिवशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भनीण तहसील तारानगर जिला चुरू दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का वास्तविक निवास स्थान भनीण होने के कारण राजस्व रिकार्ड में निवास स्थान में निवासी मनिवा की जगह भनीण तहसील तारानगर की दुरूस्ती करवाना चाहता है। इस संबध में प्रार्थी ने शपथ–पत्र, आवंटन आदेश, आधार कार्ड, जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि चक 13 केएलडी के मु.न. 75/33 के 02.16 बीघा, 75/25 के 01.18 बीघा व 75/34 के 22 बीघा कुल 26.14 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी के निवास स्थान में मानिवा के स्थान पर भनीण करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/12.03.2018

अमनदीप सिंह, पवनदीप सिंह पुत्रगण नाजम सिंह जाति नाई सिख निवासी 10 के.वाई. डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम चक 10 के.वाई.डी. (बी) के मु.न. 137/60 में 23.10 बीघा कृषि भूमि जरिये दादा की वसीयत से प्राप्त है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम अमनदीप व पवनदीप पुत्रगण नाजम सिंह अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीगण का सही नाम अमनदीप सिंह व पवनदीप सिंह है। इस संबध में प्रार्थीगण ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की भूमि 10 के. वाई.डी. (बी) के मु.न. 137/60 में 23.10 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम अमनदीप के स्थान पर अमनदीप सिंह व पवनदीप के स्थान पर पवनदीप सिंह करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मीरा देवी पत्नि किशनाराम पुत्री बीरबलराम जाति जाट साकिन 33 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम चक 33 के.वाई.डी. (ए) के मु.न. 201/17 में 25.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी के पिता के नाम में बीरबलराम के स्थान पर बीरजाराम सिंह अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीनी के पिता का सही नाम बीरबलराम है। इस संबध में प्रार्थीनी ने आंवटन पट्टा की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीनी की भूमि वाके चक 33 के.वाई.डी. (ए) के मु.न. 201/17 में 25.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीनी के पिता का नाम बीरजाराम के स्थान पर बीरबलराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 34/18

मेघराज पुत्र हरीनन्द जाति अरोड़ा साकिन वार्ड न. 19 खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 21 बीडी (बी) के मु.न. 75/52 में 17.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में मेघराज के स्थान पर मेघाराम अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम मेघराज है। इस संबध में प्रार्थी ने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत खाजूवाला की रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 21 बीडी (बी) के मु.न. 75/52 में 17.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम मेघाराम के स्थान पर मेघराज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 33/2018

केदार प्रसाद पुत्र हजारीमल जाति ब्राहम्ण साकिन 41 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :— 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 41 केवाईडी (ए) के मु.न. 121/64 में 19.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में केदार प्रसाद के स्थान पर केदारनाथ अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम केदार प्रसाद है। इस संबध में प्रार्थी ने वोटर आईडी कार्ड व भूमि की जोत की पास—बुल की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 41 केवाईडी (ए) के मु.न. 121/64 में 19.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम केदारनाथ के स्थान पर केदार प्रसाद करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

क्रमांकः–एसडीओ / खाजू / रीडर / 18 /   दिनांकः–

<u>संशोधन आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी रामलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल साकिन देशनोक तहसील बीकानेर के नाम से चक 36 केवाईडी के मु.न. 182 / 9, 182 / 17, 182 / 25 में तादादी 39.09 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थी ने एसबीआई खाजूवाला के पक्ष में बन्धक कर केसीसी का ऋण प्राप्त किया था जिसमें रहन का नामान्तरण भी तत्कालीक बैंक एसबीबीजे शाखा (वर्तमान एसबीआई) खाजूवाला के पक्ष में दर्ज है लेकिन सहवनवश जमाबन्दी में एसबीआई बैंक के स्थान पर एमजीबी ग्रामीण बैंक अंकित है जिसे प्रार्थी शुद्व करवाना चाहता है।

अतः रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक जमाबन्दी में रहन एमजीबी ग्रामीण बैंक के स्थान पर एसबीआई बैंक शाखा खाजूवाला के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांकः–सम /   दिनांकः–

प्रतिलिपीः–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. प्रार्थी रामलाल पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल साकिन देशनोक तहसील बीकानेर।

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 68/2017

रामूराम पुत्र तिलोकाराम जाति कुम्हार निवासी 5 पीबी, पहलवान का बेरा हाल चक 15 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :— 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 15 पी.बी. के मु.न. 229/59 में 20.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में रामूराम के स्थान पर रामचन्द्र अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम रामूराम है। इस संबध में प्रार्थी ने शपथ–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास व ग्रांम पंचायत 2 एडीएम के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। उपल[illegible] एवं तहसीलदार खाजूवाला के अनापति प्रमाण के आधार पर [illegible] 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 15 पी[illegible] के मु.न. 229/59 में 20.00 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामूराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

क्रमांकः–एसडीओ/खाजू/रीडर/18/ दिनांकः–

संशोधन आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी इब्राहीम पुत्र करीमबक्श जाति मुसलमान साकिन सियासर चौगान तह. खाजूवाला जिला बीकानेर के नाम से चक 1 एएलएम के मु.न. 163/22 में तादादी 25.00 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी खातेदारी सनद प्रार्थी को 04.01.2008 को जारी की गयी। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि का मु.न. 163/22 है जबकि प्रार्थी को जारी खातेदारी सनद में मु.न. 163/21 अंकित है। जिसे प्रार्थी शुद्व करवाना चाहता है।

अतः रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक खातेदारी सनद मे अकित मु.न. 163/21 के स्थान पर 163/22 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

क्रमांकः–सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपीः–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

2. प्रार्थी इब्राहीम पुत्र करीमबक्श साकिन सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

(रमेश देव),
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 48/2018

कुम्भाराम पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी [illegible] चक 3 एस.एस.एम. (ए) के मु.न. 217/3 में 08.15 बीघा कृषि [illegible] का नामान्तरण संख्या 188 दर्ज किया गया था। जिसमें प्रार्थी [illegible] से जमाबन्दी में खातेदार दर्ज नहीं हुआ। प्रार्थी का क[illegible] के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम धारित कृषि भूमि को नामान्तरण संख्या 188 अनुसार जमाबन्दी में खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे। इस संबध में प्रार्थी ने जमाबन्दी, सीएडी रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 3 एस.एस.एम. (ए) के मु.न. 217/3 में 08.15 बीघा कृषि भूमि को नामान्तरण संख्या 188 अनुसार जमाबन्दी में खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 50/2018

1 रामलाल पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल साकिन 1 पीएचएम (बी) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 हीरालाल पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल साकिन 1 पीएचएम (बी) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

.......प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :— 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। चक 1 पीएचएम (बी) के मु.न. 177/47 में 08.15 बीघा कृषि भूमि रामलाल माता गोरा पत्नि रतनाराम जाति मेघवाल तथा चक 1 पीएचएम (बी) के मु.न. 177/47 मे 08.15 बीघा कृषि भूमि हीरालाल माता गोरा पत्नि रतनाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम के साथ प्रार्थीगण की माता गोरा का नाम अंकित है चूकिं प्रार्थीगण की माता का देहान्त 25.09.2012 को गया है अतः प्रार्थीगण उक्त रिकार्ड में अपने नाम के साथ अंकित माता गोरा का नाम हटवाना चाहते है। इस संबध में प्रार्थीगण ने जायज वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की भूमि वाके चक 1 पीएचएम (बी) के मु.न. 177/47 में 17.10 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम के साथ अंकित माता गोरा के नाम को हटाने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.08.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

भीमसैन गोदारा पुत्र श्री कृष्णलाल गोदारा जाट साकिन 23 बी.डी. (बी) तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 23 बी.डी. (बी) के मु.न. 74/15 में 07.16 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम में भीम सैन गोदारा के स्थान पर भीम अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम भीम सैन गोदरा है। इस संबध में प्रार्थी ने आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला के अनापति प्रमाण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 23 बी.डी. (बी) के मु.न. 74/15 में 07.16 बीघा कृषि भूमि दर्ज में प्रार्थी का नाम भीम के स्थान पर भीम सैन गोदारा करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– [illegible] आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र [illegible] :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सोहनराम पुत्र रामूराम जाति [illegible] पीथीसर तहसील व जिला चुरू।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2018

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम चक 35 केजेडी (ए) के मु.न. 128/1 में 20 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के आवंटन आदेश में प्रार्थी का नाम सोहनराम पुत्र रामूराम साकिन खण्डवा पट्टा पीथीसर तह. व जिला चुरू अंकित है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र रामूराम साकिन सान्डवा पट्टा तह. व जिला चुरू अंकित है जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल है तथा प्रार्थी के गांव का सही नाम खण्डवा पट्टा तह. व जिला चुरू है। इस संबध में प्रार्थी ने आंवटन आदेश की प्रति, समस्त जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की भूमि वाके चक 35 केजेडी (ए) के मु.न. 128/1 में 20 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सोहनलाल के स्थान पर सोहनराम तथा प्रार्थी के गांव का नाम सान्डवा पट्टा के स्थान पर खण्डवा पट्टा, पीथीसर तह. व जिला चुरू करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या :–

सोमारी देवी पत्नि मानाराम जाति मेघवाल साकिन 16 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :– 2018**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के पति मानाराम का देहान्त दिनांक 05.2.2018 को होने के पश्चात ग्राम पंचायत आनन्दगढ द्वारा जारी जायज वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीया के पति के नाम दर्ज कृषि भूमि वाके चक 16 केएलडी के मु.न. 54/12, 54/20 की 13.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि का विरास्तन इन्तकाल ना.स. 62 दिनांक 20.08.18 में सोनारी देवी पत्नि मानाराम, बेबी, काली, रावलराम, भमली, विमला पुत्र–पुत्रीयां मानाराम जाति मेघवाल साकिन 16 केएलडी आनन्दगढ तह. खाजूवाला के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड हुआ। जिसमें सहवन से प्रार्थीया का नाम सोमारी देवी के स्थान सोनारी देवी अंकित हो गया जो कि दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीया का सही नाम सोमारी देवी है। इस संबध में प्रार्थीया ने ग्राम पचांयत आनन्दगढ द्वारा जारी जायज वारिस प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आधार कार्ड की प्रति व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया की भूमि वाके चक 16 केएलडी के मु.न. 54/12, 54/20 की 13.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया का नाम सोनारी देवी के स्थान पर सोमारी देवी करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मैना देवी पुत्री गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर जिला चुरू।

.......प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के भाई श्रीराम की मृत्यु दिनांक 21.08.99 को हो चुकी है तथा प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति नायक साकिन तारागनर जिला चुरू के नाम से कृषि भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें सहवन से प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति खटीक के स्थान पर नायक अंकित हो गयी जो कि दुरूस्ती योग्य है। इस संबध में प्रार्थीया ने आवंटन आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रति तथा जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर की भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति में नायक के स्थान पर खटीक करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मैना देवी पुत्री गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर जिला चुरू।

.......प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के भाई श्रीराम की मृत्यु दिनांक 21.08.99 को हो चुकी है तथा प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति नायक साकिन तारागनर जिला चुरू के नाम से कृषि भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें सहवन से प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति खटीक के स्थान पर नायक अंकित हो गयी जो कि दुरूस्ती योग्य है। इस संबध में प्रार्थीया ने आवंटन आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र प्रति तथा जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के भाई श्रीराम पुत्र गौरीशंकर जाति खटीक साकिन तारानगर की भूमि वाके चक 3 पीकेएम के मु.न. 205/1 के कि.न. 1 ता 25 की 23.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया के भाई श्रीराम की जाति में नायक के स्थान पर खटीक करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक ....2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

किशनलाल पुत्र श्री भागीरथ जाति छिम्पा निवासी 1 एचडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 30.01.2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी किशनलाल पुत्र भागीरथ जाति छिम्पा के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 एचडब्ल्यूएम के मु.न. 225/61 के कि.न. 6 ता 15 की 10.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिसमें सहवन से प्रार्थी का नाम किशनलाल के स्थान पर कृष्णलाल जाति छिम्पा अंकित हो गया जो कि दुरूस्ती योग्य है। इस संबध में प्राथी ने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह की प्रति मय शपथ पत्र संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी किशनलाल पुत्र भागीरथ जाति छिम्पा के नाम से कृषि भूमि वाके चक 1 एचडब्ल्यूएम के मु.न. 225/61 के कि.न. 6 ता 15 की 10.00 बीघा कमाण्ड/ अ.क. कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम कृष्णलाल के स्थान पर किशनलाल करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

50/17

रोशनी पुत्री बीरबलराम पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

....

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

वादी अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह उपस्थित।
प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजवूाला उपस्थित।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 22.02.2019

* वादीया द्वारा वाद पत्र जरिये अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि चक 1 पीएचएम–ए के मुरब्बा न. 177/14 के कि.न. 1 ता 25 की 24.00 बीघा भूमि खातेदारीशुदा है। वादीया का कथन है उसकी कृषि भूमि के कि.न. 1, 10, 11, 20, 22 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा व कि.न. 21 में 4 बिस्वा कुल 01.00 बीघा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में दर्ज गैरमुमकिन रास्ता कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा मौके पर किसी प्रकार से काम में नहीं आ रही है ओर न ही इस रास्ते की आवश्यकता है व न ही रास्ते मौके पर चालू है। इसलिये कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ते को निरस्त किया जावे।

* वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को तलब किया गया व मौके व रिकार्ड की रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जमाबन्दी अनुसार आस–पास के मुरब्बों कीं किलावार कैफियत दर्शायी गयी है। वाद पत्र के खंडन में स्टेट द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है ओर न ही वाद पत्र को पूर्णतः अस्वीकार किया गया। इसलिये वादीया के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद–पत्र को आदेश–12 नियम 6 सीपीसी के अनुसरण में इसी स्टेज पर निर्णय फरमाया जावे। वादीया के अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार फरमाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

* हमने रिकार्ड का अवलोकन किया। वा[illegible] विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

* उपनिवेशन क्षेत्र में नियमों में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) में रास्ते के सृजन के प्रावधान है। उक्त सृजन जन–सामान्य व सरकार के पक्ष में ही किया जा सकता है। उपनिवेशन क्षेत्रों में चक प्लान अनुसार दो–दो मुरब्बे छोड़कर किला वाईज किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 एवं 21 ता 25 में रास्ते कायम किये हुए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

धारा 251—ए में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के मद्य़नजर खातेदार की जोत में से होकर रास्ता देने के किमतन प्रावधान है।

* राज्य सरकार की अधिसूचना 3(ख)12 3(ख)12/राज./कोलो./13, दिनांक 08. 11.1973 के अनुसरण में सम्बधित उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कॉलोनी कंडीशन्स 1955 की शर्त 8(2) के तहत रास्तों के सृजन के लिये अधिकृत है। दौलतराम बनाम राजस्थान राज्य, 1988 RDD 699 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित प्राधिकारी न केवल रास्ते के अधिकार का सृजन करने के लिये सक्षम है अपितु उसे परिवर्तित या निरस्त भी कर सकते है। इसी प्रकार रामरख बनाम दौलतराम, 1992 RDD 340 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि कायम रास्ता निरस्त किया जा सकता है तथापि उन काश्तकारों को जिनकी अभिधृति से होकर रास्ता जाता है ; सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया जाए।

* हस्तगत प्रकरण में समस्त चिपते मुरब्बों जैसे 177/5, 177/6, 177/7, 177/13, 177/15, 177/22, 177/23, 177/21 आदि के काश्तकारों के लिये रास्ते पूर्व से ही कायम है। अतः इस प्रकरण में चिपते काश्तकारों को उनके रास्ते की कोई परेशानी को सुनना आवश्यक नहीं है।

* लिहाजा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौके व रिकॉर्ड अनुसार कायम रास्ते की अनुपयोगिता के मध्यनजर चक 1 पीएचएम—ए के मु.न. 177/14 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा गैरमुमकिन दर्ज रिकार्ड रास्ते की प्रविष्टि को विलोपित कर रकबा राज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को एतद्द्वारा दिये जाते है।

* तहसीलदार राजस्व खाजूवाला उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेना सुनिश्चित करे। डिग्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

50 / 17

रोशनी पुत्री बीरबलराम पत्नि कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

....

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

वादी अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह उपस्थित।
प्रतिवादी स्टेट की ओर से तहसीलदार खाजवूाला उपस्थित।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :— 22.02.2019

* वादीया द्वारा वाद पत्र जरिये अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि चक 1 पीएचएम—ए के मुरब्बा न. 177 / 14 के कि.न. 1 ता 25 की 24.00 बीघा भूमि खातेदारीशुदा है। वादीया का कथन है उसकी कृषि भूमि के कि.न. 1, 10, 11, 20, 22 ता 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा व कि.न. 21 में 4 बिस्वा कुल 01.00 बीघा भूमि गैरमुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में दर्ज गैरमुमकिन रास्ता कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा मौके पर किसी प्रकार से काम में नहीं आ रही है ओर न ही इस रास्ते की आवश्यकता है व न ही रास्ते मौके पर चालू है। इसलिये कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ते को निरस्त किया जावे।

* वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को तलब किया गया परन्तु वाद प्रस्तुत के 2 वर्ष हो गये लेकिन तहसीलदार खाजूवाला द्वारा आज तक उक्त वादपत्र में जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये प्रतिवादी स्टेट का जबाब बन्द किया जाता है तथा वादीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद को वादपत्र के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिये वादीया के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद—पत्र को आदेश—6 नियम 12 सीपीसी के अनुसरण में इसी स्टेज पर निर्णय फरमाया जावे। वादीया के अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार फरमाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

* हमने रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीया के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

* उपनिवेशन क्षेत्र में नियमों में राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8(2) में रास्ते के सृजन के प्रावधान है। उक्त सृजन जन—सामान्य व सरकार के पक्ष में ही किया जा सकता है। उपनिवेशन क्षेत्रों में चक प्लान अनुसार दो—दो मुरब्बे छोड़कर किला वाईज किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 एवं

21 ता 25 में रास्ते कायम किये हुए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के मद्‌नजर खातेदार की जोत में से होकर रास्ता देने के किमतन प्रावधान है।

* राज्य सरकार की अधिसूचना 3(ख)12 3(ख)12/राज./कोलो./13, दिनांक 08.11.1973 के अनुसरण में सम्बधित उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कॉलोनी कंडीशन्स 1955 की शर्त 8(2) के तहत रास्तों के सृजन के लिये अधिकृत है। दौलतराम बनाम राजस्थान राज्य, 1988 RDD 699 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित प्राधिकारी न केवल रास्ते के अधिकार का सृजन करने के लिये सक्षम है अपितु उसे परिवर्तित या निरस्त भी कर सकते है। इसी प्रकार रामरख बनाम दौलतराम, 1992 RDD 340 में भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कि कायम रास्ता निरस्त किया जा सकता है तथापि उन काश्तकारों को जिनकी अभिधृति से होकर रास्ता जाता है ; सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया जाए।

* हस्तगत प्रकरण में समस्त चिपते मुरब्बों जैसे 177/5, 177/6, 177/7, 177/13, 177/15, 177/22, 177/23, 177/21 आदि के काश्तकारों के लिये रास्ते पूर्व से ही कायम है। अतः इस प्रकरण में चिपते काश्तकारों को उनके रास्ते की कोई परेशानी को सुनना आवश्यक नहीं है।

* लिहाजा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौके व रिकॉर्ड अनुसार कायम रास्ते की अनुपयोगिता के मध्यनजर चक 1 पीएचएम–ए के मु.न. 177/14 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन दर्ज रिकार्ड रास्ते की प्रविष्टि को विलोपित कर रकबा राज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को एतद्द्वारा दिये जाते है।

* तहसीलदार राजस्व खाजूवाला उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेना सुनिश्चित करे। डिग्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

बअदालत उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

रोशनी बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

जबाब दावा

श्रीमान जी,

प्रतिवादी का जबाब निम्न प्रकार है–

1. वाद –पत्र का पैरा संख्या 1 स्वीकार है
2. वाद–पत्र का पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार है
3. वाद–पत्र का पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है
4. वाद–पत्र का पैरा संख्या 4 में वर्णित तथ्य वादगत मुरब्बा नम्बर 177/14 के कि.न. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू नहीं होने तक स्वीकार है बाकी तथ्य अस्वीकार है।
5. वाद–पत्र का पैरा संख्या 5 में वर्णित तथ्य मुरब्बा नम्बर 177/6, 22, 30, 38 में प्रत्येक के कि.न. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू नहीं होने तक स्वीकार है बाकी तथ्य अस्वीकार है।
6. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
7. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
8. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 8 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है।
9. यह कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 9 में वर्णित तथ्य कानूनी है।

विशेष कथन

10. यह कि चक 1 पीएचएम ए का मु.न. 177/14 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर चालु नहीं है। यदि राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है तो वादगत गैरमुमकिन रास्ते की भूमि को राज्य हितों को ध्यान में रखते हुये [illegible] दर्ज किया जावे।

अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर श्रीमान [illegible] से [illegible] है कि प्रतिवादी का जबाब स्वीकार किया जाकर वाद वादी [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी

तहसीलदार राजस्व
खाजूवाला।

सत्यापन

मै प्रतिवादी जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है जबाब दावा के पैरा संख्या 1 ता 10 में वर्णित तमाम तथ्य रिकार्ड की जानकारी से सही व सत्य होना सत्यापित करता हुं। यह सत्यापन आज दिनांक
को बमुकाम खाजूवाला में किया है।

बअदालत उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

रोशनी बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

शपथ पत्र

मनके सुरजभान बिश्नोई पुत्र श्री जाति बिश्नोई वर्तमान में तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर के पद पर कार्यरत हूं जो निम्नलिखित तथ्य शपथपूर्वक बयान करता हूं।

1. यह कि जबाब दावा की पैरा संख्या 1 ता 10 में वर्णित तथ्य अपनी जानकारी व ज्ञान से सही–सही लिखे है।
2. यह कि शपथ पत्र को जबाब दावा का अभिन्न अंग एंव भाग पढा तथा समझा जावे।

उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मैने अपनी निजी जानकारी व ज्ञान से सही–सही लिखा है कुछ भी घटाया अथवा बढाया नहीं है।

शपथग्रहिता

तहसीलदार राजस्व
खाजूवाला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—

चन्दूराम पुत्र कुशालराम जाति जाट साकिन शेरपुरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :—

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी चन्दूराम पुत्र कुशालराम के नाम से चक 4 केएचएम के मु.न. 136/55 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि विशेष आवंटन में आंवटित हुई थी। आंवटन आदेश चन्दू पुत्र कुशलाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का पूरा नाम चन्दूराम व पिता का नाम कुशालराम है। इस संबध में प्राथी ने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड की प्रति मय शपथ पत्र संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी प्रार्थी चन्दूराम पुत्र कुशालराम जाति जाट निवासी शेरपूरा तहसील लूणकरणसर के नाम से चक 4 केएचएम के मु.न. 136/55 के कि.न. 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि के रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम चन्दू पुत्र कुशालाराम के स्थान पर चन्दूराम पुत्र कुशालराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

दर्शन सिंह पुत्र श्री बुड़ सिंह जाति जटसिख साकिन 19 केजडी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश दिनांक :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी व उसके सहिस्सेदारों के नाम से चक 19 केजेडी 'बी' के मु.न. 24/63 के कि.न. 1 ता 3 व 6 ता 25 में कुल 23.00 बीघा क./अ.क. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 29.10.91 को निरजन सिंह, अजायब सिंह, सुच्चा सिंह, दर्शन सिंह पिसरान बुड़ सिंह जाति जटसिख सा. 5 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज हुयी थी। जिसका नामा. स. 6 दिनांक 25.04.92 को स्वीकृतशुदा है जिसमे निरजन सिंह, अजायब सिंह, सुच्चा सिंह, दर्शन सिंह पिसरान बुड़ सिंह जाति जटसिख सा. 5 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। तदअनुसार प्रार्थी का नाम लगातार जब तक आधार जमाबन्दी बनी तब तक राजस्व रिकार्ड में चला परन्तु सम्वत 2063–66 से जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम पिछे छुट गया जिससे वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थी दर्शन सिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का नाम उक्त खरीदशुदा भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इस संबध में प्राथी ने पंजीयन की प्रतिलिपी व समस्त जमाबन्दी की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी दर्शन सिंह पुत्र बुड़ सिंह साकिन 15 पीपीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का नाम उक्त कृषि भूमि वाके चक 19 केजेडी 'बी' के मु.न. 24/63 के कि.न. 1 ता 3 व 6 ता 25 में कुल 23.00 बीघा क./अ.क. में बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

मोकम खां पुत्र हाजी मोती खां जाति मुसलमान साकिन चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

आदेश **दिनांक :–**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने दिनांक 17/05/1991 को चक 15 केवाईडी के मु.न. 117/58, 117/59, 117/51, 137/3 में कुल 25 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि जरिये बैयनाम अपनी पुत्रियों भाखा खातुन, जुले खां, जवाई खातुन, मरियम खातुन, फता खातुन, गावर खातुन के नाम से मांगीलाल पुत्र सुल्तान जाति छिम्पा से करवाई गई थी। लेकिन उस समय नाम उच्चारण में गलती रहने से उक्त सभी पुत्रियों के नाम में सहवन से गलती रह गई जिसमें भाखा खातुन के स्थान पर बाखा, जुलेखा खातुन के स्थान पर जुले खां, जवाई खातुन के स्थान पर अल्ला जवाई, मरियम खातुन के स्थान पर हुरमन खातुन, फता खातुन के स्थान पर पता खातुन, गावर खातुन के स्थान पर जनत खातुन दर्ज रिकार्ड हो गयी। जिसे प्रार्थी शुद्व करवाना चाहता है। इस संबध में प्राथी ने पंजीयन की प्रतिलिपी, जमाबन्दी, आधार कार्ड की प्रति संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की पुत्रियों के नाम में बाखा के स्थान पर भाखा खातुन, जुले खां के स्थान पर जुलेखा खातुन, अल्ला जवाई के स्थान पर जवाई खातुन, हुरमन खातुन के स्थान पर मरियम खातुन, पता खातुन के स्थान पर फता खातुन, जनत खातुन के स्थान पर गावर खातुन दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक   को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

भवानी सिंह पुत्र श्री अम्बादान जाति चारण साकिन देशनोक तहसील व जिला बीकानेर।

..... अपीलांट

बनाम

1. इन्द्र सिंह पुत्र अम्बादान जाति चारण साकिन देशनोक तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. ग्राम पंचायत सरपंच माधोडिग्गी खाजूवाला।

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1975

–: निर्णय :– दिनांक :– 2019

अपीलांट भवानी सिंह पुत्र श्री अम्बादान जाति चारण साकिन देशनोक जिला बीकानेर ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम से चक 20 पीकेडी के मु.न. 183/29 का कि.न. 1 ता 25 में 24.10 बीघा भूमि कमाण्ड खातेदारी थी जिसमें से अपीलांट ने 12.05 बीघा भूमि का दान पत्र दिनांक 20.02.2017 को बड़े भाई इन्द्रसिंह पुत्र श्री अम्बादान जाति चारण निवासी देशनोक तह. व जिला बीकानेर के पक्ष में करवा दिया था। जिसका इन्द्राज करते समय पटवारी हल्का द्वारा सहवन से 12.05 बीघा के स्थान पर 24.10 बीघा दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया। अपीलांट ने निवेदन किया है कि पटवारी द्वारा दर्ज इन्तकाल सं. 62 जो कि सहवन से 12.05 बीघा के स्थान पर 24.10 बीघा दर्ज रिकार्ड हो गया को दुरूस्त करवाना चाहता है। इस संबध में अपीलांट द्वारा दान–पत्र की प्रति मय शपथ पत्र संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात दान–पत्र, इन्तकाल आदि का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा किये गये दान–पत्र का इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा सहवन से 12.05 बीघा के स्थान पर 24.10 बीघा दर्ज हो गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा चक 20 पीकेडी के मु.न. 183/29 की कृषि का इन्तकाल संख्या 62 निरस्त किया जाकर दान–पत्र दिनांक 20.02.2017 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक ....2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh
Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 30/2018

शीशपाल सिंह पुत्र श्री हरचन्द जाति जाट निवासी 6 सी. जेएनवी कॉलोनी बीकानेर हॉल आबाद चक 2 केवाईएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज. .....

वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील राजगढ जिला चुरू।
2. बाबु सिंह } पुत्रगण मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 25 केवाईडी
3. मलकीत सिंह } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजियक खाजूवाला
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला

....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश **दिनांक :— ....**

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र में चाहा गया अनुतोष कॉज ऑफ एक्शन के अभाव एवं क्षेत्राधिकार के बाहर पेश किया गया है। चूंकि वादगत अभिवचन व अनुतोष ईकरारनामा से संबधित है तथा एक खातेदार के खिलाफ इस प्रकार का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं चल सकता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में लिखा कि उक्त विषयवस्तु बाबत पूर्व में भी माननीय न्यायालय में वाद खारिज हो चुका है तथा जिस इकरारनामा के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है उसके इकरारकर्ता हेमराज का वाद माननीय उच्चतम न्यायालय से खारिज हो चुका है। अतः उक्त करार का कोई औचित्य नहीं है। उक्त वाद सारहीन व महज परेशान की नियत से किया गया है जो कि खारिज योग्य है। जिसके आधार पर वादी का वाद न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद—पत्र में वादी के अधिवक्ता सीताराम खीचड़ ने बताया कि हेमराज पुत्र श्री हरचन्द ने जरिये इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 26.02.1991 को चक 2 केवाईएम [illegible] 336/40 के कि.न. 1 ता 25 की 25.00 बीघा <u>कमाण्ड/ अनकमाण्ड</u> कृषि भूमि [illegible] की पीओआर उससे वादी ने दिनांक 12.10.2018 को जरिये इकरारनामा खरीद [illegible] थी। चूंकि अब दिनांक 13.10.18 को उक्त वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण [illegible] दखल करने की धमकी दी तो वाद पेश कर वादी के नाम रेगुलाईज करने का अनुतोष मांगा गया। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न निर्णयों का अवलोकन किया गया। जिसमें हेमराज का सिविल वाद अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 द्वारा दिनांक 23.02.2005 को खारिज किया गया उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2006 से दावा खारिज किया गया ओर तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने 27.09.2018 को हेमराज की अपील खारिज कर दी ओर उसके बाद बावजूद जानकारी हेमराज ने उक्त भूमि का करार वादी के साथ दिनांक 12.10.2018 को किया। जो कानूनन सही नहीं था।

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि उक्त वाद भूमि बेचान से संबधित है ओर इकरारनामा से अनुतोष लेने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही है। ऐसी स्थिति उक्त वाद न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुये प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिग्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—

1. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व सुखाधिकार अधिनियम

आदेश दिनांक :— ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम के कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है और चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 18 केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने—जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क अलदीन जाती है जिससे चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6 पक्की सड़क के चिपता है उससे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा ग्रेवल सडक चालु है तथा उस[illegible] मुरब्बे पर उतर से दक्षिण लिंक सड़के है जो पुरे चक को आप[illegible]मन का साधन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का कथन है कि चारों चकों एवं ढाणियों की पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो [illegible]ग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30—35 वर्षो स`चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी

बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की मांग सरंपच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है। इस प्रकार रास्ता कटान का अनुतोष चाहा गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 के वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. प्रकरण संख्या 02/19 के साथ सुनवाई में लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थीगण के नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है तथा साथ ही अप्रार्थीगण का लिखित करार भी पेश किया गया है। जिससे यह तो साफ ही जाहिर है कि रास्ते के लिये भूमि पर मालिकाना हक छोड़ दिया था। उक्त करार पर तत्कालीन सरपंच व मौजूद गवाहों के भी हस्ताक्षर है तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं दिनांक को मौका मुआयना किया तो पाया कि मौके पर रास्ता उपरोक्तानुसार चलायमान है। मु. न. 98/58 के कि.न. 5 में सरकारी विद्यालय भी बना हुआ है जिसका उक्त मुख्य द्वारा उक्त सड़क पर है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि उक्त रास्ता 20–25 वर्षों से चल रहा है जिससे आस–पास की ढाणियों के वासीन्दों व 2–3 चकों के काश्तकारों का मुख्य पक्की सड़क पर आने का एकमात्र यही रास्ता है। रास्ता मौके पर आवागमन के लिये चल रहा है इसकी जानकारी रहते हुये भी अप्रार्थी ने एक वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. (02/19) पेश किया तो प्रार्थीगण ने जबाब के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य [illegible] रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड में कटान नहीं होने की वजह से विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06. 2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 ता 4 व 6 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा व कि.न. 5 में घुमाव 4 बिस्वा रास्ता चालु खरंवजा सड़क पूर्व से पश्चिम व कि. न. 5, 6 में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गैर–मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन ओडकी हाल आबाद चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री भूपेन्द्र सिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– ....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला के मु.न. 98/58 के कि.न. 2 ता 9 सालम कि.न. 12 में 09 बिस्वा, कि.न. 13 ता 15, 17, 18 सालम, कि.न. 23 में 08 बिस्वा कुल 12.11 बीघा कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जिस पर प्रार्थी लम्बे अर्से से ढाणी बनाकर सपरिवार रह रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 भूमाफिया व्यक्ति है जिन्होने एक साथ मिलकर दिनांक 30.09.2018 को प्रार्थी के रकबा के कि.न. 2 ता 5 में अनाधिकृत प्रवेश कर, खड़ी फसल को नष्ट कर जेसीबी मशीन से भूमि में खड्डे कर मिट्टी डालने लग गये तथा जबरन रास्ता बनाने लग गये जबकि प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का स्वीकृत व चालु रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में ओर ना ही मौके पर चालु है। अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की तरफ से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थीगण के नाम के कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है। जिसमें आने–जाने के लिये प्रार्थी व उसके भाई के खेत चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 से जाना पड़ता है जो पक्की सड़क के लगता है। जिस पर 30–35 वर्षो से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी ने 2001 में उक्त भूमि मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि. न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है तथा उस पर विद्यालय भी बना हुआ है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते को संकरा कर दिया है। जबकि डामर सड़क 14–15 फिट मय बरम बन रही है। बेवजह प्रार्थी विवाद खड़ा कर रहा है। प्रार्थी ने रास्ते की भूमि तक की खातेदारी अधिकारों का अवसान 2001 में कर दिया था तथा प्रार्थी को कोई सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता है। अप्रार्थीगण ने धारा 251 'क' का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर दिया है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने के इस्तदुआ की गयी है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि है जिसमें रास्ता कटान नहीं है। बिना रास्ता कटान मेरी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुरजोर विरोध किया और बताया कि चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 18 केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने–जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क अलदीन जाती है जिससे चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6 पक्की सडक के चिपता है उससे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा ग्रेवल सडक चालु है तथा उससे हर दो मुरब्बे पर उतर से दक्षिण लिंक सड़के है जो पुरे चक को आपस में जोड़ती है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है। चारो चकों एवं ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30–35 वर्षों से चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा [illegible] केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की मौ[illegible] सरपंच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार कि[illegible] जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है और प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही मौके पर कोई काश्त है। मौके पर रास्ता चल रहा है और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय अप्रार्थीगण को है। चूकिं अपने खेत में आवागमन का केवल एकमात्र रास्ता है और निरन्तर 30—35 वर्षो से सुखाधिकार के रूप में प्रयोग ले रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड में कटान नहीं होने की वजह से विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06.2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही काश्त है। मौके पर जब रास्ता चल रहा है और प्रार्थी ने लम्बे अरसे बाद उक्त रास्ते को बन्द करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। वह प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत् अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:— दिनांक :— 2019

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर [illegible] हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष सुविधा के संतुलन को स्वीकार किया गया था। मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है। प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र कमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 12/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. प्रकाश देवी पत्नि धर्मपाल जाति कुम्हार साकिन सुरावाली तहसील पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत् अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:— दिनांक :— 2019

यह वादपत्र माननीय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अन्तर्गतदिनांक 01.02.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण संख्या 12/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया द्वारा उसके नाम खातेदारी भूमि वाके चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 के कि.न. 1 ता 14 में अवैध खनने करते पाया गया। इस प्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। यह कि आवंटी को भूमि का आंवटन कृषि कार्य के लिये किया गया था। अवैध रूप से जिप्सम खनन करने के लिये नहीं किया गया था। यह कि प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीया स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थीया खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

प्रतिवादीया की तरफ से जरिये अधिवक्ता दिनांक 30.01.19 को जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीया का कथन है कि प्रतिवादीया के नाम से चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 के कि.न. 1 [illegible] तादादी 14.00 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा एवं खातेदार है जो एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है। प्रतिवादीया का कथन है कि उसने लाखों रु. खर्च कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा ढ़ाणी बनाकर मय पशुधन आवास कर रही है। प्रतिवादीया एक अनपढ महिला है जिसने उचित प्रतिफल देकर खरीद की थी जो तब से आज तक उसी स्वरूप में है। पूर्व खातेदार द्वारा सिचांई डिग्गी का निर्माण किया था, जिसके कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

भूमि उबड़–खाबड़ हो गई। प्रतिवादीया का कथन है कि उक्त वाद–पत्र को बिना किसी सत्यापन के पेश किया गया है ओर ना ही 80 सीपीसी का कोई हवाला दिया गया है। अतः वाद–पत्र में नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है। प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र कमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– सं
दीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80/2016

1. मदनलाल पुत्र श्री हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी चक 3 पी.एच.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. भीमसेन पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी छापनबड़ी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:आदेश:– **दिनांक :– 2019**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से चक नं. 3 पीएचएम 'ए' के मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 की तादादी 24.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 13 केएलडी के मु.न. 179/25 के कि.न. 1 ता 25 की तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। प्रार्थी ने अपने रकबा मु.न. मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 बीघा कृषि भूमि में ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व काश्त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के मु.न. 179/25 के कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता है जिसे प्रार्थी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा है जो कटानशुदा रास्ता से मेरी ढाणी तक जाता है। अब कुछ दिन पहले अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी की अनबन हो गई तो अप्रार्थी सं. 1 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ते में खाई खोद दी व बाड़ लगा दी। जिसको मैंने मुश्किल से हटाया। जब भी अप्रार्थी सं. 1 के मन में आती है तो मेरा रास्ता बन्द कर देता है। उक्त रास्ते के अलावा मेरी ढाणी में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करता है व मनमर्जी से रास्ता बाधिक कर देता है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करना आवश्यक है । अतः प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 13 केएलडी 'ए' का मु.न. 179/25 में कि.न. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कृषि भूमि जिसका आसा–पासा नजरिया नक्शा में दर्शाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अंकन करने के आदेश अप्रार्थी सं. 2 को दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 25.07.17 को उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सहमति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष में वर्णित रकबा में स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होना बताया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के तहत चालू रास्ते को स्वीकृत करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया है जो कि धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधानों से सुसंगत नही है। धारा 251 'ए' में नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने के ही प्रावधान है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80/2016

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता अंकन

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से चक 7 केएलडी प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से चक नं. 3 पीएचएम 'ए' के मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 की तादादी 24.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 13 केएलडी के मु.न. 179/25 के कि.न. 1 ता 25 की तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है। प्रार्थी ने अपने रकबा मु.न. मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 बीघा कृषि भूमि में ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व काश्त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के मु.न. 179/25 के कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता है जिसे प्रार्थी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा है जो कटानशुदा रास्ता से मेरी ढाणी तक जाता है। अब कुछ दिन पहले अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी की अनबन हो गई तो अप्रार्थी सं. 1 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ते में खाई खोद दी व बाड़ लगा दी। जिसको मैंने मुश्किल से हटाया। जब भी अप्रार्थी सं. 1 के मन में आती है तो मेरा रास्ता बन्द कर देता है। उक्त रास्ते के अलावा मेरी ढाणी में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करता है व मनमर्जी से रास्ता बाधिक कर देता है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करना आवश्यक है । अतः प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 13 केएलडी 'ए' का मु.न. 179/25 में कि.न. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कृषि भूमि जिसका आसा–पासा नजरिया नक्शा में दिखाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अंकन करने के आदेश अप्रार्थी सं. 2 को दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 25.07.17 को उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] समें अंकित किया है कि उनकी सहमति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से [illegible] प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष में वर्णित रकबा में स्वीकृतशुदा रास्ता न[illegible]ना बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बंशीलाल को मु.न. 69/43 में आने–जाने के लिए कटानशुदा रास्ता नहीं है। वादी बंशीलाल को उक्त भूमि में आने–जाने के लिए इसी मु.न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है। अवादी दिनांक 31.05.2016 को उपस्थित आने के बाद आदिनांक तक असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं हुआ है। जिससे जाहिर होता है कि वादी को उक्त प्रकरण का ध्यान होते हुए भी उपस्थित नहीं आया है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 से इस न्यायालय में विचाराधिन है तथा वादी पक्ष इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण चाहता है क्योंकि उसे अवादी अपने धारण की मु.न. 69/43 के कि.न. 5 में 2 बिस्वा में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है। हमने नक्शे चक प्लान का अवलोकन किया तथा हम वादी के कथन से संतुष्ट है। वादी के द्वारा कि.न. 5 में 2 बिस्वा रास्ते की मंजूरी चाही गई है। यदि वादी अवादी से चिपते हुए किसी किले में इस रास्ते के तुल्य क्षेत्र की अवादी को भूमि देता है तथा लिखित दस्तावेज निर्णय के 30 दिवस में पेश करता है तो भूमि गैर मुमकिन दर्ज नहीं की जावे।

यदि उभय पक्ष 30 दिवस में ऐसा लिखित समझौता प्रस्तुत नहीं करते है तो अवादी की भूमि में से चाहा गया रास्ता दो बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता इस शर्त पर दर्ज किया जावे कि वादी ने दो बिस्वा भूमि के डीएलसी मुल्य से दुगुनी कीमत राजकोष में अमानत मद में जमा करा दी है। यह कार्यवाही आदेश के 30 दिन पुरा होने के बाद प्रभावी होगी। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें तथा यदि प्रथम भाग की पालना उभय पक्ष द्वारा नही की जाती है तो अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक ....05.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश सहारण),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 58/2019

ग्रांम पंचायत कुण्डल जरिये सरपंच ग्रांम पंचायत तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट.

आदेश दिनांक :– 2019

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत कुण्उल के चक 7 केएलडी के मु.न. 17/10 व 17/11 में राजस्व आबादी 7 केएलडी बसी हुई है तथा इसी चक के मु.न. 17/02 व 17/03 में नर्सरी बनी हुई है। यह है कि चक 7 केएलडी के मु.न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 3–3 बिस्वा सड़क चल रही है जो कि चक 7 केएलडी से ग्रांम पंचायत 5 केवाईडी, 8 केवाईडी, 22 केवाईडी तक सीधा जोड़ते हुये हर एक मुरब्बे में कटान चला आ रहा है। जबकि मु.न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 में रास्ता तो पिछले 40 वर्षों से चल रहा है लेकिन आज तक राजस्व रिकार्ड में कटान दर्ज नहीं है। अगर इस रास्ता की 15 बिस्वा सड़क कटान दर्ज हो जाती है, तो श्रीगंगानगर से बीकानेर की 10 पंचायतों को जोड़ने वाला मार्ग बन जाएगा तथा यह ग्रांम आबादी चक 3 केएलडी, 5 केएलडी, 6 केएलडी, 6 एसजेएम, 5 एसजेएम के मध्यान्तर की राजस्व ग्रांम आबादी है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम आबादी 7 केएलडी के मु.न. 17/03 की 15 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की और से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत कुण्डल के चक 7 केएलडी के मु.न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 में मौके पर चालू रास्ता एवं चक 6 केएलडी ए के मु.न. 237/59 में कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 3–3 बिस्वा डामर सड़क बनी हुई है। उक्त चालू शुदा रास्ता वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सिवाय चक नाकाबिल काश्त रास्ता दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने पर न्यायालय का मत है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.20[illegible] पालना में तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिये जाते है कि ग्रांम [illegible] के चक 7 केएलडी के मु. न. 17/03 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 3[illegible] बिस्वा रास्ता नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 08/2019

1. जसविन्द्र कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि जंगीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 43 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेवकौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि करनैल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 44 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवीर कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि नाजम सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक 44 एफ, बडीगा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सतपाल सिंह
2. जसपाल सिंह
3. सुखपाल सिंह

} पिसरान बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. ए तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. वीरा कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नि बलवीर सिंह, पत्नि मिलावाराम जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक कच्ची थेडी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदेव कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नी बलवीर सिंह, पत्नि बलवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन चक 28 बी.डी. हाल चक लम्बी ढाब तहसील मुक्तसर, पंजाब।
6. ग्रांम पंचायत 2 के.डब्ल्यू.एम. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक :— 29.11.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया। अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। अपीलान्ट की माता [illegible] नाम चक 28 बी.डी. ए के मु.न. 37/17 के कि.न. 6, 7, 15, 16, 23, 24 तादादी [illegible] 00 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी शुदा थी। माता का देहान्त दिनांक 08.11.09 को हो गया। अपीलान्ट लगभग 11–12 सालो से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट अनपढ काश्तकार होने से राजस्व रिकार्ड की तरफ कभी ध्या नही नही दिया और जो कागजात पास में थे उनको ही अंतिम माना ओर खेती करते रहे। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपीलान्ट के घरेलु नाम के वारिस प्रमाण पत्र बनाकर इकतरफा तौर पर उक्त जैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील आदेश पारित करवाकर अपने नाम सही विरास्तन दर्ज करवा ली जबकि उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट संख्या 1 का नाम रिकार्ड में छिन्दौकौर, अपीलान्ट संख्या 2 का नाम इकबाल कौर, अपीलान्ट संख्या 3 का नाम छोटोकौर और रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का नाम वीरा कौर, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 का नाम प्रीतोकौर जो बोलचाली का घरू नाम मुताबिक जैर अपील आदेश दर्ज करवा लिया जबकि सही नाम रिकार्ड मुताबिक शीर्षक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने जानबुझकर गलत नाम दर्ज करवा दिया और अपने नाम सही दर्ज करवा अपीलान्ट के हको पर कुठाराघात किया है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर न्यायालय का जैर अपील आदेश इ.स. 116 दिनांक 21.10.15 को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम मुताबिक शीर्षक व दस्तावेज इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करे ताकि अपीलान्ट को न्याय मिल सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उपभपक्ष सुनी गयी। बहस उभयपक्ष सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन करने पर न्यायालय का मत है कि अपीलान्ट के नाम घरू नाम के हिसाब से रिकार्ड में अंकित हो गये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चक 28 बी.डी. ए के मु.न. 37/17 का इन्तकाल संख्या 116 दिनांक 21.10.15 निरस्त किया जाकर तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि उभयपक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 64/2015

पोलाराम पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1. रिछपाल सिह पुत्र श्री हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
2. करणी सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लूणासर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
3. उप पंजियक खाजूवाला
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश **दिनांक :— 29.11.19**

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र में चाहा गया अनुतोष कॉज ऑफ एक्शन के अभाव एवं क्षेत्राधिकार के बाहर पेश किया गया है। वाद में वर्णित भूमि चक 17 केवाईडी 'ए' के मु.न. 116/16 के कि.न. 1 ता 17 की कुल 17.00 बीघा भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसमें अप्रार्थी/वादी पोलाराम और अन्य का कोई भी सरोकार नहीं है। अतः अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी/वादी श्री जयवीर सिंह ने आदेश 7 नियम 11 में जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद किसी भी प्रकार से बार्ड बाई लॉ नहीं है तथा वाद में वर्णित भूमि जरिये इकरारनामा पोलाराम द्वारा खरीदशुदा है व विधिक रूप से काबिज काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, जबाब प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेज का गहन अवलोकन व अध्ययन करने पर न्यायालय का मतह‍ै कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 रिछपाल सिंह द्वारा धारित भूमि चक 17 केवाईडी 'ए' के मु.न. 116/16 के कि.न. 1 ता 17 [illegible] तादादी 17.00 बीघा भूमि उसकी खातेदारी भूमि है। जिस पर अप्रार्थी/वादी का [illegible] का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 29.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 69/2013

1. सतपाल सिंह उम्र 12 वर्ष } पिसरान नोखा सिंह पौत्र धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह
2. सन्दीप सिंह उम्र 10 वर्ष } साकिन चक 1 केजेडी तहसील खाजूवाला जरिये कुदरतीवली माता कर्मजीत पत्नि नोखा सिंह।

.....वादीगण

बनाम

1. धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह पुत्र सरदार सिंह } जाति मजबी सिक्ख निवासीगण
2. नोखा सिंह पुत्र धर्मसिंह उर्फ हाकम सिंह } चक 1 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप पंजियक खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 14.01.2020**

यह वादपत्र वादीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पड़दादा कि भूमि व सम्पति को वादीगण के दादा ने संयुक्त परिवार के मुखिया के नाते विक्रय कर वादगत भूमि के मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 25 व मु.न. 99/16 के कि.न. 24,25 की कुल तादादी 25.10 बीघा भूमि चक 1 केजेडी (ए) में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण का हक जन्म से निहित है। वादीगण की माता व पिता के मध्य विवाद चल रहा है जिसके संबध में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घड़साना में एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भा.द.स. जैरकार है। वादीगण के दादा ने मुताबिक पंचायती बंटवारा व समझौता के वादगत भूमि में से उनका हिस्सा पृथक बांटकर दिया था जिसके अनुसार कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13 व 20, 21 कुल 10.02 बीघा भूमि का कब्जा वादीगण को सौंप दिया था जिसमें वादीगण की 2 बुआ मंजीत कौर व कर्मजीत कौर का हिस्सा भी था। इन दोनों ने वादीगण के पक्ष में अपना–अपना हिस्सा छोड़ दिया था जिसमें पूरे परिवार की रजामंदी व सहमति थी। यह कि उक्त बंटवारे के बाद वादीगण ने अपना हिस्सा पांति कि भूमि पर काबिज होकर कड़ी मेहनत व काफी रूपया खर्च कर भूमि सुधार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को खेती योग्य बनाया था तथा वादीगण समय–समय पर लगान आदि राजकोष में जमा करवाते रहे है। यह कि वादीगण की माता व पिता दोनों अलग–अलग रहते है जिस पर जिस कारण प्रतिवादी सं.1 ता 2 ने 3–4 के साथ षडयंत्र रचकर वादीगण की कब्जा काश्तशुदा भूमि येन–केन विक्रय करने पर आमादा है। जबकि बगैर खाता विभाजन उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि इस आशय की घोषणा की जावे कि वादीगण की कब्जेशुदा भूमि वाके चक 1 केजेडी (ए) के मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 25 व मु.न. 99/16 कि.न. 24, 25 की कुल तादादी 25.10 बीघा में से मु.न. 100/9 के कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 20, 21 कुल 10.02 बीघा का वादीगण को पारिवारिक समझोते/पंचायती एंव वाहमी बंटवारे अनुसार दादा कि उक्त सम्पति का पिता के हको तक अधिकारी खातेदारी घोषित कर भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वकील प्रतिवादीगण को उचित अवसर प्रदान करने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर वकील वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। जिसमें वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार अनुतोष प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि से वादीगण के मध्य बंटवारा किया जाता है कि वादीगण में से प्रत्येक को दादा की सम्पति में से 1/7 में से 1/3 हिस्सा निहित उक्त बंटवारे के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला को दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

1. वरीयम खां पुत्र नाजु खां जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. 2/1 कमालो बेवा नाजू खां व 2/2 जन्नत,
3. 2/3 मन्नत, 2/4 मुरादा, 2/5 वरीयम खां, 2/6 खानूखां, 2/7 बसीर, 2/8 बसीदा पुत्र/पुत्री नाजू खां जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

......

वादीगण

बनाम

1. करीम खातुन बेवा नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. बकेखां पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. गफार पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. मंजुरा पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. सरवर पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. सलामत पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. जुबैदा पुत्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. सुभान खां पुत्र अमीर खां जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. रहीमा पुत्री अमीर खां जाति मुसलमान साकिन चक 14 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. राजेन्द्र कौर......जसपाल सिंह जाति रामगढिया साकिन वार्ड नं0 3 दन्तौर तहसील जिला बीकानेर।
11. जम्मो बेवा फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. आशा खातुन पुत्री फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
13. हसन खां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
14. आशक खां पुत्र फैज मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन चक 13 केएचएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
15. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की ओर से।
3. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 8 ता 10 की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक.................
..

उपरोक्त अनवान दावा वादीगण अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत ने अन्तर्गत धारा 188,88 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया है। वाद का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा अल्लाबक्स के नाम दन्तौर बारानी के खसरा नं0 105 में 51.17 बीघा, खसरा नं00 106 में 163.10 बीघा एवं खसरा नं0 212 में 118.18 बीघा कुल तादादी 334.18 बीघा भूमि अमीर खां, फैज मोहम्म्द , नूर मोहम्म्द व मिराज के दर्ज रही है। अल्लाबक्स व उसके पुत्र मिराज के फौत होने के बाद उक्त भूमि अमीर, फैजू, नूर मोहम्म्द पुत्र अल्लाबक्स व फरीदा, गुलामनबी , नाजू पुत्र मिराज के नाम दर्ज हो गई। बाद में गुलाम नबी नाबालिक फौत हो गया और फरीद लाऔलाद था जिसने वरीयम खां के नाम वसीयत कर दी। उक्त भूमि चक प्लान आने से खसरा सं0 105 व 106 की कुल 215.07 बीघा चक 13 केएचएम व 14 केएचएम तथा खसरा सं0 212 की 119.11 चक 6 केएचएम में फीट हुई। वादगत भूमि के खसरा सं0 105 व 106 की तादादी 215.07 बीघा से मुताबिक चक प्लान चक 13 केएचएम के मु0न0 19/48, 19/56, 19/40, 19/64, 20/41, 20/49, 20/33 में तादादी 87.10 बीघा व चक 14 केएचएम में मु0न0 19/32, 19/24, 20/17, 20/25, 19/16, 20/1, 20/2, 20/9 में तादादी 117.12 बीघा कुल तादादी 205.02 बीघा कमाण्ड/अनकमा[illegible] भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कागजात हुई तथा [illegible] 212 [illegible] 119.11 बीघा चक 6 केएचएम में फिट हुई। समस्त रिकार्ड [illegible] फैजू के जिम्मे थी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

नाजू अनमढ था और पशु–पालन में ही ध्यान रहा चूंकि सन् 2000 तक वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार का हिस्सा रहे और पारिवारिक सहमति व समझौते से सन् 1980 से ही चारो भाईयों में प्रत्येक को 53.16 के हिसाब से वाहमी बंटवारा कर अपनी–अपनी भूमि पर काबिज रहे लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के पिता नूरमोहम्मद ने उपनिवेशन विभाग में साठ–गांठ कर बिना मौका निरीक्षण, बिना वादीगण के नाम चक 13 केएचएम के मु0न0 19/40 में किला नं0 2 ता 25 की तादादी 23.10, 19/48 के किला नं0 1,10,11 तादादी 03.00 बीघा, 20/33 में किला नं0 1 ता 5, 10 तादादी 06. 00 बीघा कुल तादादी 32.10 बीघा व चक 14 केएचएम के मु0न0 19/32 के किला नं0 6,7,14 ता 17, 24 ता 25 तादादी 07.16 बीघा कुल तादादी 50.06 बीघा दर्ज हुई तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के पिता नूरमोहम्मद के नाम चक 14 केएचएम के मु0न0 19/24 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 25 तादादी 17.10 बीघा, मु0न 19/32 के किला नं0 8 ता 13, 18 ता 23 तादादी 11.14 , मु0न0 20/17 के किला नं0 1 ता 23 तादादी 23.00 बीघा, मु0न0 20/25 के किला नं0 1,10,11,20 तादादी 04.00 बीघा कुल तादादी 56.04 बीघा दर्ज हुयी जो उसके फौत बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम विरासतन दर्ज हो गयी तथ प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पिता अमीर खां के नाम चक 14 केएचएम के मु0न0 19/16 के किला नं0 6 ता 8,13 ता 18, 22 ता 25 तादादी 12.12 बीघा, मु0न0 19/24 किला नं0 10 ता 11 तादादी 02.00 बीघा, मु0न0 20/1 के किला नं0 16, 25 तादादी 02.00 बीघा, मु0न0 20/2 के किला नं0 5 ता 7 तादादी 03.00 बीघा, मु0न0 20/9 के किला नं0 2 ता 25 तादादी 24.00 बीघा कुल तादादी 43.12 बीघा दर्ज हुयी । इसमें मु0न0 20/10 की 07.00 बीघा भूमि को अमीरखां ने सहमति से अपना हिस्सा पहले बेचान कर दिया । उसके फौत बाद प्रतिवादी सं0 8 व 9 के नाम दर्ज हुयी जिसमें प्रतिवादी सं0 9 ने कुछ हिस्सा 10 को बैय कर दी। इसीप्रकार प्रतिवादी सं0 11 ता 14 के पिता फैजूखां के नाम चक 13 केएचएम के मु0न0 19/48 के किला न0 6 ता 9, 12 ता 25 तादादी 17.10 बीघा, मु0न0 19/56 के किला नं0 6 ता 25 तादादी 19.10 बीघा, मु0न0 [illegible]/64 के किला नं0 10 तादादी 01.00 बीघा, मु0न0 20/41 के किला नं0 2 ता [illegible] तादादी 03.12 बीघा, मु0न0 20/49 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 15 तादादी 12.00 कुला तादादी 55.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज कागजात हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बंटवारा केवल कागजी रहा मौके पर स्थिति भिन्न रही जिसमें वादीगण चक 14 केएचएम के मु0न0 19/32 के किला नं0 6,7,14 ता 17, 24 ता 25 तादादी 07.16 बीघा, मु0न0 20/25 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 13 तादादी 10.00 बीघा तादादी 17.16 बीघा तो कब्जे में थी व आजदिनांक तक है जबकि वादीगण के कब्जे में वाहमी बंटवारा सन् 1980 से चक 14 केएचएम के मु0न0 19/32 के किला नं0 8 ता 13, 18 ता 23 तादादी 11.14, मु0न0 20/17 के किला नं0 1 ता 23 तादादी 23.00 बीघा, मु0न0 20/25 के किला नं0 1,10,11,20 तादादी 04.00 बीघा तादादी 38.14 बीघा पर पर लगभग 38–39 सालो से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त है जबकि उक्त रकबा रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज है। वादीगण ने काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है सिंचाई सुविधा वादीगण को प्राप्त है पानी की पर्ची वादीगण के नाम है, मौके पर पक्की ढाणी व ट्यूबवैल (जिनके मौका फोटो संलग्न वाद है) बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहे है एवं समस्त भूमि वादीगण के उपयोग–उपभोग में है। वादीगण अनपढ काश्तकार होने से राजस्व रिकार्ड कि तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया और जो कागजात पास में थे उनको ही अंतिम माना और खेती करते रहे और रिकार्ड व मौका कब्जा में भिन्नता रही चूंकि जो रकबा चक 13 केएचएम का वादीगण के नाम था उस पर प्रतिवादी सं0 8 ता 9 काबिज है ओर प्रतिवादी 8 ता 9 का जो रकबा रिकार्ड में दर्ज है उसपर प्रतिवादी सं0 1 ता 7 काबिज काश्त है और उसी अनुरूप सभी ने खेत में ढाणी व मकान बना रखे है तथा निरन्तर लगभग 40 वर्षों से काबिज काश्त है तथा नूरमोहम्मद ने इकतरफा तोर जो खाता तक्सीम करवाया था वह बाई मिट्स एंड बाउण्ड नहीं था ओर ना ही कब्जा काश्त अनुसार व हिस्सों का निर्धारण भी गलत हुआ जिसमें एक खातेदार के 56.00 बीघा तो एक के 50.00 बीघा तो किसी के 55.00 बीघा रिकार्ड में दर्ज करवा दी जबकि प्रत्येक हिस्सेदार को 53.16 बीघा का खातेदारी अधिकार मिलना चाहिये था। इसी दौरान प्रतिवादी सं0 8 ता 9 ने कुछ रकबा अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी सं0 10 को बेचान कर दिया तो जो कतई उचित नहीं था। चूंकि बिना कब्जा भूमि का बैयनामा नहीं हो सकता ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

बैचानशुदा भूमि प्रतिवादी सं0 1 ता 17 काबिज काश्त है और जब प्रतिवादी सं0 10 मौके पर कब्जा लेने आये तो विवाद बढा और प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने वादीगण को धमकी दी की हमारी कब्जेशुदा जमीन बेचान हो गयी है हम भी हमारे रिकार्ड की भूमि का बेचान करेंगें। इसी धमकी से वादीगण के हक–हकुकों एवं कब्जा काश्त पर आक्रमण हुआ है और वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वो ऐसी स्थिति में वादगत भूमि की कब्जा काश्त अनुसार फिटिंग दुरस्ती करवा वादीगण अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है जिसके लिए जरिये वाद पत्र अनुतोष चाहा गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तलवी होने पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये और प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश किया और बताया कि उपरोक्त अनवान का एक प्रकरण 06–03–19 को न्यायालय में पेश किया गया था और बताया गया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण पूर्व में नाजू खां बनाम नूर मोहम्मद मु0सं0 14/95 एसीसी छतरगढ़ में पेश किया जो खारिज किया गया है तथा नूर मोहम्मद बनाम फैज मोहम्मद वगैरह का दावा माननीय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर वाद सं0 38/81 में निर्णय 09.11.1983 की अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में की गई जो मियाद के बिन्दू पर निरस्त कर दी गई। वादी द्वारा एक ही जमीन पर उसी प्रतिवादीगण पर दुबारा दावा पेश किया है। जो धारा 11 सीपीसी के तहत पूर्व न्याय से बाधित है खारिज फरमाया जावे एवं वादीगण/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0पत्र का जवाब देकर प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रा0 पत्र के समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए बताया कि वर्तमान वाद फिटिंग दुरस्ती एवं कब्जे के आधार पर घोषणा का है। चूंकि वादगत भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है तथा ढाणी बना रखी है। पानी पर्ची वादीगण के नाम है तथा वादगत प्रकरण पूर्व प्रकरण समान नहीं है। पक्षकार समान नहीं और अनुतोष व जैरकार रकबा भी भिन्न है। प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी/प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0पत्र के कथनो को दोहराते हुए प्रा0पत्र स्वीकार कर दावा रेस ज्यूकेटा के तहत खारिज करने का निवेदन किया । साथ ही बताया कि रेवेन्यु बोर्ड में भी प्रकरण चल रहा है। अप्रार्थी/वादीगण अधि[illegible] ने अपने जवाब को दोहराते हुए बताया कि वर्तमान वाद एवं पूर्व वाद [illegible] एवं भूमि भिन्न है तथा विवादक भी भिन्न है और वादीगण का अनुतोष फिटिंग दुरस्ती का है तथा पहले का वाद सम्पूर्ण 334 बीघा खसरों से संबंधित था, वर्तमान वाद चक प्लान के केवल 38 बीघा से संबंधित है। वादी वरीयाम खां रिकार्ड में ही तब नहीं था तथा एक खातेदार अपने अधिकारों के लिए दावा कभी भी ला सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण कभी भी कही भी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे है। और वादीगण ने बताया कि उसकी रिकार्डसुदा भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज तथा वादीगण जिस भूमि पर काबिज है। वह भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज है। ऐसे में वादीगण को फिटिंग दुरस्ती का वाद लाना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मंथन किया । चूंकि उक्त वाद वादीगण द्वारा मुताबिक वास्तविक मौका कब्जा अनुसार घोषनात्मक फिटिंग दुरस्ती के अनुतोष के साथ पेश किया है। जिसमें पक्षकार वरीयाम खां वगै0 पुत्र नाजूखां है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 व 11 ता 14 भिन्न है तथा प्रतिवादीगण सं0 10 खरीददार पक्षकार है। जबकि पूर्व वाद में उपरोक्त पक्षकार व वादगत भूमि समान नहीं है। और ना ही अनुतोष समान है। चूंकि उक्त वाद में केवल वादीगण अपने कब्जाकाश्त की 38.14 बीघा भूमि बाबत अनुतोष चाहा है। जिसे गुणावगुण पर ही सुना जाना विधिसमत है। क्योकि फिंटिग दुरस्ती में काबिज काश्तकार के हितो पर कुठाराघात ना हो। प्रथम दृष्टया वादीगण ने पानी पर्ची से कब्जा रिकार्डली बताया है। जिसे विवादक कायमकर सुना जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रकरण में वाद हैतुक पारिवारिक सदस्य से बाहर प्रतिवादी सं0 10 का कुछ रकबा बेहक करने से उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद पूर्ववर्ती वाद से काफी भिन्न है तथा उक्त प्रकरण मे प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी लाागू नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

5. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

4. राधेश्याम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

2. श्री पुरूषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व सुखाधिकार अधिनियम

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थीगण के नाम से कृषि भूमि चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है और चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 1[illegible] केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने–जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क [illegible] जाती है [illegible] चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6 पक्की सडक के चिपता है जिसे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा ग्रेवल सडक चालु है तथा उससे हर दो मुरब्बे पर उतर से दक्षिण लिंक सड़के है जो पुरे चक को आपस में जोड़ती है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का कथन है कि चारो चकों एवं ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30–35 वर्षों स`चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की मांग सरंपच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है। इस प्रकार रास्ता कटान का अनुतोष चाहा गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 2 के वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. प्रकरण संख्या 02/19 के साथ सुनवाई में लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थीगण के नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है तथा साथ ही अप्रार्थीगण का लिखित करार भी पेश किया गया है। जिससे यह तो साफ ही जाहिर है कि रास्ते के लिये भूमि पर मालिकाना हक छोड़ दिया था। उक्त करार पर तत्कालीन सरपंच व मौजूद गवाहों के भी हस्ताक्षर है तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं दिनांक को मौका मुआयना किया तो पाया कि मौके पर रास्ता उपरोक्तानुसार चलायमान है। मु.न. 98/58 के कि.न. 5 में सरकारी विद्यालय भी बना हुआ है जिसका उक्त मुख्य द्वारा उक्त सड़क पर है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि उक्त रास्ता 20–25 वर्षों से चल रहा है जिससे आस–पास की ढाणियों के वासीन्दों व 2–3 चकों के काश्तकारों का मुख्य पक्की सड़क पर आने का एकमात्र यही रास्ता है। रास्ता मौके पर आवागमन के लिये चल रहा है इसकी जानकारी रहते [illegible] प्रार्थी ने एक वाद राजूराम बनाम कृष्ण वगै. (02/19) पेश किया तो प्रार्थीगण ने [illegible] के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

3. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
4. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड में कटान नहीं होने की वजह से विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06.2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 ता 4 व 6 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा व कि.न. 5 में घुमाव 4 बिस्वा रास्ता चालु खरंवजा सड़क पूर्व से पश्चिम व कि.न. 5, 6 में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गैर—मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक .... [illegible] जलास सुनाया गया।

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

जूवाला(बी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकःएसडीओ/रीडर/2014/ दिनांक

1. छगनाराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी कीलचू तहसील व जिला बीकानेर हाल आबाद चक 22 बी डी तहसील खाजूवाला

प्रार्थी

बनाम

1. कुंभाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी रतनसरा तहसील रतनगढ जिला चूरू
2. उप पंजीयक खाजूवाला
3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाल

अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा

उपरोक्त प्रकरण में आरजीतौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि वाके चक 22 बी डी का मु. नं. 73/54 के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 12, 22 ता 25 की =13.00 बीघा कमाण्ड व 5 ता 7, 13 ता 15 की 6.00 बीघा अनकमाण्ड कुल=19.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि अप्रार्थीगण को कोई आपति हो तो जरिये वकालतन/असालतन आगामी पेशी दिनांक .... को हाजिर अदालत होकर पेश करें।

आदेश आज दिनांक 20.3.2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांकःसम/ दिनांक

प्रतिलिपिः—तहसीलदार खाजूवाला को तामील हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकः– एसडीओ/खाजू/राजस्व /2016/ दिनांक :– 20.12.16

–: कार्यालय आदेश :–

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 8 (2) के तहत चक 20 के.एच.एम बी के मु.न. 199/18 के कि.न. 1,10,11,20 व 21 प्रत्येक किले मे 2–2 बिस्वा कुल 0.10 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है । तदानुसार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला गैर मुमकिन रास्ते के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करें ।

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांकः– सम/2016/ दिनांकः– 20.12.16

1.तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

2.सरपंच ग्राम पंचायत 17 केएचएम

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

1. सम्पत सिंह
2. महेन्द्र सिंह
3. रघुनाथ सिंह
4. डाल सिंह
5. उदय सिंह
6. भंवरी देवी
7. स्लोचना कंवर
8. संतोष कंवर

} पुत्र/ पुत्रींयान श्री रामचन्द्र सिंह चौहान जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 10 रतननगर तह. व जिला चुरू

..........वादीगण

बनाम

1. विमला देवी बेवा मनीशंकर
2. कृष्ण कुमार
3. शुभकरण
4. बीरबल
5. देवीदत्त
6. गिरधारी
7. इमरती
8. मुन्नी
9. गीता
10. सुशीला

} पुत्र/ पुत्रीयां मनीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी लालासर पट्टा राजपुरा, जिला चुरू

11. उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.........प्रतिवादीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.</u>

<u>आदेश</u> दिनांक .2017

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि उसके पिता रामचन्द्र सिंह ने जरिये इकरारनामा चक 15 डी.डब्ल्यू.[illegible] 10 [illegible] 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रति[illegible] पिता मनीशंकर पुत्र रामकुमार ब्राह्मण के नाम पुख्ता आंवटित थी, को जरिये [illegible]रनामा दिनांक 27.04.1989 को खरीद किया और इसी रोज सौदा की राशि 210[illegible] रूपये अपने अदा कर इकरारनामा और मुक्तयारनामा लिखित क[illegible] करवा लिया तथा भूमि का भौतिक कब्जा वादीगण के पिता को सौंप दिया। वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है तब से लेकर आज तक भूमि पर हमारा कब्जा है एव ंहम काश्त कर रहे है। मुताबिक इकरारनामा सम्पूर्ण प्रतिबल अदा कर दिया गया है। तमाम किश्ते राजकोष में जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

करवाकर प्रतिवादीगण के पिता से सम्पर्क किया कि वह खातेदारी हेतु कार्यवाही करें तो प्रतिवादीगण के पिता ने जानबूझकर बईमानी से टाल–मटोल करते रहे। प्रतिवादीगण के पिता कानूनन वादीगण के पक्ष में बैयनामा निष्पादित करवाने हेतु बाध्य थे। दिनांक 05.07.2015 को रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया उसके पश्चात प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु हो गयी। प्रतिवादीगण ने वारिसान की हैसियत से अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया, अब प्रतिवादीगण अन्य पक्षकार को कृषि भूमि बेचकर वादीगण को बेदखल करना चाहते है।

प्रतिवादीगण की ओर से वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद इस न्यायालय के श्रवणीय अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रतिवादीगण बतौर टीनेन्ट भूमि पर काबिज है। वादीगण को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है। वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वकील वादीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 3 शुभकरण द्वारा दिनांक 07.07. 2017 को वादीगण द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 15 डी. डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/67 में आकर बेदखल करने की धमकी दी, उसी के आधार पर वादीगण को वाद लाने का अधिकार हासिल हुआ। वादीगण ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 27.04.1989 को विधिक रूप से खरीद की हुयी भूमि पर कब्जा और काश्त किया है। आज भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जो धारा 92 (ए) आर. टी.एक्ट. के अन्तर्गत आता है। इसलिये बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादीगण को बेदखल नहीं किया जावे। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने जरिये ईकरारनामा वादीगत कृषि भूमि चक 15 डी.डब्ल्यू.डी. के मु.न. 10/64 के कि.न. 11 ता 25 की कुल 15.00 बीघा कमाण्ड/ अनकमाण्ड कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता से खरीद की है। खरीद करने का वाद–पत्र में अंकन है। ईकरारनामा की पालना का वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद–पत्र श्रवणीय क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक ....2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 12/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

3. प्रकाश देवी पत्नि धर्मपाल जाति कुम्हार साकिन सुरावाली तहसील पीलीबंगा हाल चक 2 एमजीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

2 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
4. श्री पुरूषोतम सारस्वत् अधिवक्ता प्रतिवादी की और से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:— दिनांक :— 2019

यह वादपत्र माननीय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अन्तर्गतदिनांक 01.02.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण संख्या 12/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया द्वारा उसके नाम खातेदारी भूमि वाके चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 के कि.न. 1 ता 14 में अवैध खनने करते पाया गया। इस प्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। यह कि आवंटी को भूमि का आंवटन कृषि कार्य के लिये किया गया था। अवैध रूप से जिप्सम खनन करने के लिये नहीं किया गया था। यह कि प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीया स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीया द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थीया खारिज की जाकर कब्जा [illegible] सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीया की तरफ से जरिये अधिवक्ता [illegible]नांक 30.01.19 को जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीया का कथन है कि प्रतिवादीया के नाम से चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/20 की 1 ता 14 तादादी 14.00 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा एवं खातेदार है जो कि एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन

है। प्रतिवादीया का कथन है कि उसने लाखों रूपये खर्च कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा ढ़ाणी बनाकर मय पशुधन आवास कर रही है। प्रतिवादीया एक अनपढ महिला है जिसने उचित प्रतिफल देकर खरीद की थी जो तब से आज तक उसी स्वरूप में है। पूर्व खातेदार द्वारा सिचांई डिग्गी का निर्माण किया था, जिसके कारण भूमि उबड़–खाबड़ हो गई। प्रतिवादीया का कथन है कि उक्त वाद–पत्र को बिना किसी सत्यापन के पेश किया गया है ओर ना ही 80 सीपीसी का कोई हवाला दिया गया है। अतः वाद–पत्र में नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गयी है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी देवाराम की और से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र क्रमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

2. राजूराम पुत्र पूर्णाराम जाति बावरी साकिन ओडकी हाल आबाद चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

6. कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. ओमप्रकाश पुत्र मनफुलराम जाति ब्राहम्ण साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. ईमीचन्द पुत्र लादुराम जाति कुम्हार साकिन चक 20 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

4. श्री भूपेन्द्र सिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
5. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
6. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए तहसील खाजूवाला के मु.न. 98/58 के कि.न. 2 ता 9 सालम कि.न. 12 में 09 बिस्वा, कि.न. 13 ता 15, 17, 18 सालम, कि.न. 23 में 08 बिस्वा कुल 12.11 बीघा कमाण्उ खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। [illegible] प्रार्थी लम्बे अर्से से ढाणी बनाकर सपरिवार रह रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता [illegible] भूमाफिया व्यक्ति है जिन्होने एक साथ मिलकर दिनांक 30.09.2018 को प्रार्थी के [illegible] के कि.न. 2 ता 5 में अनाधिकृत प्रवेश कर, खड़ी फसल को नष्ट कर जेसीबी [illegible]ीन से भूमि में खड्डे कर मिट्टी डालने लग गये तथा जबरन रास्ता बनाने लगे। जबकि प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

का स्वीकृत व चालु रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में ओर ना ही मौके पर चालु है। अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.01.2019 को जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा अधिवक्ता अप्रार्थी की तरफ से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थीगण के नाम के कृषि भूमि वाके चक 20 केवाईडी ए,बी में खातेदारी भूमि है। जिसमें आने–जाने के लिये प्रार्थी व उसके भाई के खेत चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 से जाना पड़ता है जो पक्की सड़क के लगता है। जिस पर 30–35 वर्षो से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी ने 2001 में उक्त भूमि मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है तथा उस पर विद्यालय भी बना हुआ है। प्रार्थी ने उक्त रास्ते को संकरा कर दिया है। जबकि डामर सड़क 14–15 फिट मय बरम बन रही है। बेवजह प्रार्थी विवाद खड़ा कर रहा है। प्रार्थी ने रास्ते की भूमि तक की खातेदारी अधिकारों का अवसान 2001 में कर दिया था तथा प्रार्थी को कोई सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता है। अप्रार्थीगण ने धारा 251 'क' का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर दिया है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने के इस्तदुआ की गयी है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी खातेदारी भूमि है जिसमें रास्ता कटान नहीं है। बिना रास्ता कटान मेरी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुरजोर विरोध किया और बताया कि चक 20 केवाईडी ए, बी, चक 18 केवाईडी व कालुवाला आबादी इन चारों चकों में आने–जाने के लिये रास्ते की महती आवश्यकता है। 17 केवाईडी पुलिया से नहर के चिपते पक्की सड़क अलदीन जाती है जिससे चक 20 केवाईडी ए के मु.[illegible]8 के कि.न. 6 पक्की सडक के चिपता है उससे कि.न. 6, 5, 4, 3, 2, 1 [illegible] ग्रेवल सडक चालु है तथा उससे हर दो मुरब्बे पर उत्तर से दक्षिण लिं[illegible]सड़के है जो पुरे चक को आपस में जोड़ती है। यही एकमात्र आ[illegible] चारो चकों एवं ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ने का एकमात्र रास्ता मुताबिक नक्शा मौको जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही निरन्तर लम्बे अरसे से चला आ रहा है तथा यह रास्ता सार्वजनिक हित का है जो 30–35 वर्षों से चल रहा है जिसमें चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कि.न. .6, 5, 4, 3, 2, 1 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा सहवन से कटान होने से रह गया है। यही काफी बड़ी समस्या जिसको निरन्तर राजस्व शिविरों में भी लिखा गया तथा समय–समय पर ग्रांम पंचायत ने भी प्रस्ताव लेकर रास्ता कटान करवाने हेतु लिखा है। उक्त रास्ते से सभी के हित जुड़े हुये है तथा चक 20 केवाईडी ए के मु.न. 98/58 के कि.न. 1 अप्रार्थी संख्या 1 व कि.न. 2 ता 6 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा चकवासियो व प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की मांग सरंपच और मौजूद लोंगो के समक्ष उक्त रास्ता भूमि प्रतिफल 90 हजार रूपये/अखरे नब्बे हजार रूप्ये दिनांक 19.06.2001 को अप्रार्थीगण को दिये ओर लिखित करार किया जिसमें कि.न. 1 ता 6 में 15–15 फिट व कि.न. 5 में घुमाव उत्तर से दक्षिण 15 फिट रास्ता कटान के लिये प्रतिफल लेकर दिया। जिसमें 2001 में ग्रेवल सड़क व 2004 में खरंवजा सड़क बन गयी। वर्तमान में डामर रोड़ बन रही है जो कि मौके पर चालु है। प्रार्थी संख्या 2 सड़क पर तारबन्दी कर रास्ते को 8 फिट करने पर अमादा है और प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही मौके पर कोई काश्त है। मौके पर रास्ता चल रहा है और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय अप्रार्थीगण को है। चूकिं अपने खेत में आवागमन का केवल एकमात्र रास्ता है और निरन्तर 30–35 वर्षो से सुखाधिकार के रूप में प्रयोग ले रहे है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता तो मौके पर छोड़ा गया है जो आवागमन के वर्तमान में चालु है। लेकिन रिकार्ड में कटान नहीं होने की वजह से विवाद है तथा संलग्न ईकरारनामा प्रति दिनांक 19.06.2001 से अप्रार्थीगण को भूमि बदले प्रतिफल दिया गया प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल व खरंवजा सड़क निर्माण में लगा है। प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है ना ही काश्त है। मौके पर जब रास्ता चल रहा है और प्रार्थी ने लम्बे अरसे बाद उक्त रास्ते को बन्द करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। वह प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश देव),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
4. श्री पुरूषोतम सारस्वत् अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– **दिनांक :– ....**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है [illegible] नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादि पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण तकनीकी रूप से नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी देवाराम की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला ने अपने पत्र क्रमांक 310 दिनांक 13.03.2014 के संलग्न पटवारी हल्का दन्तौर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वर्तमान में चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के मु.न. 100/27 की 1 ता 25 बीघा कमाण्ड रकबा अराजीराज रहन एसबीबीजे खाजूवाला दर्ज है मौके पर रकबा खाली है। हल्का पटवारी की एक मौका जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके अनुसार उक्त भूमि अराजीराज दर्ज रिकार्ड है, मौके पर खनन कार्य नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र [illegible]/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: Self Attested

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

OFFICE NOTE

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

विशय :– सीएडी तस्दीक अनुसारम मांग कायमी [illegible] रिकार्ड में अंकन की स्वीकृति बाबत।

प्रसंग :– तहसीलदार (राज0) खाजूवाला के प[illegible]04 दिनांक 03.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तगर्त निवेदन है कि प्रभुदयाल पुत्र भूराराम जाति कुम्हार साकिन 19 केएलडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर को चक 19 केएलडी के मु.न. 55/6 की 24.10 बीघा कृषि भूमि कमाण्ड / अनकमाण्ड है, जो सीएडी रिपोर्ट स्कीम वर्ष 05.11.88 के अनुसार निम्नानुसार कमाण्ड/ अनकमाण्ड हो गया है ।

क.स.	चक	मु.न.	कमाण्ड कि.न.	अनकमाण्ड कि.न.	गैर मुमकिन
1.	19 केएलडी	55/6	1 ता 3, 9, 10 कुल 05.00 बीघा	4 ता 8, 11 ता 25 कुल 20.00 बीघा	–

अतः उपरोक्तानुसार मांग कायमी एव रिकार्ड में अकन करने की स्वीकृति प्रासांगिक पत्र तहसीलदार खाजूवाला द्वारा चाही गई है ।

आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

श्रीमान एसडीओ साहब

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

Signature Not Verified

क्रमांक :– एसडीओ/आवं/खाजू/ दिनांकः–

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक पत्रांक 04 दिनांक 03.01.2019 एवं सीएडी रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 11.07.16 व सीएडी के स्कीम वर्ष 05.11.88 के अनुसार रकबा निम्नानुसार कमाण्ड/ अनकमाण्ड हो गया है ।

क्र. स.	चक	मु.न.	कमाण्ड कि.न.	अनकमाण्ड कि.न.	गैर मुमकिन
1.	19 केएलडी	55/6	1 ता 3, 9, 10 कुल 05.00 बीघा	4 ता 8, 11 ता 25 कुल 20.00 बीघा	–

अतः उपरोक्तानुसार प्रभुदयाल पुत्र भूराराम जाति कुम्हार साकिन 19 केएलडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर को चक 19 केएलडी के नाम धारित भूमि (पटवारी रिपोर्ट अनुसार) की किस्म परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

(रमेश देव)

उपखण्ड

अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांक :– सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रभुदयाल पुत्र भूराराम जाति कुम्हार साकिन 19 केएलडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(रमेश देव)

उपखण्ड

अधिकारी

खाजूवाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकः– एसडीओ/खाजू/आवंटन/ दिनांकः–

–: कार्यालय आदेश :–

इस कार्यालय में विचाराधीन आबादी भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो मे विचाराधीन है ।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 361 दिनांक 05.04.16 एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अनाधिवासित निम्नलिखित राजकीय भूमि को राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट (इंदिरा गांधी नहर क्षैत्र भूमि सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 6 के उपनियम 2 (।।) की शक्तियो का प्रयोग करते हुए सहपाठित भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानो में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट (आरक्षित) किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे ।

क.स.	नाम ग्राम पंचायत	चक	मु.न.	कि.न.	तदादी रकबा	आरक्षित बाबत
1.	17 के.एच. एम	21 के.एच. एम	160/64	1 ता 25	25.00	आबादी भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांकः– सम/2014/ दिनांकः–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को रिकार्ड में अंकन करने बाबत
2. संरपंच ग्राम पंचायत 17 के एच एम को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

क्रमांकः– एसडीओ/खाजू/आवंटन/ दिनांकः–

–ः कार्यालय आदेश ः–

इस कार्यालय में विचाराधीन भूमि आरक्षित शमशान भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के

प्रावधानो मे विचाराधीन है । तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 124 दिनांक 23.01.17 एवं ग्राम पंचांयत के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अनाधिवासित निम्नलिखित राजकीय भूमि को राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र भूमि सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 6 के उपनियम 2 (।।) की शक्तियो का प्रयोग करते हुए सहपाठित भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानो में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट (आरक्षित) किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे ।

क.स.	नाम ग्राम पंचायत	चक	मु.न.	कि.न.	तादादी रकबा	आरक्षित बाबत
1.	17 के.एच. एम	26 बी.एल. डी.	178/20	14 ता 16 , 24, 25	5.00	शमशान भूमि हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

क्रमांकः– सम/2014/ दिनांकः–

1. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को रिकार्ड में अंकन करने बाबत
2. संरपंच ग्राम पंचायत 17 के एच एम को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. हसन खां पुत्र श्री दायम खां जाति मुसलमान साकिन 2 ए.एल.एम. (अलदीन) तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1 असलम
2 अकरम
3 याकुब

पुत्र श्री नबीबक्श जाति मुसलमान साकिन 5 बी.जी.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान

4 उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.........प्रतिवादीगण

वद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक .2017

वादी ने अपने वाद–पत्र में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 5 बी.जी.एम. तहसील खाजूवाला का मु.न. 164/8 के किन. 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 12 सालम, 13/1, 18/1, 19, 20, 21/1, 22/1, 23/2 कुल तादादी 12 बीघा 5 बीस्वा कमाण्ड कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चक 5 बी.जी.एम. के मु.न. 164/8 के कि.न. 3/2, 4 ता 7 सालम, 8/2, 13/2, 14 ता 17 सालम, 18/2, 23/3, 24/2, 25/1 कुल तादादी 12 बीघा 5 बीस्वा कमाण्ड कृषि भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 28.07.2015 को कुल प्रतिफल 21 लाख 11 हजार रूपये में खरीद करने का सौदा किया। इस हेतु बतौर अग्रिम राशि 18 लाख 21 हजार रूपये अदा कर उक्त कृषि भूमि का कब्जा मौके पर वादी को सम्भला दिया गया, बकाया राशि 3 लाख रूपये 31 दिसम्बर तक भुगतान किया जाना था तथा बैयनामा पंजीबद्व करवाना था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने 18 दिसम्बर को बैयनामा वादी के हक में पंजीबद्व करवाने से मना कर दिया। इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद हैतुक हासिल हुआ। वादी का जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा उक्त वादगत भूमि पर भौतिक कब्जा है। प्रतिवादीगण जबरन वादगत भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वाद–पत्र जरिये ईकरारनामा वादगत कृषि भूमि खरीद कर भौतिक कब्जा प्राप्त करने का उल्लेख किया है। ईकरारनामा की अनुपालना के संबध में अनुतोष प्राप्त करने का वाद–पत्र

केवल सिविल न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है। यह वाद–पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः वाद–पत्र क्षेत्राधिकार के विधिक इश्यू आधार पर खारिज किया जावे।

दोनों पक्षो की बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी का वाद–पत्र श्रवणाधिकार न होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक ....2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. आदुराम पुत्र नानकराम कौम खाती साकिन [illegible] हाल चक 40 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. मुलाराम पुत्र रिडमलराम कौम जाट साकिन शुभलाई हाल चक 40 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
5. श्री मनीराम जाखड़ विद्वाान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
6. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश **दिनांक :– ....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम कृषि भूमि वाके चक 40 केवाईडी के मु0न0 160/30 के कि0न0 1 ता 14 तादादी 14 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि है जिसमें प्रवेश करने के लिए प्रार्थी मु0न0 160/38 के किला न0 21 ता 25 के कटानशुदा रास्ता से होकर अप्रार्थी के मु0न0 160/30 के कि0न0 25,16व 15 दक्षिण से उतर अपने खेत के किला0न0 6 में प्रवेश करता है और इसके अलावा खेत में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र आवागमन का साधन है अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रार्थी 2–2 बिस्वा भूमि बतौर रास्ता चाहता है।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का [illegible] निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया उभयपक्ष की बहस सुनी गई न्यायालय ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है । अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी परस्पर एकदूसरे को अपनी 2–2 बिस्वा भूमि देकर रास्ते का प्रकरण निपटाना चाहते है। चूंकि उक्त रास्ता केवल एक ही खातेदार के काम आने योग्य है तो क्यों न पारस्परिक स्थानान्तरण कर रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जावे। हमारे मत में भी विचार है कि लोकअदालत की भावना से पक्षकारों में शांति से समझौता अनुरूप कार्य हो तो परस्पर मुकदमेबाजी कम होगी इसलिए विनम्र मत में और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, खाजूवाला को आदेश किये जाते है कि चक 40 केवाईडी के मु0न0 160/30 के किला न0 25 में 2 बिस्वा भूमि दक्षिण से उतर बतौर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज की जावे तथा किला न0 16 व 15 में 2–2 बिस्वा मुरब्बा की सींव पर जो अप्रार्थी मुलाराम पुत्र रिडमलराम के नाम दर्ज है की जगह उक्त 2–2 बिस्वा प्रार्थी आदुराम पुत्र नानकराम के नाम दर्ज की जावे तथा प्रार्थी आदुराम के किला न0 14,13,12 की 2–2 बिस्वा मुलाराम के चिपते पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी मुलाराम पुत्र रिडमलराम के नाम दर्ज की जावे। परस्पर दोनों के स्थानान्तरण भूमि खातेदार दर्ज कर किला न0 25 में 2 बिस्वा रास्ता दक्षिण से उतर रास्ता कायम कर चालू किया जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

4. राधादेवी पुत्री नन्दलाल पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार निवासी हाल बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर .... अपीलांट

बनाम

16. दलीप कुमार पुत्र नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम ‘ए’ तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर

17. सुरेन्द्र कुमार पुत्र नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
18. भगवती पुत्री नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
19. सरोज पुत्री नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
20. सुशीला पुत्री नंदलाल जाति कुम्हार नि0 चक 2 पीएचएम 'ए' तह0 खाजूवाला जि0 बीकानेर
21. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

5. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
6. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1 ता 2 व 5 की ओर से।
7. रेसपोडेन्ट सं0 3 एकपक्षीय कार्यवाही।
7. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 4
8. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक.................
..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 2 पीएचम 'ए' के मु0न0 158/2 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि अपीलांट के पिता नंदलाल के नाम से खातेदारी भूमि थी। उनके स्वर्गवास पश्चात अपीलांट की माता स्वयं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 के नाम बतौर विरासतन दर्ज हुई। जो माता के फौत होने के पश्चात इंतकाल सं0 141 दि: 20.06.09 से उक्त भूमि अपील अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 के नाम से बहिस्सा बरोबर दर्ज हुई और बाद में सहिस्सेदार रेस्पो0 सं05 ने अपने 1/6 हिस्से की रिलीज डीड दि: 23.01.2013 को उपपंजीयक खाजूवाला के समक्ष तस्दीक करा दी।

जिससे उपरोक्त पैतृक अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल सं0 157 के द्वारा रेस्पो0 5 का हकत्याग करने के पश्चात इंतकाल रेस्पो0 1 व 2 के पक्ष में हस्तांतरण हुआ मानकर उक्त भूमि का जैर अपील आदेश 1/2 हिस्सा रेस्पो0 सं0 1 ता 2 व अपीलांट व रेस्पो0 सं0 3 व 4 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। जबकि एक सहिस्सेदार द्वारा अपने हिस्से [illegible] करने के पश्चात शेष बचे सभी सहिस्सेदारों के अंश स्वतः ही बढ़ जाते है। इस [illegible]र अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जैर अपील आदेश पारित करने में भारी भूल की है साथ ही भू0 अभि0 निरी0 की रिपोर्ट के विपरीत जाकर उक्त आदेश पारित किया है जो नियम विरूद्ध होने के कारण इंतकाल निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वोतम अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पो0 को तलबी समन जारी किये जिस पर दि: 06.01.17 को रेस्पो0 सं0 1 ता 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार तेतरवाल व रेस्पो0 सं0 4 की ओर अधिवक्ता श्री बृजलाल चाहर उपस्थित आये तथा रेस्पो0 सं0 3 के रजि0 ए0डी0 नोटिस भेजने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर दि: 09.02.17 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकारराज उपस्थित आये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई जिसमें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अपनी बहस में भी बताया कि सरकारी स्टाम्प ड्यूटी बचाने का प्रयास किया गया है। इसप्रकार रेस्पो0 सं0 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि भूमि 2 भाइयों को ही देना चाहती हूं तथा यदि स्टाम्प ड्यूटी की कमी है तो रेस्पो0 भरने को तैयार है और उक्त जैर अपील आदेश विधिक है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के कथनों व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों पर जैर अपील आदेश को ध्यानपुर्वक से अवलोकन किया गया एवं अपील मियाद पत्र पर भी अपीलांट को सुना गया अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पेशकर निवेदन किया कि उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पेश किया है। अपीलांट ने विभाजन का वाद के जवाब हेतु रिकॉर्ड चाहा तो जानकारी हुई अपीलांट ने जानबूझकर देरी नहीं की है जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेश की है। जो अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे। जिसपर रेस्पो0 ने भी कोई काउन्टर शपथ पत्र व खण्डन पेश नहीं किया है। चूंकि अपील में सारभूत व गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है। इसलिए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

न्यायालय ने उभयपक्ष के कथनों व अपील के कथनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें अपीलाधीन भूमि चक 2 पीएचम 'ए' के मु0न0 158/2 के किला नं0 1 ता 25 की 24.10 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ता 5 की संयुक्त खाते की पैतृक भूमि है। जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 ता 5 का 1/6 – 1/6 हिस्सा भूमि इन्तकाल सं0 141 दि: 20.06.2009 के द्वारा दर्ज रिकार्ड की गई थी। यह भी निर्विवादित तथ्य है कि उक्त भूमि में से रेस्पो0 सं0 5 सुशीला देवी द्वारा दि: 23.01.2013 को जरिये रिलीज डीड अपने 1/6 हिस्से की भूमि का परित्याग कर दिया गया था।

परन्तु रिलीज डीड में रेस्पो0 सं0 5 द्वारा अपने 1/6 हिस्से की अविभाजित भूमि को केवल अपने भाइयों रेस्पों0 सं0 1 व2 के पक्ष में छोड़ने का उल्लेख किया है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश इन्तकाल सं0 157 दि0 23.06.2014 दर्ज किया गया है लेकिन इन्तकाल दर्ज करते वक्त रेस्पो0 सं0 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्सा व रेस्पो0 सं0 3 ता 4 व अपीलांट के पक्ष में 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया साथ ही आर0आई0 रिपोर्ट 31.01.2013 जिसमें आर0आई ने साफ लिखा की दस्तबरदारी 2 भाईयों के पक्ष में हुई है सभी सहिस्सेदारों के होनी चाहिए अतः काबिल खारिज है और उसके ठीक 1 वर्ष 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

माह पश्चात अचानक जैर अपील आदेश स्वीकृत किया जाता है। जो कानूनन स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत AIR 2003/A.P. Page 498 पेश किया है। जिसमें साफ है कि रिलीज डीड के तहत हकत्याग किसी विशेष सहकाश्तकार के पक्ष में नहीं छोड़ सकता साथ ही R.R.T. 2014 (1) Page 509 Rev. Board कमलादेवी बनाम चंपालाल प्रकरण में खण्डपीठ ने प्रतिपादित किया है कि सहखातेदार उसका हिस्सा एक सहखातेदार के हक में अपना हकत्याग नहीं कर सकता तथा AIR 1987 S.C. Page 1775 का भी हवाला दिया इसप्रकार इस सिद्धान्त से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। चूंकि उक्त जैर अपील आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व आर0आई0 रिपोर्टो के विपरीत हिस्सा खोलते हुए जो जैर अपील आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश इन्तकाल सं0 157 दिः 24.06.2014 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या : ....

1. दीपाराम पुत्र हेमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। .... अपीलांट

बनाम

1. सल्ला खातून पत्नी सोने खां निवासी 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2. नूर मोहम्मद पुत्र सोने खां जाति मुसलमान निः कुण्डल हाल चक बी.आर.डब्लू. एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. मोहम्मद सरीफ पुत्र सोने खां निः कुण्डल हाल चक बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. हनीफ पुत्र सोने खां निः कुण्डल हाल चक बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. शरीफा पत्नी करीम खां निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. नाजम अली पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. अल्ताफ पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
22. रूकसाना पुत्री करीम खां जाति मुसलमान निः 1 बी.आर.डब्लू.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
23. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

...... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्टान सं0 1 ता 8 एकपक्षीय कार्यवही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.................**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि बी.आर.डब्लू.एम. के मु0न0 101/45 के किला नं0 1 ता 19 व 21 की 20 बीघा भूमि पुख्ता आंवटित खातेदारी है एवं इसी भूमि के किला नं0 20 व 22 ता 25 की 5 बीधा अनकमाण्ड स्माल पैच योग्य भूमि है।

जिसको अपीलांट की दरख्वास्त के पेंडिग रहते एकतरफातोर पर दिः 07.11.1987 को रेस्पोडेन्ट के पिता सोने खां के नाम से स्माल पैच में आंवटन कर दी जानकारी होने पर अपीलांट ने अपील निगरानी व जोधपुर [illegible] बैंच में रीट सं0 1077/97 के निर्णय दिः 12.03.2003 से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जिस पर न्यायालय हाजा में दि[illegible].08.2004 को उक्त भूमि अपीलांट के नाम से आंवटन कर किस्तें जमा करवा कब्जा अपीलांट को देकर रिकार्ड में अंकन कर दिया। जिस पर अपीलांट काबिज काश्त है। समस्त दस्तावेज संलग्न पत्रावली है। रेस्पो0 ने दिः 13.08.2004 के निर्णय के विरूद्ध चारारोही की जो RAA बीकानेर व राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर RAA में जैरकार रही जिसमें रिव्यू प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सं0 2018/19 पेश किया गया है जो सुनवाई के लिए पेडिंग है। इसके बावजूद एकतरफातोर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित किया है। साथ ही खातेदारी दर्ज की है जबकि उक्त खातेदारी सनद सं0 44/40 दि: 21.05.1998 को इस न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक 403 दि: 06.02.1999 को निरस्त किया जा चुका है। जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 107 दि: 12.02.1999 भी स्वीकृत हो चुका है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम आदेश व रिकार्ड के विपरीत जाकर एवं अपर न्यायालय में अपील जैरकार रहते पेंडेसी के दौरान जैरअपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके लिए अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पो0 को समन जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया लेकिन वाद गुजरने मियाद रेस्पोडेन्ट वकालतन या असालतन हाजिर उपस्थित नहीं आये फलस्वरूप दि: 05.12.2019 को रेस्पो0 1 ता 8 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किये जाकर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश इन्तकाल सं0 401 दि: 16.08.2019 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अपील में वर्णित चक 1 बी. आर.डब्लू.एम. के मु0न0 101/45 के किला नं0 1 ता 19 व 21 की 20 बीघा भूमि उसकी पुख्ता आंवटित खातेदारी भूमि है तथा इसी मुरब्बे के किला नं0 20 व 22 ता 25 की 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट को स्माल पैच आंवटित की गई थी। जिसपर वह आंवटन के दिन से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। इन्तकाल सं0 401 के द्वारा उक्त 5 बीघा स्माल पैच आंवटित भूमि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजूवाला के आदेश दि: 04.02.2019 व RAA के निर्णय दि: 22.07.2019 के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 ता 9 के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। जबकि 22.07.2019 के RAA बीकानेरके निर्णय दि: 22.07.2019 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र सं0 18/2019 दीपाराम बनाम सल्ला खातून जैरकार होने के कारण RAA बीकानेर का निर्णय दि: 22.07.2019 अंतिम नहीं था बल्कि पेंडिग (लिस) होने के कारण गलत व नियमो के विपरीत है तथा उक्त भूमि जो अपीलाधीन आदेश में रेस्पो0 सं01 ता 9 के नाम में पुख्ता आंवटन को काटकर बतौर खातेदार दर्ज की है एवं इन्तकाल सं0 401 के कॉलम सं0 14 में नीचे सनद सं0 44 दि: 21.05.1998 उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजूवाला का अंकन किया है ।

वह सरासर गलत व रिकार्ड के विपरीत है क्योंकि उक्त खातेदारी उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खाजूवाला द्वारा दि: 06.02.1999 को निरस्त की गई थी जिसकी पालना में इन्तकाल सं0 107 दि: 12.02.1999 भी दर्ज हो चुका था। इस संबंध में पत्रावली में RAA बीकानेर के रिव्यू प्रार्थना पत्र सं0 18/2019 दि: 13.08.2019 की आर्डरसीट की प्रति में यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में RAA दि: 22.07.2019 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र जैरकार होने में प्रकरण लिस पेंडेसी था तथा साथ ही इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 403 दि: 06.02.1999 के द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी निरस्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: Self Attested

दी गई थी। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल सं0 401 दिः 16.08.2019 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिः 16.08.2019 इन्तकाल सं0 401 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. रामगोपाल पुत्र लाभूराम जाति जाट साकिन चक 15 बीडीबी 'बी8 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

प्रार्थीगण

बनाम ....

1. रूपाराम पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल

2. रोशनी पुत्री स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
3. राकेश पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
4. राजेश पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति मेघवाल साकिन 15 बीडीबी 'बी' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश **दिनांक :– ....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रशासन गांव के संघ शिविर में पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की चक 15 बीडीबी 'बी' के मु0न0 114/22 के किला न0 5 ता 7 एवं 13 ता 24 तादादी 10.12 बीघा एवं मु0न0 114/23 के किला न0 1 ता 3 एवं 10 तादादी 01.16 बीघा एवं मु0न0 114/30 के किला नं0 1 ता 3 एवं 10 तादादी 2.5 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 14.13 बीघा कमाण्ड खातेदारी है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी के कटानशुदा सड़क से सुविधाजनक रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 से होकर अपने किला नं0 21 में प्रवेश करता है। चूंकि मु0नं0 114/14 के किला नं0 1,10,11,20,21 में पक्की सड़क बनी हुई है एवं मु0नं0 114/14 अप्रार्थी कि पिता के नाम दर्ज है जो फौत हो चुके है इसलिए काबिज वारिसों को पक्षकार बनाया गया है न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 28.03.2019 को [illegible] अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 31.10.2019 को प्रार्थी अधिवक्ता आपत्ति जाहिर की लम्बे समय से अप्रार्थी जवाब नहीं दे रहे है। अतः जवाब [illegible] करने का निवेदन किया । जिसपर न्यायहित में अप्रार्थीगण को 05.11.2019 तक जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया लेकिन फिर भी जवाब अप्रार्थी नहीं आने पर बहस एकतरफा सुनी गई। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि 3 टुकड़ो में दर्ज कागजात है। और चारों तरफ से कोई रास्ता दर्ज कागजात नहीं है तथा किसी भी दिशा से रास्ता की दूरी तकरीबन 5 बीघा ही पड़ती है और पक्की सड़क पर आने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 में खेत की सींव पर पूर्व से पश्चित 2–2 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्प हैं। रिपोर्ट तहसीलदार में भी बताया गया है कि मु0न0 114/21 के किला नं0 1,10,11,20,21 में भी कटानशुदा रास्ता है और उसके बाद मु0न0 114/22 के किला नं0 1 ता 5 व 7 ता 13 व 19 ता 20 तादादी 11.5 बीघा देवीलाल पुत्र लाभूराम के नाम दर्ज है। वहां से रास्ता प्राप्त करे तो उचित है। इसप्रकार प्रार्थी का कथन है कि देवीलाल ने अपने खेत की सींव पर बड़ी डिग्गी व मकान बना रखे है। तथा रास्ता कटान 5 बीघा लम्बा ही होना है। चाहे 114/21 से हो या 114/14 से दूरी दोनो की समान है। जिसमें 114/14 से रास्ता मिलता है तो प्रार्थी अपने मु0न0 114/23 व 114/30 में भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसप्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 114/14 के किला नं0 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 15 बीडीबी 'बी' के मु0न0 114/14 के किला नं0 21 ता 25 पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

संख्या :— ....

1. लाल खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. फरीद खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. बाखां पत्नी खाना उर्फ खानू खां जाति मुसलमान निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।,
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट

3. करीम खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. फातमा खातून पुत्री हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. हैदर खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. रमजान खां पति श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. रहीमा खातून पुत्री श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. अलादिता पुत्र श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री गिरधारीलाल रामावत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1,3, 5 ता 8 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक.................**

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त. में अपील अपीलांट ने. वर्णित किया कि अपीलांट की माता हसीना खातून पत्नि हाकम खा को चक [illegible]डी के मु0न0 18/11 के किला नं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

और इसी मुरब्बा के किला नं0 21 ता 25 में 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपैच आंवटन होकर खातेदारी हुई जो माता के स्वर्गवास पश[illegible] इतकाल सं0 240 दिनांक 20.05. 2011 के द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेट सं0 3 ता 8 के नाम से विधिवत दर्ज हुई। जिसमें इन्तकाल सं0 240 को दिनांक 06.06.2011 द्वारा पुश्त पर किला नं0 21 ता 25 की 4.7

बीघा कम करते हुए पुनः स्वीकृत किया और हवाला दिया की उक्त भूमि इन्तकाल सं0 237 से रेस्पोडेट सं0 1 के नाम दर्ज है जो जरिये बैयनामा दिनांक 26.06.1999 को मु0आम द्वारा करवाया गया है। जो आधारहीन है बैयनामा वर्ष 1999 में हुआ और उसका जैरअपील आदेश 20.05.2011 को लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ जो एकतरफातोर पर किया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा है।

अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। तामिल पश्चात दिनांक 30.11.2011 को रेस्पोडेट सं0 1,3 5 ता 8 मय अधिवक्ता उपस्थित आये एवं 19.11.2012 को रेस्पोडेट 4 व 7 ने लिखित कथन पेश किया पत्रावली वास्ते बहस जैरकार रही इसी दौरान लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कुंडल में दिनांक 15.06.2016 को पारिवारिक समझौते अनुसार विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद दिनांक 14.07.2016 को रिव्यू किया गया रेस्पोडेट सं0 1 व 3, 5 ता 8 की ओर से लिखित बहस पेश हुई एवं दिनांक 31.10.2019 को अंतिम अवसर देकर बहस दिनांक 21.11.2019 को स्वतः बहस सुनी समझी जाकर निर्णय हेतु रखी गई।

न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व जैरअपील आदेश का घ्यानपूर्वक से अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और दिनांक 27.06.2011 को रेस्पोडेट के द्वारा धमकी देने पर ही जानकारी हुई और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है वहीं रेस्पोडेट ने लिखित बहस पेश कर अपील निरस्त करने की इस्तदुवा की है और लिखित बहस में रेस्पोडेट ने बताया रेस्पोडेट सं0 1 ने दिनांक 26.06.1999 से जरिये बैयनामा जैरअपील भूमि खरीदकर कब्जा ले लिया था और जैरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये [illegible] तस्दीक कर दिया।

जिसपर निरंतर रेस्पोडेट सं0 1 काबिज काश्त [illegible] तथा हसीना खातून के वारिस रेस्पोडेंट 3, 5 ता 8 ने भी उक्त बैयनामे पर सहमति दी है तथा रेस्पोडेंट ने R.R.T. 2003 (1) Page 647 व R.R.T. 2012 (1) Page 374 व R.R.T. [illegible]1 (2) Page 1238 व R.R.T. 2003 (2) Page 1034 आदि न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया है। इसप्रकार अपीलांट केवल इस आधार पर अनुतोष चाह रहे है कि जैरअपील आदेश लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

एकतरफातोर पर बिना अपीलांट को सुने बैयनामा के आधार पर जैरअपील आदेश गलत दर्ज हुआ है। जो कायम रखने योग्य नहीं है। पत्रावली में वर्णित कथनों व दोनों पक्षकारों के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपील अपीलांट जैरअपील आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती दी गई है कि लम्बी अवधि बाद बैयनामा के आधार पर जो इंतकाल तस्दीक किया गया है, उचित नहीं है। जबकि नामान्तकरण सरसरी कार्यवाही है जबतक भूमि के क्रेता के अधिकार बने रहेगे तथा संक्षिप्त कार्यवाही से किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को पेडिंग नहीं रखा जा सकता तथा उक्त जैरअपील आदेश बैयनामा दिनांक 26.06.1999 की पालना में दर्ज किया गया है। बैयनामा सही है या गलत उसकी विवेचना न्यायालय हाजा करने में सक्षम नहीं है। वैसे भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 3 बीकानेर प्रकरण सं0 9/14 द्वारा अपीलांट का सिविल वाद बैयनामा निरस्त करने का वाद दिनांक 19.09.2018 से खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में बैयनामा आजदिनांक तक कायम है। जैरअपील आदेश में सारभूत या कानूनी त्रुटि नजर नहीं आ रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इंतकाल सं0 237 दिनांक 20.05.2011 को कायम रखा जाता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसल–शुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी–खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– ....

1. लाल खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. फरीद खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. बाखां पत्नी खाना उर्फ खानू खां जाति मुसलमान निवासी चक 5 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।,
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट

3. करीम खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. फातमा खातून पुत्री हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. हैदर खां पुत्र हाकम खां जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. रमजान खां पति श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. रहीमा खातून पुत्री श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. अलादिता पुत्र श्री जोरा खातून जाति मुसलमान निवासी 7 के0एल0डी0 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री गिरधारीलाल रामावत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1,3, 5 ता 8 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक...................

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट की माता हसीना खातून पत्नि हाकम खां की चक 5 केएलडी के मु0न0 18/11 के किला नं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि पुख्ता आंवटन खातेदारी थी।

और इसी मुरब्बा के किला नं0 21 ता 25 में 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपैच आंवटन होकर खातेदारी हुई जो माता के स्वर्गवास पश्चात इतकाल सं0 240 दिनांक 20.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

2011 के द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेट सं0 3 ता 8 के नाम से विधिवत दर्ज हुई। जिसमें इन्तकाल सं0 240 को दिनांक 06.06.2011 द्वारा पुश्त पर किला नं0 21 ता 25 की 4.7 बीघा कम करते हुए पुनः स्वीकृत किया और हवाला दिया की उक्त भूमि इन्तकाल सं0 237 से रेस्पोडेट सं0 1 के नाम दर्ज है जो जरिये बैयनामा दिनांक 26.06.1999 को मु0आम द्वारा करवाया गया है। जो आधारहीन है बैयनामा वर्ष 1999 में हुआ और उसका जैरअपील आदेश 20.05.2011 को लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ जो एकतरफातोर पर किया गया जो क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है। जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 240 दिनांक 06.06.2011 आमसभा मीटिंग में दिनांक 20.05.2011 को पेश किया गया जिसको पुनः पटवारी हल्का द्वारा पुश्त पर दिनांक 06.06.2011 को पुनः संशोधित कर स्वीकृत किया जो कानून में नियमों के विपरीत निर्णय पारित किया है। जो कतई कायम रखने योग्य नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार करने का अनुतोष चाहा है।

अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। तामिल पश्चात दिनांक 30.11.2011 को रेस्पोडेट सं0 1,3 5 ता 8 मय अधिवक्ता उपस्थित आये एवं 19.11.2012 को रेस्पोडेट 4 व 7 ने लिखित कथन पेश किया पत्रावली वास्ते बहस जैरकार रही इसी दौरान लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट कुंडल में दिनांक 15.06.2016 को पारिवारिक समझौते अनुसार विड्रो का प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद दिनांक 14.07.2016 को रिव्यू किया गया रेस्पोडेट सं0 1 व 3, 5 ता 8 की ओर से लिखित बहस पेश हुई एवं दिनांक 31.10.2019 को अंतिम अवसर देकर बहस दिनांक 21.11.2019 को स्वतः बहस सुनी समझी जाकर निर्णय हेतु रखी गई।

न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व जैरअपील आदेश का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और दिनांक 27.06.2011 को रेस्पोडेट के द्वारा धमकी देने पर ही जानकारी हुई और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने बहस में अपील के कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है वहीं रेस्पोडेट ने लिखित बहस पेश कर अपील निरस्त करने की इस्तदुवा की है और लिखित बहस में रेस्पोडेट ने बताया रेस्पोडेट सं0 1 ने दिनांक 26.06.1999 से जरिये बैयनामा [illegible] कब्जा ले लिया था और इंतकाल सं0 237 अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये [illegible] तस्दीक कर दिया। जिसपर निरंतर रेस्पोडेट सं0 [illegible] काबिज [illegible] हसीना खातून के वारिस रेस्पोडेंट 3, 5 ता 8 ने भी उक्त बैयनामे पर [illegible] दी है तथा रेस्पोडेंट ने R.R.T. 2003 (1) Page 647 व R.R.T. 2012 (1) Page 374 [illegible] (2) Page 1238 व R.R.T. 2003 (2) Page 1034 आदि न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया है। इसप्रकार अपीलांट केवल इस आधार पर अनुतोष चाह रहे है कि जैरअपील आदेश लम्बी अवधि बाद दर्ज हुआ है तथा एकतरफातोर पर बिना अपीलांट को सुने कि जैर अपील आदेश दिनांक 20.05.2011 को पारित हो चुका है एवं विरासतन दर्ज हो गया तो पुनः दिनांक 06.06.2011 को दुरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कर स्वीकृत किया गया है वो उचित नहीं है एवं कायम रखने योग्य नहीं है। पत्रावली में वर्णित कथनों व दोनों पक्षकारों के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपील अपीलांट जैरअपील आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 240 दिनांक 06.06.2011 आमसभा मीटिंग में दिनांक 20.05.2011 को पेश किया गया जिसको पुनः पटवारी हल्का द्वारा पुश्त पर दिनांक 06.06.2011 को पुनः संशोधित कर स्वीकृत किया जो कानून में नियमों के विपरीत निर्णय पारित किया है। जो कतई कायम रखने योग्य नहीं है। जबकि नामान्तकरण सरसरी कार्यवाही है जबतक रजिस्टर्ड बैयनामा कायम है तबतक भूमि के क्रेता के अधिकार बने रहेगे तथा संक्षिप्त कार्यवाही से किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को पेडिंग नहीं रखा जा सकता तथा उक्त जैरअपील आदेश बैयनामा दिनांक 26.06.1999 की पालना में इंतकाल सं0 237 दर्ज किया गया है। चूंकि जैर अपील आदेश इंतकाल सं0 240 पारित करते वक्त सहवन से किला नं0 21 ता 25 की 4.7 बीघा भूमि विरासतन दर्ज कर दी गई जबकि इससे पूर्व इंतकाल सं0 237 से उक्त भूमि जरिये बैयनामा के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज कर दी गई थी जिसको उक्त जैरअपील आदेश से केवल दुरस्त किया गया है। किसी भी प्रकार से हक प्रभावित नहीं है। इसलिए इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। बैयनामा सही है या गलत उसकी विवेचना न्यायालय हाजा करने में सक्षम नहीं है। वैसे भी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 3 बीकानेर प्रकरण सं0 9/14 द्वारा अपीलांट का सिविल वाद बैयनामा निरस्त करने का वाद दिनांक 19.09.2018 से खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में बैयनामा आजदिनांक तक कायम है। जैरअपील आदेश में सारभूत या कानूनी त्रुटि नजर नहीं आ रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इंतकाल सं0 240 दिनांक 06.06.2011 को कायम रखा जाता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. जगदीश पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई साकिन चक 1–2 केवाईएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखविन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति मजहबी चक 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी.अधिनियम

आदेश **दिनांक :– ....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थी की चक 1–2 केवाईएम के मु0न0 17/22 के किला नं0 2 ता 8 14 ता 16, 23 ता 25 तादादी 13 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज है। जो चक 29 केवाईडी 'ए' के पास ही केवाईडी नहर से केवाईएम माईनर निकलता है जो प्रार्थी के किला नं0 23 ता 25 के मध्य निकलता है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी मु0न0 17/6, 17/14 के किला नं0 21 ता 25 जहां 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज कागजात है से होकर मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 से अपने किला नं0 23 में प्रवेश करता है। मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है जो राजनीतिवश झगड़ा–फसाद करता है। प्रार्थी ने काफी बार रास्ता कटान व चालू करवाने का प्रार्थना पत्र राजस्व केम्पों में दिये। प्रार्थी किला नं0 21 ता 22 में रास्ता कटवाना चाहता है तथा नियमानुसार धारा 251 'क' की पालना में रास्ता चाहता है तथा प्रार्थी ने अपने किला नं0 23 ता 24 में भी 2–2 बिस्वा रास्ता कटान करने की सहमति दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा

2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0एए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलबी उपस्थित नहीं। तहसीलदार खाजूवाला से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई चूंकि प्रकरण दिनांक 29.08.2016 से जैरकार है इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना पर बहस एकतरफा सुनी गई।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रार्थी के कथनों व तहसीलदार रिपोर्टों का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने अपने मु0न0 17/22 में जाने के लिए मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 से रास्ता चाहा है एवं साथ ही स्वंय ने भी अपने किला नं0 23 ता 24 में रास्ता कटान करने की स्वीकृति पत्र दिया है। चूंकि प्रार्थी की भूमि केवाईएम माईनर के दोनों तरफ है और रास्ता खेत की अहम आवश्यकता है ।

उक्त दशा में प्रार्थी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और आवश्यकता अत्यांतिक है । रिपोर्ट तहसीलदार व नक्शा से भी उक्त रास्ते की ताईद की है। प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र में राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) भी लिखा जो सार्वजनिक उपक्रम में है। प्रार्थी को केवल 251 क में भी उपचार उपलब्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 1–2 केवाईएम के मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 24 में पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा रास्ता गैरमुमकिन दर्ज करें तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को किला नं0 21 ता 22 की 2–2 बिस्वा भूमि की वर्तमान डीएलसी से दुगुनी राशि एक माह में देकर रिकॉर्ड में अंकन करावें। गुजरने मियाद या राशि अप्रार्थी द्वारा नहीं लेने पर अमानत मद में तहसीलदार जमा कर रिकॉर्ड में गैरमुमकिन दर्ज कर रास्ता चालू करवावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 78 / 15

1. चुनीदेवी पत्नि हीराराम जाति जाट साकिन चक 23 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. चीमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट साकिन चक 23 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र पेमाराम जाति माली साकिन चोखा तहसील / जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8 (2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी.अधिनियम

आदेश दिनांक :— ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थीगण की चक 23 केजेडी के मु0न0 5 / 27 के किला न0 1 ता 9, 13 ता 17, 25 तादादी 15 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के चक 23 केजेडी की सींव पर एच.डब्ल्यु.एम. माईनर निकलता है जो प्रार्थीगण अपने खेत के मु0न0 5 / 19, 5 / 11, 5 / 3 के प्रत्येक किला नं0 1ता 5 के स्वीकृतशुदा रास्ते से होकर एच.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 225 / 59 के किला लं0 5 पर बनी पुली पूर्व से पश्चिम किला नं0 4,3,2,1 से पक्की सड़क बल्लर से खाजूवाला रोड चढ़ते है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मु0न0 225 / 59 के किला नं0 1 ता 5 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है रिकॉर्ड में कटान नहीं होने की वजह से अप्रार्थी तंग व परेशान करता है। जिससे प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है वह अपनी जोत में नहीं पहुॅंच पाते। जिसे रिकॉर्ड में कटान कर चालू करवाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251—क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलबी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार खाजूवाला से मौका रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई चूंकि प्रकरण दिनांक 02.09.2015 से जेरकार है इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना पर बहस एकतरफा सुनी गई।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रार्थी के कथनों व तहसीलदार रिपोर्टों का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने अपने मु0न0 5/19, 5/11, 5/3 के प्रत्येक किला नं0 1ता 5 के स्वीकृतशुदा रास्ते से होकर एच.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 225/59 के किला लं0 5 पर बनी पुली पूर्व से पश्चिम किला नं0 4,3,2,1 से पक्की सड़क बल्लर से खाजूवाला रोड चढ़ते है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। मु0न0 225/59 के किला नं0 1 ता 5 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण को रास्ता खेत की अहम आवश्यकता है ।

उक्त दशा में प्रार्थीगण के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और आवश्यकता अत्यांतिक है । रिपोर्ट तहसीलदार व नक्शा से भी उक्त रास्ते की ताईद की है। प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र में राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) भी लिखा जो सार्वजनिक उपक्रम में है। प्रार्थी को केवल 251 'क' में भी उपचार उपलब्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 1 एच.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 225/59 के किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गैरमुमकिन दर्ज [illegible] तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 को किला नं0 1 ता 5 की 2–2 बिस्वा भूमि की वर्तमान डीएलसी से दुगुनी राशि एक माह में देकर रिकॉर्ड में अंकन करावें। गुजरने मियाद या राशि अप्रार्थी द्वारा नहीं लेने पर अमानत मद में तहसीलदार जमा कर रिकॉर्ड में गैरमुमकिन दर्ज कर रास्ता चालू

करवावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– ....

1. गोलाराम पुत्र हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।

....

अपीलांट

बनाम

1. सोनाराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
2. घेवरराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
3. श्रवणराम पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
4. बंशीलाल पुत्र स्व. हड़मानराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम हेमनगर पोस्ट जोलीयावाली तहसील एवं जिला जोधपुर।
5. श्रीमती पारसी पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री बाबूराम जाति विश्नोई निवासी डोलीकला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।
6. श्रीमती चोथी पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री मालाराम जाति विश्नोई निवासी अणवाना डावरा तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
7. श्रीमती शारदा पुत्री स्व. हड़मानराम पत्नि श्री जवरीलाल जाति विश्नोई निवासी डोलीकला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
8. सरपंच ग्राम पंचायत सामरदा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री आर.एन. बेनीवाल विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान 1 ता 7 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक...................

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के पक्ष में दिनांक 09.04.2007 को खातेदार हड़मानरा[illegible]कररराम ने अपनी कृषि भूमि चक 10 केजेडी के मु0न0 142/46 व 142/54 [illegible] कुल [illegible] बीघा 5 बिस्वा की वसीयत की थी और वसीयतकर्ता हड़मान[illegible] का देहान्त 03[illegible]2011 को हो गया। और प्रार्थी ने दिनांक 04.05.2012 को वसीयत का प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 07.05.2012 को अखबार में आमसूचना द[illegible]ई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिसको नजरअंदाज कर दिनांक 20.05.2012 को इंतकाल सं0 177 कर दिया जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है जिसे निरस्त किया जाकर इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 31.08.2012 को रेस्पोडेन्ट 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सारस्वत उपस्थित आये बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील अंदरमियाद शुमार कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील भूमि रेस्पोडेंट के पिता के नाम बतौर भूमिहीन पुख्ता आंवटन थी। जो दिनांक 26.02.2009 को पुस्तक सं0 221 क्र0सं0 36 से खातेदारी सनद जारी होकर इंतकाल सं0 158 दिनांक 18.05.2009 से खातेदार दर्ज हुई। जिसपर निरन्तर रेस्पोडेंट काबिज काश्त है। पिता के फौत पश्चात जैरअपील आदेश से विरासतन काश्त कर रहे है। रेस्पोडेंट के पिता ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं की थी व तथाकथित वसीयत जो पेश की गई है वह फर्जी व कुटरचित है जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेंट ने एफआईआर नं0 241/2012 थाना खाजूवाला में 420–467, 468–471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कराई जिसमें एफ.आर. पेश होने पर माननीय एम.जे.एम. कोर्ट खाजूवाला से एफ.आर. 152/12 में प्रसंज्ञान लेकर पुनः जांच हेतु थाना खाजूवाला को भेजी जो आजदिनांक तक जैरकार है। साथ ही विद्वाान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट द्वारा पेश की गई वसीयत दिनांक 09.04.2007 की है जबकि उक्त भूमि दिनांक 26.02.2009 को खातेदारी हुई थी तो ऐसी स्थिति में गैर–खातेदार को वसीयत करने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 से प्रतिबंधित है। जिसके पक्ष में एक दृष्टांत RRT 2008(2) के पेज 1117 RB पेश किया जिसमें एकदम साफ है कि गैरखातेदार भूमि की वसीयत या अन्तरण निषेध है। साथ ही उक्त भूमि ही भूमिहीन आंवटन है और भूमिहीन आंवटन भूमि पर पूरे परिवार का हक निहित है। यह स्वअर्जित सम्पति नहीं मानी जाती चूंकि परिवार के हर सदस्य की साझा आय से उक्त भूमि की कीमत चुकाई जाती है। यदि भूमिहीन आंवटी भूमि का अंतरण करता है तो वह अपने भूमिहीन आंवटी भूमि का अंरतण करता है तो वह अपने भूमिहीन परिवार को निराश्रित छोड़ देगा और भूमिहीन व्यक्ति/परिवार को भूमि आंवटन का प्रायोजन ही विफल हो जायेगा । इस संबंध में दृष्टांत RRT 2014(1) पेज 209 RB खण्डपीठ रामकिशन बनाम आईदान वगै0 पेश की साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपीलांट एकतरफा दिनांक 09.04.2007 की वसीयत पेशकर उपचार चाहता है और एकतरफा दिनांक 09.04.2007 का ही अपीलांट के नाम इकरारनामा दर्शाकर एक विर्निष्ट अनुतोष बाबत अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 3 बीकानेर में दावा कर मुताबिक इकारनामा अनुतोष चाहता है। जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न अपील है। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वंय कन्फ्यूज है कि उसे उपचार वसीयत से लेना है। या इकाराारनामा से चूंकि दोनो ही दस्तावेज एकदूसरे के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है अपील सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील अपीलांट ने अपील में बताया कि जैरअपील भूमि उसे दिनांक 09.04.2007 को नोटेरी रजिस्टर्ड इन्ट्री नं0 2728 से वसीयत दर्जकर उसके हक में हड़मानराम पुत्र पोकरराम ने दर्ज करवाई थी। और उसकी फौत पश्चात प्रार्थना पत्र तहसीलदार को दिया था कि वसीयत के अनुसार इंतकाल दर्ज किया जावे जबकि इसी दौरान उक्त जैरअपील आदेश विरासतन दर्ज कर दिया जबकि अपीलांट ने यह कहीं नहीं साबित किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्रा0प0 सामरदा को उक्त वसीयत की जानकारी दी या पंचायत प्रस्ताव में उक्त वसीयत को कहीं पेश किया साथी ही उक्त वसीयत दिनांक 09.04.2007 की है। जबकि जैरअपील रकबा इंतकाल सं0 158 दिनांक 18.09.2009 से खातेदार हुआ है। और खातेदारी सनद भी दिनांक 26.02.2009 को जारी हुई है तो ऐसी स्थिति में गैरखातेदारी की वसीयत राज0 काश्तकारी अधिनियम धारा 39 से निषेध है। साथ ही वसीयत प्रथमदृष्टया संदिगध है। चूंकि इसी भूमि का अपीलांट के नाम ही इसी दिनांक यानि 09.04.2007 का ही इकाररनामा होना संदिग्धता को बल देता है। चूंकि वसीयत प्रेमभाव व बिना प्रतिफल मृतक की अंतिक ईच्छा का परिणाम है। जबकि ईकाराररनामा स्पष्ट प्रतिफल आधारित है। साथ ही माननीय अपरजिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 3 में इकरारनामा की पालना का सिविल वाद जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही उक्त भूमि स्वअर्जित नहीं है। चूंकि आंवटन भूमिहीन है। जिसपर समस्त परिवार का हक निहित है। रेस्पोडेंट द्वारा पेश की गई नजीरे उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. हनुमान बिश्नोई पुत्र श्री बालूराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं0 23 तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. संदीप कुमार पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. भादरराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
4. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 1 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.
5. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
6. उपपंजीयक खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बद्रीप्रसाद सिंवर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रिछपाल बिश्नोई विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी. एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थी के चक 1 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के मु0न0 101/29 के किला नं0 1,2,9,10,11 में कुल 4.16 बीघा अनकमाण्ड भूमि दर्ज कागजात है। जिसमें आने जाने के लिए मुताबिक नक्शा 365 हेड रोड़ से इसी मुरब्बा के किलानं0 3 ता 4 पूर्व से पश्चिम 4–4 बिस्वा अर्थात 32 फीट चौड़े रास्ते से अपने खेत में जाता है। जो रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण सं 1 ता 4 के नाम दर्ज है। जिसे न्यायहित में कटान कर रिकॉर्ड में रास्ता खेत दर्ज किया जाकर चालू करवाने की इस्तदुवा की है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्[illegible] गया । अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 मय अधिवक्ता उपस्थिति आये। जिन्होंने [illegible] जवाब पेश किया। उभयपक्ष को सुना गया।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रार्थी के कथनों व नक्शा मौका का गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि प्र[illegible] को अपनी जोत में जाने के लिए किला नं0 3 ता 4 में रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से समझौता भी हो चुका है। अप्रार्थीगण 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर अपनी खातेदारी किलानं0 3 ता 4 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

4–4 बिस्वा पूर्व से पश्चिम खेत की सींव पर देने की सहमति दी है। और अपने जवाब के पैरा सं0 5 में साफ जाहिर किया कि हमने बिना किसी दवाब उक्त रास्ता दिया है। तथा राजस्व रिकॉर्ड में किला नं0 3 ता 4 में यदि 4–4 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है। तो प्रार्थी कोा एतराज नहीं है और ना ही कोई दावा क्लेम भविष्य में करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। तथा पक्षकारों में भी न्याय की मंशा है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि चक 1 बी.आर.डब्ल्यु.एम. के मु0न0 101/29 के किला नं0 3 ता 4 में 4–4 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता पूर्व से पश्चिम मुरब्बे के सींव पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर मौके पर चालू करवावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

संख्या :– ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. मुसेखां पुत्र इब्राहीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. अमीरखां पुत्र इब्राहीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. अब्दूलहक पुत्र इब्राहीम खां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. अमीराखातुन पुत्री इब्राहीम खां पत्नि सुलेमुहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. सतारखां पुत्र लधेखां जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. खानों पुत्री लधेखां पत्नि रहीमबक्स जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री रिछपाल विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।
3. रेस्पोडन्ट सं0 2 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक.................

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के नाना लधेखां पुत्र सोजल खां जाति मुसलमान निवासी समेवाला की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 8 केजेडी 'ए' तहसील खाजूवाला के मु0न0 102/22 के किला नं0 1 ता 15 की कुल 15 बीघा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अपीलांट के नाना लधे खां की मृत्यु दिनांक 27.11.2009 को हो चुकी है।

अपीलांट की नानी साबो की मृत्यु दिनांक 04.10.2004 को हो चुकी है। अपीलांट के नाना–नानी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न अपील मीमो है तथा अपीलांट के नाना–नानी के फौत हो जाने के बाद लधेखां के जायज वारिसान मुताबिक कुर्सीनामा खानो खातुन, सतार खां, हंसो [illegible] वारिस है तथा हंसो (पुत्री) की मृत्यु दिनांक 05.02.2007 को होने पर अपीलांट [illegible] उसके जायज वारिसान है। उक्त कुर्सीनामा मुताबिक अपीलांट्स की माता हंसो लधे खां की जायज वारिस थी तथा मुताबिक उतराधिकार के अपीलांट्स के नाम उक्त भूमि में [illegible] 1/3 हिस्सा जरिये वारिसनामा के इन्तकाल सं0 307 दिनांक 06.09.2010 को दर्ज होना था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इंतकाल के समय अपीलांट्स को भूमि से वंचित कर दिया। उक्त इंतकाल की अपील प्रस्तुत कर अपीलांट्स नामांतरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 बाबत् भूमि चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

8 केजेडी 'ए' मु0न0 102/22 के किला नं0 1 ता 15 की कुल 15 बीघा बाबत् निरस्त कर अपीलांट्स का नाम लधे खां के वारिसान के तौर पर शामिल कर मुताबिक कुर्सीनामा पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 01.08.2017 को रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रिछपाल विश्नोई उपस्थित आये और रेस्पोडेन्ट सं0 2 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 18.011.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील अंदरमियाद शुमार कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया जैरअपील नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की माता हंसो पुत्री लधे खां जायज वारिस थी । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा सहवारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया। जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान बाबत् कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत लिख हस्ताक्षर कर दिये जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेशकर अपीलांट्स ने अपने नाना की कृषि भूमि का विरासतन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार किया जाता है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जैरअपील नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की माता हंसो पुत्री लधे खां जायज वारिस थी । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा सहवारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम नामांतरकरण स्वीकृत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

दिया। जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान बाबत् कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत कर दिया जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है तथा अपीलांट्स लधेखां की पुत्री हंसो के जायज वारिसान है जिनका नाम अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 में शामिल होने के विधिवत अधिकारी है ।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 307 दिनांक 06.09.2010 चक 8 केजेडी 'ए' अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि लधे खां पुत्र सोजल खां के मु0न0 102/22 की 15 बीघा भूमि का जायज वारिसान को जांच कर विधि सम्मत विरासतन कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. रामचन्द्र पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी हाल चक 1 एमटीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

.... प्रार्थी

बनाम

1. दौलतराम पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी हाल चक 1 एमटीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

3. उपपंजीयक खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री दिलीप कुमार शर्मा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश दिनांक :— ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 1 एमटीएम का मु0न0 209/05 के किला नं0 4 ता 7 एवं 14 ता 17 तादादी 8.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। जिसके लिए प्रार्थी को अप्राथी सं0 1 के मु0न0 209/5 के किला नं0 1 ता 3 , 8 ता 13 , 18 ता 20 कुल तादादी 16.10 बीघा के किला नं0 1,2,3 से 2—2 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 4 में प्रवेश करता है। इसी मुरब्बा के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी किला नं0 1,2,3 में पश्यिम से पूर्व रास्ता कटान चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 19.07.2019 को अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया । उभयपक्ष बहस सुनी गई।

जिसमें अधिवक्ता ने जवाब पेश किया और अप्रार्थी अधिवक्ता ने सभी कथनों को अस्वीकार किया एवं अपने कथनों में कहा कि यदि प्रार्थी रास्ता चाहता है तो उसे रास्ता के बदले चिपते अन्य किले से उसे 2—2 बिस्वा भूमि है। प्रार्थी यदि भूमि के बदले भूमि देना चाहता है तो अप्रार्थी सहमत है। अन्यथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य अभिधारी की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी भूमि चक 1 एमटीएम का मु0न0 209/05 कि किला नं0 4 ता 7 एवं 14 ता 17 तादादी कुल 8 बीघा कमाण्ड दर्ज कागजात है। जिसके लिए प्रार्थी को अप्राथी सं0 1 के मु0न0 209/5 के किला नं0 1 ता 3 , 8 ता 13 , 18 ता 20 कुल तादादी 16.10 बीघा के किला नं0 1,2,3 से 2–2 बिस्वा रास्ता से होकर अपने खेत के किला नं0 4 में प्रवेश करता है। इसी मुरब्बा के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी किला नं0 1,2,3 में पश्यिम से पूर्व रास्ता कटान चाहता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । पटवारी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है।जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 209/05 के किला नं0 1 ता 3 में 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 1 एमटीएम के मु0न0 209/05 के किला नं0 1 ता 3 पश्चिम से पूर्व 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा भूमि [illegible] सी से दुगुनी राशि अप्रार्थी को प्रदान करे यदि 30 दिन की [illegible] राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा [illegible] वाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.स. .... सुखविन्द्रसिंह, स्वर्णसिंह बनाम सरकार प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
12.09.2019	आज यह पत्रावली तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्रांक/राजस्व/20/1005 दिनांक 02.09.2019 के साथ प्रार्थना पत्र सुखविन्द्रसिंह, स्वर्णसिंह का [illegible] चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 [illegible] प्राप्त होने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना [illegible] दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया है कि चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 की किला नं0 17/2 0.165 है किला नं0 18/2 0.101 है किला नं0 23/2 0.101 है किला नं0 24 0.253 है किला नं0 25 0.126 है कुल 0.746 है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

भूमि स्वर्णसिंह वल्द जंगीरसिंह कौम जटसिख सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है जो BOB शाखा रायसिंहनगर के रहन दर्ज है एवं मु0न0 11 की किला नं0 1 ता 12, 13/1, 18/1, 19 ता 22 व 23/1 की कुल 3.974 है. भूमि वरदेवसिंह जसदेवसिंह पि. जगरूपसिंह कौम जटसिख सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है जो OBC शाखा रायसिंहनगर के रहन दर्ज है। मौके पर चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 की दक्षिण सीमा पर रास्ता चल रहा है जिस पर वर्तमान में ईंटों का खुर्रा (खड़बंजा) बना हुआ है। मु0न0 11 के किला नं0 25 के पूर्व दिशा से रायसिंहनगर से करड़वाली दक्षिण कोने से 14 एन.पी. आबादी को जाने वाली पक्की सड़क लगती है। प्रार्थीगण द्वारा चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु आवदेन किया गया है, जिसमें से किला नं0 23/2, 24 व 25 प्रार्थी श्री स्वर्णसिंह की खातेदारी है जिसने प्रार्थना पत्र में रास्ता देने हेतु सहमति भी प्रदान की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण किला नं0 23/2, 24 ,25 में रास्ता देने को तैयार है। परन्तु किला नं0 21–22 के खातेदारो की सहमति के संबंध में कोई टिप्पणी तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपनी रिपोर्ट में नहीं की हैं तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार चक 14 एन.पी. के मु0न0 11 किला नं0 21 ता 25 की दक्षिण सीमा पर रास्ता चल रहा हैं। जिस पर वर्तमान में ईंटों का खुर्रा/खड़वंजा बना हुआ हैं।

लिहाजा रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के आधार पर चक 14 एन.पी. मु0न0 11 के किला नं0 21 ता 25 में मौका पर चालू रास्ता का राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/[illegible] की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार [illegible] करने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

	(संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.स. .... सीताराम कृष्णलाल बनाम सरकार प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
12.09.2019	आज यह पत्रावली तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्रांक/राजस्व/20/1006 दिनांक 02.09.2019 के साथ प्रार्थना पत्र सीताराम–कृष्णलाल का बाबत चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47 के किला नं0 21 ता 25 में पुराना चालू रास्ता स्वीकृत करने प्राप्त होने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर [illegible] रिपोर्ट में निवेदन किया है कि चक करड़वाली के मु0न0 [illegible] की 2.526 है बारानी भूमि सीताराम पुत्र नत्थूराम 1.[illegible] है, कृष्णलाल पुत्र डूंगरराम 1.263 है, कौम कुम्हार सा.देह के नाम एवं 0.004 है, बारानी भूमि शिवनारायण पुत्र रूपाराम कौम कुम्हार सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है। चक करड़वाली के मु0न0 47/2 की 3.517 है, बारानी भूमि कालूराम, ताराचन्द, कृष्णलाल ओमप्रकाश	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पि. गिरधारी कौम कुम्हार सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज है जो सिंडिकेट बैंक शाखा रायसिंहनगर के रहन दर्ज है। मौके पर दक्षिणी सीमा पर रास्ता चल रहा है। मु0न0 47/1 व 47/2 के पश्चिम दिशा में सड़क लगती है एवं पूर्व दिशा में मु0न0 46 व 45 में रास्ता स्वीकृत है व मौके पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया गया है जिसमें से मु0न0 47/1 में प्रार्थी श्री सीताराम पुत्र नत्थुराम व कृष्णलाल पुत्र डुंगरराम की 2.526 है, बारानी भूमि खातेदारी है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा रास्ता स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई है। चक करड़वाली में मु0न0 का ही अंकन है किला नं0 का अंकन नहीं है। अतः रास्ता मु0न0 47/1 व 47/2 की दक्षिणी सीमा पर दर्शाया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न नजरी नक्शा का अवलोकन किया । संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत करने हेतु आवदेन किया गया है जिसमें मु0न0 47/1 में प्रार्थी श्री सीताराम पुत्र नत्थुराम व कृष्णलाल पुत्र डूंगरराम की 2.526 है, बारानी भूमि खातेदारी है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा

लिहाजा रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर तथा नजरिया नक्शा के अवलोकन के आधार पर चक करड़वाली बारानी के मु0न0 47/1 व 47/2 में मौके पर दक्षिणी सीमा पर चालू रास्ता का राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते हैं।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. मदनलाल पुत्र खिराजराम जाति सुथ[illegible]त राजीव नगर, खाजूवाला तह. खाजूवाला जिला बीकानेर। .... अपीलांट

बनाम

1. माशुक अली पुत्र श्री लखे खां जाति मुसलमान निवासी 2 बीआरडब्लूएम, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत 7 पीएचएम।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेसपोडेन्ट सं0 1 एकपक्षीय कार्यवाही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक..................

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 2 बीआरडब्लूएम (ए) के मु0न0 141/23 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 के 1/6 हिस्से की भूमि दिनांक 08.06.2017 को प्रतिफल राशि अदा करके खरीद की है। जिसका इंतकाल सं0 218 रेस्पोडन्ट सं0 3 के प्रतिनिधि हल्का पटवारी ने दर्जकर आर.आई. की जांच बाद रेस्पोडेन्ट सं0 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसने राजनीतिक रंजिशवश दिनांक 20.04.2018 को मौके पर विवाद का नोट लगाकर निरस्त फरमा दिया गया। जो रंजिशवश किया गया है और रेस्पोडेन्ट सं0 2 को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार कर जैर अपील आदेश निरस्त किया जावे।

सर्वोतम अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलबी समन जारी कर तलब किया गया जिसपर रेस्पोडेन्ट सं0 1 उक्त नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट से तलबी हुई। अन्य रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के विरुद्ध दिनांक 16.12.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।पैरोकारराज उपस्थित आये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई जिसमें विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का नि[illegible] तथा अपनी बहस में भी बताया कि उक्त भूमि जरिये बैयनामा [illegible] मा कब्जा ले लिया गया था। फिर भी राजनीतिक रंजिशवश बि[illegible]ौका मुआयना किये बिना प्रस्ताव एकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेश [illegible]कर दिया जो कतई कायम रखने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट की बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन व मनन किया गया। चूंकि अपीलांट ने जैर अपील भूमि में से 1/6 हिस्सा रकबा जरिये बैयनामा दिनांक 08.06.2017 को खरीद किया है। जिसका जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 218 को पटवारी हल्का ने दिनांक 09.04.2018 को भरा है तथा आई.आर. 6 पीएचएम ने उसको बैयनामा का रिकॉर्ड से मिलान होता है की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2018 को कर दी । उसके उपरान्त ग्राम पंचायत ने दिनांक 30.04.2018 को उक्त जैरअपील आदेश से इंतकाल अस्वीकृत किया है। जो कतई न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सूचना बिना मौका मुआयना बिना प्रस्ताव लिए उक्त आदेश पारित किया है तथा यह आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं है। जिसे कायम रखा जाना कतई न्यायोचित नहीं है।

अपील मियाद पत्र पर भी अपीलांट को सुना गया अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम पेशकर निवेदन किया कि उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पेश किया है। अपीलांट ने विभाजन का वाद के जवाब हेतु रिकॉर्ड चाहा तो जानकारी हुई अपीलांट ने जानबूझकर देरी नहीं की है जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील पेश की है। जो अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जावे। जिसपर रेस्पो0 ने भी कोई काउन्टर शपथ पत्र व खण्डन पेश नहीं किया है। चूंकि अपील में सारभूत व गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है। इसलिए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाधीन भूमि चक 2 बीआरडब्लूएम (ए) के मु0न0 141/23 के किला नं0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 24 की 18.10 बीघा भूमि में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 के 1/6 हिस्से की भूमि दिनांक 08.06.2017 को प्रतिफल राशि अदा करके खरीद की है। जिसका इंतकाल सं0 218 दिनांक 20.04.2018 आदेश कायम रखने योग्य नहीं है। चूंकि उक्त जैर अपील आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व आर0आई0 रिपोर्टो के विपरीत जाकर जो जैर अपील आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश इन्तकाल सं0 218 दिः 20.04.2018 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि बैयनामा अनुसार इंतकाल स्वीकृत किया जावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... र इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 64 / 19

1. रामेश्वरलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम ....प्रार्थी

1. गिरधारी लाल पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. जेठाराम पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
3. रामेश्वरलाल पुत्र श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
4. फूसीदेवी पुत्री श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
5. परूदेवी पुत्री श्री किस्तुराराम जाति नायक निवासी चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री मखनसिंह राठौड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भीमसिंह डूकिया विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं0 1 एवं 3 ता 5 एकपक्षीय कार्यवाही।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक :— 2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 225 / 16 में 6 बीघा भूमि

कमाण्ड/अनकमाण्ड , मु0न0 226/33 में 8.00 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड एवं 226/36 में 25 बीघा भूमि कमाण्ड इस प्रकार कुल 39.15 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी के मु0न0 226/33 में कुल 8.00 बीघा भूमि है।

और इसी मुरब्बे में ही अप्रार्थीगण की कुल 17.00 बीघा कृषि भूमि है तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के किला नं0 23 ता 25 से होते हुवे प्रार्थी अपने खेत के किला नं0 22 में प्रवेश करता है । मु0न0 226/41 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। जो अप्रार्थीगण के मु0न0 226/33 के किला नं0 25 के टच है। प्रार्थी किला नं0 23,24,25 में 1—1 बिस्वा रास्ता कटान चाहता है। और न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर और अप्रार्थी सं0 1 एवं 3 ता 5 बावजूद नोटिस तलब होने पर उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 03.12.2019 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। और दिनांक 15.11.2019 को अप्रार्थी सं0 2 मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 24.12.2019 को प्रार्थना पत्र O7R11 CPC पेश किया। जिसपर प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया एवं जिसपर दिनांक 14.01.2020 बहस और प्रार्थना पत्र पर की विवेचना के आधार पर अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O7R11 CPC व 151CPC न्यायालय ने खारिज किया और अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 28.01.2020 को जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया और अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों के पैरा सं0 4 में अप्रार्थीगण की 11.00 बीघा भूमि अलाट होना स्वीकार की एवं शेष सभी कथनों को अस्वीकार किया एवं अपने कथनों में कहा कि यदि प्रार्थी की मु0न0 226/25 में से होकर रास्ता लगता है। अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान [illegible] प्र[illegible] हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 225/16 में 6 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड, मु0न0 226/33 में 8.00 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड एवं 226/36 में 25 बीघा भूमि कमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 39.15 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज कागजात है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के मु0न0 226/33 कुल 17.00 बीघा कृषि भूमि के किला नं0 23 ता 25 से 1–1 बिस्वा रास्ता से होते हुवे अपने खेत के किला नं0 22 में प्रवेश करता है । मु0न0 226/41 के किला नं0 1,10,11,20,21 में कटानशुदा रास्ता दर्ज है। प्रार्थी मु0न0 226/33 के किला नं0 23,24,25 में रास्ता कटान चाहता है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । पटवारी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 226/33 के किला नं0 23 ता 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 28 के.जे.डी. के मु0न0 226/33 के किला नं0 23 ता 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 1–1 बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि खातेदार किस्तुराराम के वारिसो (अप्रार्थीगण) को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक किस्तुराराम के वारिस वारिसनामा सहित उपस्थित नहीं होकर उक्त राशि नहीं लेते है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....2020 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

3. सतार पुत्र श्री मोलाबक्श जाति मुसलमान निवासी 12 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थी

बनाम

11. नगेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी बीकानेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

..... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

7. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
8. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
9. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश **दिनांक :– ....**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र [illegible] प्रकार कि प्रार्थी ने सन् 2015 में चक 10 केएचएम के मु0न0 58/21 [illegible] ता 1 ता 25 कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर नामान्तरण सं0 43 से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ली। प्रार्थी के मु0न0 58/21 में किला नं0 1 ता 25 में रास्ता/खाला नहीं है। और अप्रार्थी सं0 1 [illegible] मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में खाला स्वीकृत है। वर्तमान में उक्त खाला कच्ची साख द्वारा संचालित होता है। लेकिन ग्राम पंचायत उक्त स्वीकृतशुदा खाला को पक्का बनाना चाहती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन अप्रार्थी सं0 1 ने ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधियो से साठ–गाठ कर प्रार्थी के मु0न0 58/21 के किला नं0 1,10,11,20,21 में खाला बनाने पर उतारू है। अप्रार्थी द्वारा नाजायज रूप से पक्का खाला का निर्माण करने पर आमदा है। जबकि प्रार्थी की भूमि में किसी प्रकार का स्वीकृत खाला ना तो राजस्व रिकार्ड में ओर ना ही मौके पर चालु है। अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तामिल होन पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.09.2017 को जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थी के नाम कृषि भूमि वाके चक 10 केएचएम का मु0न0 58/12 में 1 ता 25 व 58/13 में 1 ता 25 कुल 50.00 बीघा खातेदारीशुदा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 में वर्षा से कच्ची साख बनी हुई है और मु0न0 58/13 की कच्ची साख से मु0न0 58/12 के किला नं0 25 के नक्का के अप्रार्थी वर्षो से सिंचाई कर रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में मु0न0 58/12 के वर्तमान नक्का को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पेश किया है। जिसपर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला में आदेश क्रमांक/तकनीक/875 दिनांक 04.07.2017 को चक 10 केएचएम मु0न0 58/12 की हेतु मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कच्ची साख व मु0न0 58/12 के किला किला नं0 25 में नक्का स्वीकृत प्रदान कर दी गई। उक्त कच्ची साख व नक्के का निर्माण अप्रार्थी सं0 1 के स्वंय के खर्चे पर करने का आदेश फरमाया गया है और चक 10 केएचएम के मु0न0 58/13 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा व मु0न0 58/12 का किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा अप्रार्थी सं0 1 स्वंय की है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाशन खण्ड खाजूवाला आदेशानुसार अपने स्वंय के रकबा के मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में अपनी सीमा में ही खाले का निर्माण किया है और प्रार्थी रजिशवंश व राजनैतिक द्वेष के कारण व अप्रार्थी सं0 1 के हितो पर कुठाराघात करने के उद्देश्य से उक्त साख के निर्माण में जानबुझकर पेरशानी पैदा कर रहा है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने के इस्तदुआ की गयी है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरी खातेदारी शुदा कब्जा व काश्त की भूमि वाके चक 10 केएचएम के मु0न0 58/21 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बाबत् चिरनिषेधाज्ञा जारी हो और अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी की भूमि में से पक्का खाला का निर्माण न करें। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने पुरजोर विरोध किया और प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि अप्रार्थी के नाम कृषि भूमि वाके चक 10 केएचएम का मु0न0 58/12 में 1 ता 25 व 58/13 में 1 ता 25 कुल 50.00 बीघा खातेदारीशुदा भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0न0 58/13 में वर्षो से कच्ची साख बनी हुई है और मु0न0 58/13 की कच्ची साख से मु0न0 58/12 के किला नं0 25 के नक्का के अप्रार्थी वर्षो से सिंचाई कर रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में मु0न0 58/12 के वर्तमान नक्का को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पेश किया है।

जिसपर अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला में आदेश क्रमाक/तकनीक/875 दिनांक 04.07.2017 को चक 10 केएचएम मु0न0 58/12 की हेतु मु0न0 58/13 के किला नं0 5,6,15,16,25 में कच्ची साख व मु0न0 58/12 के किला किला नं0 25 में नक्का स्वीकृत प्रदान कर दी गई। उक्त कच्ची साख व नक्के का निर्माण अप्रार्थी सं0 1 के स्वंय के खर्चे पर करने का आदेश फरमाया गया है। साथ ही इस संबंध में प्रार्थी ने दावा व स्थगन माननीय सिविल न्यायाधीश खाजूवाला मे पेश किया था जो प्रकरण संव 35/17 सतार बनाम अधिशाषी अभियन्ता के दिनांक 19/09/19 को खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र चलाने योग्य नहीं है। अतः मुताबिक नक्शा मौको और संबंधित विभाग के आदेश जो संलग्न प्रार्थना पत्र है के मुताबिक ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति अप्रार्थी को है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रिकार्ड एवं मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा की गई मांग को उचित मानते हुए और कार्यालय अधिशांषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला के आदेश क्रमांक/तकनीकी/875 दिनांक 04.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 10 केएचएम के मु0न0 58/12 को सिंचाई सुविधा देने हेतु मु0न0 58/13 में किला नं0 5,6,15,16,25 से कच्चा खाला व मु0न0 58/12 के किला नं0 25 में नक्का व कच्चा खाला स्वीकृति प्रदान की है । मौके पर जब खाला चल रहा है तथा खाला अप्रार्थी के मुरब्बे में ही है। तथा सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार रहा है प्रार्थी को नाम–जोख में सन्देह है तो नियमानुसार सीमाज्ञान करवा सकता है । उक्त प्रार्थना पत्र से मुलभूत सुविधाऐ लेने में अप्रार्थी को रोका नहीं जा सकता प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित करने में विफल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। अन्तरिम स्थगन दिनांक [illegible] निरस्त कर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/19

वरीयम खां वगै0 बनाम करीम खातुन वगै0

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक.................

..

उपरोक्त अनवानी वाद में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी पेश किया और बताया कि उपरोक्त अनवान का एक प्रकरण 06–03–19 को न्यायालय में पेश किया गया था और बताया गया कि उपरोक्त अनवान का प्रकरण पूर्व में नाजू खां बनाम नूर मोहम्मद मु0सं0 14/95 एसीसी छतरगढ़ में पेश किया जो खारिज किया गया है तथा नूर मोहम्मद बनाम फैज मोहम्मद वगैरह का दावा माननीय सहायक उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर वाद सं0 38/81 में निर्णय 09.11.1983 की अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर में की गई जो मियाद के बिन्दू पर निरस्त कर दी गई। वादी द्वारा एक ही जमीन पर उसी प्रतिवादीगण पर दुबारा दावा पेश किया है। जो धारा 11 सीपीसी के तहत पूर्व न्याय से बाधित है । अतः दावा भारी कॉस्ट पर खारिज फरमाया जावे एवं वादीगण/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्र[illegible] जवाब देकर प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रा0 पत्र के समस्त कथनों को [illegible] कि वर्तमान वाद फिटिंग दुरस्ती एवं कब्जे के आधार पर घोषणा का है। [illegible] वादगत भूमि पर वादीगण काबिज काश्त है तथा ढाणी बना रखी [illegible] के नाम है तथा वादगत प्रकरण पूर्व प्रकरण समान नहीं है। पक्षकार समान नहीं और अनुतोष व जैरकार रकबा भी भिन्न है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी/प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रा0पत्र के कथनो को दोहराते हुए प्रा0पत्र स्वीकार कर दावा रेस ज्यूकेटा के तहत खारिज करने का निवेदन किया । साथ ही बताया कि रेवेन्यु बोर्ड में भी प्रकरण चल रहा है।

अप्रार्थी/वादीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए बताया कि वर्तमान वाद एवं पूर्ववर्ती वाद का अनुतोष पक्षकार, एवं भूमि भिन्न है तथा विवाधक भी भिन्न है और वादीगण का अनुतोष फिटिंग दुरस्ती का है तथा पहले का वाद सम्पूर्ण 334 बीघा खसरो से संबंधित था। वर्तमान वाद चक प्लान के केवल 38 बीघा से संबंधित है।

वादी वरीयाम खां रिकार्ड में ही तब नहीं था तथा एक खातेदार अपने अधिकारों के लिए दावा कभी भी ला सकता है। वादीगण कभी भी कही भी किसी भी न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे है। और वादीगण ने बताया कि उसकी रिकार्डशुदा भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है तथा वादीगण जिस भूमि पर काबिज है, वह भूमि रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 ता 7 के नाम दर्ज है। ऐसे में वादीगण को फिटिंग दुरस्ती का वाद लाना आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मंथन किया । चूंकि उक्त वाद वादीगण द्वारा मुताबिक वास्तविक मौका कब्जा अनुसार घोषणात्मक फिटिंग दुरस्ती के अनुतोष के साथ पेश किया है। जिसमें पक्षकार वरीयाम खां वगै0 पुत्र नाजूखां है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9 व 11 ता 14 भिन्न है तथा प्रतिवादीगण सं0 10 खरीददार पक्षकार है। जबकि पूर्व वाद में उपरोक्त पक्षकार व वादगत भूमि समान नहीं है और ना ही अनुतोष समान है। चूंकि उक्त वाद में केवल वादीगण अपने कब्जाकाश्त की 38.14 बीघा भूमि बाबत अनुतोष चाहा है। जिसे गुणावगुण पर ही सुना जाना विधिसमत है क्योकि फिंटिग दुरस्ती में काबिज काश्तकार के हितो पर कुठाराघात ना हो। प्रथम दृष्टया वादीगण ने पानी पर्ची से कब्जा रिकार्डली बताया है। जिसे विवाधक कायमकर सुना जाना आवश्यक है तथा उक्त प्रकरण में वाद हेतुक पारिवारिक सदस्य से बाहर प्रतिवादी सं0 10 का कुछ रकबा बैय करने से उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद पूर्ववर्ती वाद से काफी भिन्न है तथा उक्त प्रकरण मे प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी लाागू नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र [illegible] सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक .... को मेरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 43/19

1. बसाउराम पुत्र इमीलाल जाति मेघवाल निवासी 8 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थी

1. सजनादेवी पत्नि बृजलाल जाति कुम्हार निवासी पतरोड़ा तहसील अनुपगढ़ हाल चक 24 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. मरियादेवी पत्नि भादरराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 17 भैरू मोहल्ला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सीताराम खीचड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. श्री जयवीरसिंह तंवर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी. अधिनियम

आदेश **दिनांक :–** 17.03.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 8 के.जे.डी. (?) ख0नं0 102/18 के किला नं0 19 में 4/5 हिस्सा अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। प्रार्थी ने न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी सं0 1 ता 2 मय अधिवक्ता

उपस्थित आये । दिनांक 21.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने मूल प्रार्थना पत्र का इकबालिया जवाब दिनांक 11.02.2020 को पेश किया।

अप्रार्थी सं0 1 का जवाब शामिल मिशल किया गया जिसमें उन्होनें बताया प्रार्थी का रकबा चक 8 के.जे.डी. (ए) का मु0नं0 102/12 के किला नं0 21 में 1.00 बीघा कृषि भूमि थी जिसमें कटानशुदा रास्ता था। लेकिन प्रार्थी ने उक्त भूमि को आवासीय भूमि के रूप में बेचान कर समस्त राशि प्राप्त कर ली थी और प्रार्थी अप्रार्थी के खेत में न्यायालय को भ्रमित कर रास्ता लेना चाहता है और इसी चक के मु0नं0 102/18 के किला नं0 19 में 16 बिस्वा के चिपता रकबा किला नं. 19 की 4 बिस्वा भूमि हरपाल सिंह पुत्र श्री सन्तासिंह की नामान्तरण सं0 506 दिनांक 07.11.2019 से औधोगिक संपरिवर्तन स्वीकृत है। प्रार्थी के पास मात्र 16 बिस्वा भूमि है और उसके चिपती भूमि में मौका पर भवन बना हुआ है। जब भूमि का छोटा टुकड़ा वाणिज्यिक उपयोग हो तो प्रार्थी का रकबा कृषि उपयोग की श्रेणी में नहीं आता है। अतः आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता स्वीकृति के लिए कृषि भूमि का कृषि उपयोग होना आवश्यक है। और अप्रार्थी सं01 ने निवेदन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो — तो [illegible] दर की दुगुनी राशि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 के किला नं0 19 में 4/5 हिस्सा अनकमाण्ड दर्ज कागजात है तथा कोई रास्ता दर्ज कागजात नहीं है तथा प्रार्थी को अपने खेत में आने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 102/18 के किला नं0 20 में खेत की सींव पर पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्प हैं। रिपोर्ट तहसीलदार में भी बताया गया है कि प्रार्थी के अपने रकबे में प्रवेश के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी मु0न0 102/18 के किला नं0 19 के नजदीकी किला नं0 20 में 2 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है। इसप्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 102/18 के किला नं0 20 में 2 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में बताया कि मेरा रकबा दक्षिण दिशा का है तथा बैयनामा पेश किया, जिसमें नोट लगा है और प्रार्थी किला की सींव पर रास्ता चाहता है जो नजरी नक्शा में प्रार्थी ने चाहा है। इसलिए अप्रार्थी सं02 को बेवजह पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 8 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 102/18 किला नं0 20 में जो अप्रार्थी सं0 1 के कब्जा काश्त में है तथा 4/5 हिस्सा दर्ज है में से किला की सींव पर पश्चित से पूर्व 2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 2 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी सं0 1 को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी सं0 1 उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी 13 केजेडी (बी) कुण्डल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थीया

1. परवीन बानो पत्नी शौकतअली कौहरी जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 13 ता 17 सालम, 23 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 07.14 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया को अपने रकबे में काश्तकार्य हेतु आने–जाने के लिए अप्रार्थी सं01 के किला नं0 15,16, 25 में रास्ता बना है, जो मौके पर चालू है इसी का उपयोग करती है और इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज है प्रार्थी ने न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक 09.09.2019 को अप्रार्थी सं0 1 मय अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दिनांक 16.12.2019 जवाब पेश किया और दिनांक 14.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। अप्रार्थीया अधिवक्ता ने जवाब में रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीया व अप्रार्थीया के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की चक 6 के.जे.डी.(ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थीया को भारी परेशानी होती है। प्रार्थीया को अपने खेत में आने–जाने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 81/29 के किला नं0 15,16, 25 में रास्ता बना है, जो मौके पर चालू है। अधिवक्ता प्रार्थीया व अप्रार्थीया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया परस्पर एकदूसरे को अपनी 2–2 बिस्वा भूमि देकर रास्ते का प्रकरण निपटाना चाहते है। चूंकि उक्त रास्ता केवल एक ही खातेदार के काम आने योग्य [illegible] नामान्तरण कर रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जावे। हमारे मत में भी विचार है [illegible] अदालत की भावना से पक्षकारों में शांति से समझौता अनुरूप [illegible] हो तो परस्पर [illegible] बाजी कम होगी इसलिए विनम्र मत में और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] की धारा 251–क के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति [illegible] का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, खाजूवाला को आदेश किये जाते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कि चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 15,16 व 25 में 2–2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जावे तथा परस्पर तबादले स्वरूप प्रार्थी की खातेदारी किला नं0 7 में 6 बिस्वा अप्रार्थी के चिपते पासे अप्रार्थी के नाम दर्ज की जावे । तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–12/20

1. रोशनी देवी पत्नि श्री किशोरी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.एस.आर. हाल चक 21 बी.एल.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– 28.02.2020

यह वाद–पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। वाद–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। वादीया के नाम से चक 21 बी.एल.डी. (ए) का मुरब्बा नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड व चक 20 बी.एल.डी. का मुरब्बा नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 38.10 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड रकबा खातेदारीशुदा है। वादीया का विवाह ओमप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 के.एस.आर. तह–सूरतगढ़ से हुआ और ओमप्रकाश के वैवाहिक जीवन से वादीया की कोख से तीन सन्तान हुई। विवाह पश्चात वादीया के समस्त दस्तावेज रोशनीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश के नाम से बने थे। उक्त रकबा वादीया ने जरिये बैयनामा दिनांक 04.02.2015 को खरीद किया । बैयनामा के दिन वादीया को समस्त दस्तावेज ओमप्रकाश के नाम से होने उक्त रकबा का बैयनामा रोशनीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश के नाम से पंजीबद्ध हुआ। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं0 160 दिनांक 05.09.2015 दर्ज हो. गया था।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीया के पति ओमप्रकाश पुत्र श्री साहबराम जा. कुम्हार की मृत्यु दिनांक 20.08. 2009 हो जाने कारण वादीया के तीन सन्तानों की शिक्षा देखरेख के लिए व सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार व परिवार के लोगो की सहमति से दिनांक 12.03.2012 को वादीया का अपने मृत पति ओमप्रकाश के छोटे सगे भाई किशोरीलाल पुत्र श्री साहबराम जाति कुम्हार निवासी 2 के.एस.आर तह–सूरतगढ़ से विवाह कर दिया । किन्तु विवाह पश्चात भी अज्ञानता वश वादीया ने फोटो पहचान दस्तावेज मृत पति ओमप्रकाश के

नाम से ही चलते रहे। और वर्तमान में वादीया के पूर्नविवाह होने से अपने समस्त फोटो पहचान के दस्तावेज व अन्य दस्तावेजो में अपने पति का नाम परिवर्तन करवाकर अपने समस्त दस्तावेज रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनी देवी पत्नी श्री किशोरीलाल से बनवा लिये है किन्तु वादीया के वादगत रकबा चक 21 बीएलडी (ए) का मु0नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 20 बीएलडी का मु0नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 38.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल करने की घोषणा की इस्तुदुवा चाही है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने वाद–पत्र में वर्णित कथनों एवं पटवारी रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया और वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, Hkkभामाशाह, विवाहप्रमाणपत्र में वादीया का नाम रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल दर्ज है और वादीया इन दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपनी खातेदारी वादगत भूमि कि प्रविष्टि में अपने पति के नाम के स्थान पर ओमप्रकाश के स्थान पर किशोरीलाल दुरूस्त करवाने की विधिक अधिकारी है। अतः वादीया का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि चक 21 बीएलडी (ए) का मु0नं0 215/02 के किला नं0 1 ता 5, 6 ता 9, 12 ता 15, 19 में कुल तादादी 14.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व चक 20 बीएलडी का मु0नं0 216/58 के किला नं0 1 ता 25 की कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 38.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रोशनी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के स्थान पर रोशनीदेवी पत्नी श्री किशोरीलाल घोषित किया जाता है और तदानुसार डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—15/20

1. कृष्णलाल पुत्र राजाराम जाति सोनार निवासी चक 1—2 एसएलएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :— 02.03.2020

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना—पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 1—2 एसएलएम का मुरब्बा नं0 18/61 में कुल 25 बीघा भूमि विशेष आंवटन हुई थी। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र राजाराम दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन के समय सहवन से कृष्णलाल पुत्र राणाराम दर्ज हो गया जो कि गलत है। प्रार्थी ने पिता का नाम राणाराम की जगह राजाराम मुताबिक आंवटन आदेश के दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने प्रार्थना—पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा पासबुक प्रति पेश की गई साथ ही चालान प्रति तथा धरोहर राशी का चालान सं0 0096 दिनांक 13/10/2000 पेश की गई तथा

चालान 35% राशी रसीद सं0 0073 दिनांक 29/11/2000 पेश की गई जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम राजाराम ही लिखा गया है तथा आंवटन आदेश में भी राजाराम ही दर्ज है लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पिता का नाम राणाराम कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जा सकता है । साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिचयपत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, मूलनिवास में भी प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र राजाराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी कृष्णलाल के पिता का नाम राणाराम के स्थान पर राजाराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **02.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–03/20

1. नथमल पुत्र श्री शिवकिशन जाति माहेश्वरी राठी निवासी सत्तासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :— 28.02.2020**

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना—पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के पिता शिवकिशन पुत्र जगन्नाथ के नाम ग्राम किशनपुरा के खसरा नं0 31 में 41.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि सम्वत् 2012 से पुरानी बन्दाबस्ती काश्त की भूमि थी जो बाद में चकबन्दी एवं मुरब्बाबंदी होने के बाद चक 5 एसजेएम के मु0नं0 78/31 के किला नं0 13 ता 17, 24 व 25 की 07.00 बीघा व मु0नं0 78/32 के किला नं0 4 ता 6, 15 की 4.00 बीघा व मु0नं0 78/39 के किला नं0 8,9 सालम, 10 में 17 बिस्वा, 12, 13, 18, 19 सालम, 20 में 17 बिस्वा, 21 में 14 बिस्वा, 22 में 17 बिस्वा, 23 में 17 बिस्वा की 10.19 बीघा व मु0नं0 78/40 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 22 की 18.00 बीघा इसप्रकार कुल तादादी 39.19 बीघा अनकमाण्ड भूमि की फिटिंग हुई। प्रार्थी के पिता शिवकिशन का सम्वत् 2014 में देहान्त हो जाने पर उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरकरण प्रार्थी व प्रार्थी के हिस्सेदार भाई सोहनलाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर—बराबर दर्ज हो गई। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2015 में दर्ज है। उक्त भूमि की हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2016 बनाते समय लिपिकीय त्रुटि एवं सहवन से प्रार्थी का नाम छोड़कर केवल प्रार्थी के हिस्सेदार सोहनलाल का ही नाम दर्ज किया। तत्पश्चात् [illegible]6.12.[illegible]75 में सोहनलाल का भी देहान्त हो जाने पर उक्त रकबा के रिकॉर्ड में सोहनलाल के वारिसान बृजरतन व करणीदान के नाम से दर्ज कर दिया गया तथा उसके आगे की जमाबंदी सम्वत् 2076 में प्रार्थी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम हटा दिया। इसप्रकार प्रार्थी अपने नाम से 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने की इस्तदुवा चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी की ओर से उसकी पुत्री लता मोहता व बृजरतन पुत्र श्री सोहनलाल आयु 57 वर्ष साकिन सतासर तहसील छतरगढ़ ने प्रार्थना पत्र के संबंध में सहमति हेतु शपथपत्र पेश किया । अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी चक 5 एसजेएम के खाता सं0 57 पुराना 51 पर बृजरतन, करणीदान पि0 सोहनलाल के साथ प्रार्थी का नाम नथमल पुत्र शिवकिशन, 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। प्रार्थी का बहिस्सा बराबर बराबर 1/2 का अंकन राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जावे।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–66/17

1. मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ जाति मुसलमान निवासी सुरासर हाल चक 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– 02.03.2020

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 21 केजेडी का मु0नं0 24/20 का किला नं0 10 ता 25 कुल 16 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 24/28 के किला नं0 20 ता 22 कुल 3.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड रकबा दिनांक 27.05.1974 को पुख्ता आंवटन हुआ था तथा उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है जो प्रार्थी अनपढ होने कारण और आंवटन के समय फोटो पहचानपत्र दस्तावेज नहीं होने के कारण तथा बोलचाल की भाषा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मजीतखॉ पुत्र बहादुरसिंह के बजाय मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ दर्ज है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा दिनांक 07.01.2006 को प्रार्थी के नाम उक्त रकबा की खातेदारी सनद मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ के नाम से जारी कर दी गई थी। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों में मजीत खॉ पुत्र बहादुरखॉ के नाम से बने हुवे है। प्रार्थी ने चक 21 केजेडी का मु0नं0 24/20 का किला नं0 10 ता 25 कुल 16 बीघा कमाण्ड तथा मु0नं0 24/28 के किला नं0 20 ता 22 कुल 3.00 बीघा कमाण्ड इसप्रकार कुल तादादी 19.00 बीघा कमाण्ड के राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉ की जगह मजीतखॉ पुत्र बहादुरखॉ दुरूस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य प्रार्थी लिये गये जिसमें प्रार्थी के छोटे भाई ने शपथपत्र पेश किया एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा आंवटन आवेदन पत्र, खातेदारी सनद पेश किये गए। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचाचत का प्रमाणपत्रत्र, मूल निवास, आधारकार्ड, परिचयपत्र, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम मजीतखॉं पुत्र बहादुरखॉं दर्ज है । ग्राम पंचायत करणीसर भाटियान ने बताया गांव सूरासर तहसील पूगल में मीरमन्द और मजीतखॉं दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है और इनसे मिलते–जुलते नाम का गांव सूरासर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। साथ ही प्रार्थी के छोटे भाई कमाल खॉं पुत्र बहादुर खॉं जाति मुसलमान निवासी सुरासर तहसील पूगल ने भी शपथपत्र पेश कर बताया कि मंजीतखॉं और मीरमन्द दोनो एक ही व्यक्ति मेरे बड़े भाई के नाम है और राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द की मंजीतखॉं कर दिया जाता है तो मुझे व मेरे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में मीरमन्द पुत्र बहादुरखॉं की जगह मजीतखॉं पुत्र बहादुरखॉं नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **02.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– ....

1. नखताराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी– खीरवा तहसील– फलौदी जिला जोधपुर।
2. नैनूराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।
3. सिदाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी खीरवा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

....

अपीलांट

बनाम

1. टेहलसिंह पुत्र बुगासिंह जाति रामदासिया निवासी गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला गंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

...... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट एकपक्षीय कार्यवही।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक..................**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट के सगे भाई केवलराम के नाम से रकबा चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। और रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा उक्त भूमि का बैयनामा करवा दिया तथा खरीददार अवैध जिप्सम खनन कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वादगत भूमि का अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 व अन्य के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. खाजूवाला में आपराधिक मुकदमा दिनांक 16.08.2012 को धारा 420, 406, 120'बी', 467, 468 आईपीसी के तहत दर्ज करवाया है । उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पारित किया है। जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012

भी स्वीकृत हो चुका है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम रिकार्ड के विपरीत जाकर जैरअपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके लिए अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पो0 को समन जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया लेकिन वाद गुजरने मियाद रेस्पोडेन्ट वकालतन या असालतन हाजिर उपस्थित नहीं आये फलस्वरूप दिः 25.02.2020 को रेस्पो0 1 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किये जाकर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि चक 40 केजेडी में मु0नं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त भूमि का बैयनामा कर दिया । वह सरासर गलत व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांट के भाई ने ग्रा.पं. जोड़ तह–फलौदी जिला जोधपुर से वारिसनामा पेश किया जिसमें केवलराम के तीन भाई नेनूराम पुत्र हरजीराम, सिदाराम पुत्र हरजीराम, नखताराम पुत्र हरजीराम का जायज वारीस बताया है। चूंकि प्रकरण पक्षकारों के वसीयतन एवं विरासतन को लेकर है तथा नामान्तरण एवं फिस्किल प्रोसेसिंग है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 1[illegible]:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिसे दोनों पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय को [illegible] गुणावगुण पर निर्णय देना था। जहां ब्लड रिलेशन से बाहर वसीयत हो तो मृतक के वारिसों को सुनकर समुचित जांचकर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है रही बात वसीयत सही या फर्जी उसके लिए न्यायालय हाजा किसी प्रकार से सक्षम नहीं जहां विवाद हो जाता है और सन्देहास्पद वसीयत हो जाती है तो वहां दोनों पक्षकारों को गुणवगुण पर सुन लेना आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल सं0 25 दि: 11.04.2012 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दि: 11.04.2012 इन्तकाल सं0 25 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला, जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–63 / 19

9. सरपंच ग्रा0पं0 17 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

7. सुगनाराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी जयसिंहदेसर मगरा तहसील नोखा जिला बीकानेर, हाल 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. हनुमानराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9. मांगीलाल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
10. बृजलाल पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
11. भानीराम पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. पेमा पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
13. गिरधारी पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
14. सम्पतकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
15. कुम्भाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
16. मंगलूराम पुत्र मालूराम जाति जाट निवासी 16 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

17. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

3. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
4. पैरोकारराज उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कॉलोनी क[illegible] 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट [illegible] सुखाधिकार अधिनियम

आदेश दिनांक :– 03.03.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। ग्राम पंचायत के चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/22, 30, 38, 46, 54 ,62 आदि मुरब्बो के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गांव बाण्डका तक जाता है जो कि उक्त रास्ता रियासतकाल से चल रहा है तथा चकबंदी के समय से ही सीएडी ने उक्त रास्ता के खाळो पर पूल वगैरह बनाकर चालू कर रखा है। उक्त रास्ता पूर्व ग्राम पंचायत दन्तौर के रिकार्ड में कटान है तथा मनरेगा योजना में ग्रेवल सड़क भी तैयार की गई थी। परन्तु उक्त रास्ता सहवन से राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से रह गया है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया जाता है जो ग्राम पंचायत का कई गांवों से सम्बंध विच्छेद हो जाएगा। ग्राम सभा ने भी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का प्रस्ताव पारित किया है और रास्ता रियासतकाल से चलने के सुखाधिकार का दावा कर रास्ता रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया तथा पटवारी हल्का दन्तौर से रिकार्ड व मौका की जांच रिपोर्ट व नियमानुसार प्रस्ताव तैयार करवाए गए। अप्रार्थीगण कुम्भाराम, गिरधारी, सम्पत कंवर वगैरह ने उक्त रास्ता निःशुल्क अंकन बाबत् आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल सूचना अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 14.01.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रस्ताव ग्रामपंचायत व तहसीलदार रिपोर्ट नजरी–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के लिये उक्त रास्ते की महती आवश्यकता है तथा प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत दन्तौर से स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता चलायमान भी है और चूकिं उक्त रास्ता व्यक्ति विशेष के बजाय आमजन के ज्यादा काम आ रहा है और सार्वजनिक रास्ते की श्रेणी में है। जिस पर सरकारी धन यथा ग्रेवल सड़क निर्माण में लगा है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायाहित में उचित है। चूंकि वर्तमान में धारा 251ए आटीए अस्तित्व में आ गया है लेकिन सार्वजनिक उपक्रम में आने वाले रास्तो या जनहितार्थ जहां रास्ता कटान करना है। वहां राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) प्रभावी है और उक्त प्रकरण जनहितार्थ है इसलिए इसे राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) से निस्तारित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) व अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं सुखाधिकार अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों व वर्तमान परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 केएचएम के मु0नं0 220/22, 30, 38, 46, 54 ,62 आदि मुरब्बो के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता गैर–मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला तदानुसार रिकार्ड में अंकन कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें । पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ख[illegible]ला जिला बीकानेर
पीठासीन [illegible] कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 14/20

1. जगदीश पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सहीराम पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सुरजाराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. श्रवणराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. सायरी बेवा हापूराम
2. सोहन पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
3. बाबूलाल पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
4. शान्ति पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
5. मुनकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
6. गलकी
7. मोरकी
8. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक..................

..

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 47/31 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा एवं मु0नं0 47/39 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें 18.00 कमाण्ड एवं 32.00 अनकमाण्ड कुल 50.00 बीघा भूमि हापूराम पुत्र भगाराम को आंवटनशुदा थी। अपीलांट ने ही हापूराम की जीवनकाल में सेवाचाकरी और हापूराम ने स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 12.05.1989 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी। हापूराम का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को जाने के बाद अपीलांट ही लगातार उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहा है तथा समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवाकर और काफी खर्चा कर सिंचाई योग्य कर भूमि को खेती लायक बनाया। जनवरी 2010 को अपीलांट उक्त भूमि रिकार्ड में अराजीराज और किश्तों के अभाव में खारिज की जानकारी हुई तो अपीलांट ने बहाली की कार्यवाही शुरू की। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट ने इकतरफातौर पर उक्त जैर अपील आदेश पारित करवाकर अपने नाम विरास्तन दर्ज करवा ली। अपीलांट ने उक्त जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत के तौर पर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को रजि0ए0डी0 सम्मन से तलब किया गया दिनांक 17.02.2020 को रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई उपस्थित आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे । जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा रेस्पोडेन्ट्स के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया । जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो काबिल खारिजी है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिकार्ड की कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट्स को दी गई। अपितु बालाबाला बिना मजमा आम मीटिंग के बिना प्रस्ताव ग्राम सभा के उक्त इंतकाल स्वीकृत लिख हस्ताक्षर कर दिये जो प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्त के खिलाफ होने से काबिल खारिजी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर दे... गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ... दुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है ... उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन ... चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती

है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है और रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं0 3 के साथ प्रार्थना पत्र मीमो न्यायालय जिला जज बीकानेर का पेश किया तथा फोटो प्रतिया पेश की है जो जैरअपील पक्षकारों के सम्बंध में नही है तथा इस अपील में उक्त दस्तावेजों का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जैरअपील इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 स्वीकृत करते समय अपीलांट्स की जरिये वसीयतनामा जायज वारीसान थे । चूंकि हापूराम ने अपने जीवनकाल में जैर अपील भूमि के वसीयत दिनांक 12.05.1989 को अपीलांट के पक्ष में कर दी थी तथा निरन्तर कब्जा रहा है और जबतक वसीयत अस्तित्व में है तब तक उसे सुना जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारों को सुनकर मजमेआम में निर्णय देना था तथा पक्षकारों को सम्पूर्ण सुनवाई कर विधिसम्मत वसीयतन प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में जैरअपील आदेश कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 43 दिनांक 10.01.2011 चक 7 एसएसएम निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि जैरअपील भूमि को वसीयत दिनांक 12.05.1989 के अनुसार दोनों पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 15 / 11

1. जगदीश पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सहीराम पुत्र बुधराम जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. सुरजाराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. श्रवणराम पुत्र सुलतान जाति बावरी निवासी 16 केएनडी हाल 7 एसएसएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. जीतासिंह पुत्र बिरामसिंह जाति बाजीगर निवासी 20 केवाइडी तहसील खाजूवाला।
2. ग्राम पंचायत सियासर चौगान जरिये सरपंच पंचायत समिती खाजूवाला।
3. सायरी बेवा हापूराम
4. सोहन पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
5. बाबूलाल पुत्र हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
6. शान्ति पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
7. मुनकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
8. गलकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
9. मोरकी पुत्री हापूराम जाति मेघवाल निवासी रामडाबास कल्ला तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।
10. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

....

रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री सुभाष विश्नोई विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 की ओर से ।
3. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक...................

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि चक 7 एसएसएम के मु0नं0 47/31 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा एवं मु0नं0 47/39 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड जिसमें 18.00 कमाण्ड एवं 32.00 अनकमाण्ड कुल 50.00 बीघा भूमि हापूराम पुत्र भगाराम को आंवटनशुदा थी। अपीलांट ने ही हापूराम की जीवनकाल में सेवाचाकरी और हापूराम ने स्वेच्छा से रूबरू गवाहान दिनांक 12.05.1989 को उक्त भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी। हापूराम का देहान्त दिनांक 15.12.2000 को जाने के बाद अपीलांट ही लगातार उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त कर रहा है तथा समस्त किश्तें खजाना राज में जमा करवाकर और काफी खर्चा कर सिंचाई योग्य कर भूमि को खेती लायक बनाया। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने इकतरफातौर पर अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने की जानकारी अपीलांट को हुई तो रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को बेचान कर दी। जिसमें बैयनामा दिनांक 11.02.2011 को होना बताया है और आर.आई दन्तौर ने एडवांस में ही दिनांक 21.01.2011 को रिकार्ड से मिलान कर दिया जो स्वतः ही निष्प्रभावी आदेश है जिसमें ग्राम पंचायत ने भी अपना योगदान दिया और बिना मौका निरीक्षण, बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव लिये बिना तारीख उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया और पटवारी हल्का ने जमाबंदी में दर्ज करते वक्त नोट लगाया ना.स. 48 दिनांक 07.03.2011 से बैयनामा अनुसार दर्ज किया गया जो प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। अपीलांट ने उक्त जैरअपील आदेश इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 को निरस्त कर अपीलांट के नाम वसीयत के तौर पर पुनः इंतकाल दर्ज करने के आदेश की इस्तदुवा की है।

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को सम्मन से तलब किया गया दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में ग्रा.प. सियासर चौगान उपस्थित हुई और रेस्पोडेन्ट सं01 द्वारा प्राथमिक आपत्ति पेश की गई। । बहस सुनी गई ।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेंट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी

बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे ।

जिसका नाम सहवन से अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया तथा रेस्पोडेन्ट्स के नाम इंतकाल दर्ज कर दिया । इसी दौरान रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने इकतरफातौर पर अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने की जानकारी अपीलांट को हुई तो रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 ता 9 ने उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं0 1 को बेचान कर दी। जिसमें बैयनामा दिनांक 11.02.2011 को होना बताया है और आर.आई दन्तौर ने एडवांस में ही दिनांक 21.01.2011 को रिकार्ड से मिलान कर दिया जो स्वतः ही निष्प्रभावी आदेश है जिसमें ग्राम पंचायत ने भी अपना योगदान दिया और बिना मौका निरीक्षण, बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव लिये बिना तारीख उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया और पटवारी हल्का ने जमाबंदी में दर्ज करते वक्त नोट लगाया ना.स. 48 दिनांक 07.03.2011 से बैयनामा अनुसार दर्ज किया गया जो प्राकृतिक न्याय के एकदम खिलाफ व काबिले खारिजी है। रेस्पोडेन्ट ने फार्म नं0 3 के साथ कुछ फोटो प्रतियां 145 सीआरपीसी से सम्बंधित पेश की है तथा बहाली आदेश एवं इंतकाल प्रति पेश की और बताया की उक्त भूमि रिसिवर हुई थी तथा निगरानी जैरकार है वकील अपीलांट ने बताया की वह अलग पक्षकार है तथा अपीलांट उसमें पक्षकार नहीं है तथा जैरअपील में जो विधिक त्रुटियां है उसके खिलाफ न्यायालय में आये है जिसे सक्षम न्यायालय ही दुरस्त/निरस्त कर सकता है दिवानी प्रक्रिया अलग है। इसलिये उक्त दस्तावेजो का जैर अपील से सम्बंध नहीं रह जाता है।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अपीलांट्स ने अपने नाम वसीयतनामा पेश किया की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 प्रस्तुत करते समय अपीलांट्स को पक्षकार ही नहीं बनाया गया ना ही अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स का नाम है। अतः अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 का भी अवलोकन व अध्ययन किया। जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने प्राथमिक आपत्ति पेश कि है उसमें कहीं भी पैन त्रुटि या तारीखों बाबत् खण्डन नहीं किया है अपनी आपत्ति में पैरा 2 में साथ लिखते है कि बैयनामा 11.02.2011 को करवाया गया था उसकी पालना में इन्तकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 को दर्ज किया गया है जो अपीलांट के कथनों को स्वतः ही साबित करते है तथा जमाबंदी अंकन में इन्तकाल सं0 48 दिनांक 07.03.2011 अंकन इससे साफ जाहिर है कि इन्तकाल दर्ज करने में अनियमितता बरती गई है और यह बैकडेट में दर्ज करने का प्रयास भी हो सकता है। सन्देह उत्पन्न करता है तथा अपीलांट ने अपना कब्जा बताया है ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर राजस्थान सरकार के परिपत्र में पत्रांक/रा.म./भू.अ./जी–3/प–301/05/5659 दिनांक 09/05/2008 के अनुसार भले ही [illegible]कृत दस्तावेज हो लेकिन कब्जा सिद्ध नहीं करने पर इन्तकाल दर्ज नहीं [illegible] सकता। ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल कायम रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचना के आधार पर [illegible] अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 48 दिनांक 21.01.2011 चक 7 एसएसएम निरस्त किया जाकर तथा तहसीलदार खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि

रेस्पोडेन्ट सं0 1 के बैयनामा दिनांक 11.02.2011 को एवं कब्जा की जांच करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–73/17

1. रोशनअली पुत्र जगीरखां जाति मुसलमान निवासी कलां हाल चक 10 केएलडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री नरेन्द्र गौड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– 05.03.2020

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 7 केएलडी हाल चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 के किलानं0 1 ता 20 की 20 बीघा भूमि बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन व किला नं0 21 ता 25 की 5 बीघा भूमि बतौर स्मालपेच आवंटन प्रार्थी के नाम से आवंटित की गई थी। जिसकी समस्त किश्तें प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई है। उक्त आवंटन शुदा भूमि में से किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक किला में 3–3 बिस्वा कुल 15 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी ने अपने रिकार्ड में बतौर रास्ता दर्ज कर दिया जिसपर वर्तमान में आवागमन हेतु पक्की सड़क है। परन्तु इस रास्ते के मौजूद होते हुए भी किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी ने अपने रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेश के बतौर रास्ता दर्ज कर दिया जबकि नियमानुसार एक मुरब्बे में एक रास्ता अथवा एक खाला कायम करने के प्रावधान है। उक्त रास्ता वर्तमान में ना तो मौके पर चालू है और ना ही कभी आवागमन के काम आया है। परन्तु रिकार्ड व मौके की स्थिति में अन्तर होने के कारण प्रार्थी की आवंटनशुदा कब्जेकाश्त की भूमि का रिकार्ड में प्रार्थी के नाम का सही अंकन नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी ने आवंटनशुदा कब्जेकाश्त की भूमि चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 किला नं0 1,10,11,20,21 प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि को रिकार्ड में दुरूस्ती कर रास्ते के स्थान प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज की जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकार्ड के अनुसार 1,10,11,20 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा तथा 21 में 5 बिस्वा, 22 ता 25

प्रत्येक में 3–3 बिस्वा कुल 1.05 बीघा पगडंडियॉं तथा रास्ते (चारागाह के लिए नहीं) दर्ज है और तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट के विशेष में बताया कि चक 10 केएलडी 'ए' के मु0नं0 239/3 में रिकार्ड अनुसार स्थिति रखी जावे तो उचित होगा। प्रार्थी द्वारा नकल आवंटन पत्रावली, आवंटन पट्टा व भूमि के किश्तों की रसीदें व टीआरए सेल रजिस्टर की तस्दीक पेश की और ग्राम पचांयत कुण्डल का अनाप्ति प्रमाणपत्र पेश किया गया और अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 136 एल0आर0ए0 में पेशकर अनुतोष उक्त भूमि का पुनः खातेदार दर्ज करने का चाहा है। जबकि धारा 136 एल0आर0ए0 में केवल दुरस्त या शुद्धि करने का अधिकार है और वह जब रिकार्ड में अमलदरामद होने के बाद कोई लिपिकीय या पैन त्रुटि से स्थिति में बदलाव आ जाता है तो पहले की स्थिति पुनः लाने के लिए दुरस्त प्रार्थना–पत्र लाया जा सकता है। उक्त प्रकरण में आवंटन होना सही हो सकता है लेकिन अमलदरामद करते वक्त क्या पट्टे मुताबिक दर्ज हुआ और बाद में रास्ता कटान हुआ जो जनउपयोगी नहीं होने के कारण निरस्त किया जा सकता है। परन्तु प्रार्थी ने यह कही साबित नहीं किया की रिकार्ड में समस्त भूमि आवंटन आदेश मुताबिक दर्ज हुई और खातेदारी जारी की गई बाद में गलत अंकन हुआ। यह साबित करने का भार प्रार्थी पर था। जो पत्रावली पर कहीं उपलब्ध नहीं है केवल 136 एल0आर0ए0 के प्रार्थना पत्र पर किस्म परिवर्तन कर प्रार्थी को खातेदार दर्ज करने के आदेश नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी को अनुतोष लेना है तो घोषणात्मक वाद ला सकता है तथा हित एवं टाईटल की घोषणा बगैर दुरस्ती कर खातेदार दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 की परिधि में नहीं होने के कारण खरिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–76/16

1. शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवासी 1 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 28.02.2020**

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–प[illegible] इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/3[illegible] 2[illegible] बीघा भूमि अंकन है तथा उक्त मुरब्बा कि खातेदारी 25.00 [illegible] जारी की ग[illegible] । उक्त भूमि में किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा व 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान है। परन्तु आजतक किला नं0 1,10,11,20,21 का रास्ता 30 [illegible] से चालू है और किला नं0 21 ता 25 में जो कटान है वह रास्ता कभी भी चालू नहीं था तथा ना ही वर्तमान में उक्त रास्ते की आवश्यकता है। चक प्लान के अनुसार उक्त रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त रास्ता को निरस्त कर उक्त 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार खाजूवाला ने जवाब/रिपोर्ट अनुसार वर्तमान रिकार्ड के अनुसार चक 1 पीएचएम के मु0नं0 177/30 के किला नं0 1,10,11,20,21,22,23,24,25 में कुल 1 बीघा कमाण्ड पगडंडियॉ तथा रास्ते पगडंडियॉ (चारागाह के लिए नहीं) दर्ज है और इसी मुरब्बे के किला नं0 1,2 ता 9 10,11,20,21,22,23,24,25 कुल 24 बीघा कमाण्ड भूमि शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर दर्ज रिकार्ड है।

इस मुरब्बे के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा मौके पर सड़क बनी हुई है तथा मौके पर चालू है। इसी मुरब्बे के किला नं0 21,22,23,24,25 में 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि रास्ता काम नहीं आ रहा है तथा मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा खातेदारी सनद, विक्रय विलेख नकल व रकम जमा कराने का चालान की तस्दीक पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और बहस पर मनन किया तथा खातेदारी सनद एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा में भी चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/30 की 1 ता 25 भूमि प्रार्थी की खातेदारी है और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के लिपिकीय त्रुटि से दर्ज उक्त रास्ते को खारिज किया जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना न्यायसंगत है। अतः चक 1 पीएचएम 'ए' के मु0नं0 177/30 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किला नं0 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता की भूमि को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—29 / 19

1. विनोद कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति विश्नोई निवासी चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजूराम पुत्र श्री आत्माराम जाति कम्बोज निवासी 55 एफ. तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक 7 बीएलडी तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. उपपंजीयक खाजूवाला।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला ।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

आदेश दिनांक :— 13.03.2020

वादी ने अपने वाद—पत्र में कथन किया कि वादी व वादी के भाई रामकुमार ने प्रतिवादी सं0 1 से उसका रकबा वाके चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25 / 40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18—18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा कमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर—बराबर जरिये इकरारनामा दिनांक 07.05.2019 को एवज रूपये 19,00,000 / — रूपये में सौदा बैय का कर सौदा की साई पेटे राशि 5,00,000 / — रूपये प्रतिवादी सं0 1 ने नकदी प्राप्त कर लिये थे तथा बकाया राशि वर—वक्त बैयनामा पर देना तय हुआ था। उक्त भूमि में वादी के 1 / 2 हिस्सा भूमि का बैयनामा वादी के पक्ष में दिनांक 17.07.2019 को कराने का करार किया था तथा इकरारनामा की दिनांक को ही बहद्दात भूमि के 1 / 2 हिस्सा भूमि कब्जा वादी को करवा दिया गया था। तब से लेकर आज तक भूमि पर हमारा कब्जा है एवं हम काश्त कर रहे है। मुताबिक इकरारनामा प्रतिवादी सं0 1 ने जानबूझकर बईमानी से टाल—मटोल करते रहे। अब प्रतिवादी सं0 1 भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील प्रतिवादी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद इस न्यायालय के श्रवणीय अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रतिवादी सं0 1 बतौर टीनेन्ट भूमि पर काबिज है। वादी को कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं हुआ है। वाद सव्यय खारिज किया जावे।

वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 तथ्य स्पष्ट रूप से अस्वीकार है और कृषि भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। वादी द्वारा वाद पत्र के जरिये इकरारनामा की पालना बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा है और धारा 92ए में अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का पूर्ण क्षेत्राधिकार है और मौके पर कब्जा नहीं होना जो बताया है वह अस्वीकार है । क्योंकि प्रथमतः कब्जा होना या नहीं होना आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रीव्यू में नहीं आता है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा दिनांक 25.07.2019 को वादी द्वारा जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा कृषि भूमि वाके चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा कमाण्ड भूमि में आकर बेदखल करने की धमकी दी, उसी के आधार पर वादी को वाद लाने का अधिकार हासिल हुआ। वादी ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 17.07.2019 को विधिक रूप से खरीद की हुयी भूमि पर कब्जा और काश्त किया है। आज भी वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जो धारा 92 (ए) आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत आता है। इसलिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वादी को बेदखल नहीं किया जावे। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षो की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने जरिये ईकरारनामा वादगत कृषि भूमि चक 2 एचडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला के मु0नं0 25/40 के किला नं0 1 में 10 बिस्वा, 8 ता 13, 18 ता 20 सालम, 21 ता 23 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल तादादी 12.04 बीघा भूमि कमाण्ड/ अनकमाण्ड जरिये ईकरारनामा वादी एवं वादी के भाई ने प्रतिवादी सं0 1 से खरीद की है। ईकरारनामा की पालना का वाद–पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद–पत्र क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

आदेश आज दिनांक **13.03.2020** को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड
अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 04 / 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

1. रोहित पुत्र शुभकरण जाति ब्राहम्ण निव[illegible]ली फकोरियान तह– देहरा जिला कांगड़ा हाल आबाद चक 8 केवाईडी [illegible] तह[illegible] खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. पैरोकार राज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक 13.03.2020

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेश की गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट के पिता स्व0 श्री शुभकरण पुत्र श्री मंगतूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि वाके चक 8 केवाईडी 'ए' का मु0नं0 175/37 का किला नं0 1 सालम, 9 में 7 बिस्वा, 10 ता 12, 19 व 20 सालम, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा कुल तादादी 8.03 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि पौंग बॉध विस्थापित होने के एवज में प्राप्त है, की एक रजिस्ट्रर्ड वसीयत अपीलांट के पक्ष में करवाई गई थी। अपीलान्ट के पिता श्री शुभकरण की मृत्यु दिनांक 21.02.2017 को होने के बाद अपीलांट अपनी उक्त वसीयतशुदा भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलान्ट ने उक्त वसीयत का फैसला डिप्टी कमीशनर कांगड़ा से दिनांक 03.04.2017 को करवाकर उक्त वसीयतशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तो रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूरी वारिस प्रमाण पत्र का डीसी कॉगड़ा (हिमाचलप्रदेश) से पुष्टि करवाकर जरिये आदेश क्रमांक 1342 दिनांक 28.06.2017 के हल्का पटवारी को उक्त रकबा का रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जिससे हल्का पटवरी द्वारा उक्त भूमि जायज वारिस प्रमाण पत्र जो डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा जारी क्रमांक नं0 116/DCR/KGO/2017 दिनांक 03.04.2017 के आधार पर इन्तकाल सं0 180 दिनांक 05.07.2017 का अंकन कर दिया ।

जिसे रेस्पोडेन्ट ने बिना भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की जॉच किये इन्तकाल सं0 180 को अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका व सूचना दिये इकतरका तौर पर दिनांक 12/01/2018 को अस्वीकृत कर दिया। जबकि डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा वसीयत को सुनकर कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। राजस्थान पोंग बॉध विस्थापितों की आवंटित भूमि के संबंध में पुश्तैनी भूमि और वसीयत प्रकरणों तथा व[illegible] से [illegible] [illegible] सुनने का भी अधिकार डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा को प्राप्त है व कान[illegible] प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण के सम्बन्ध में क्षेत्रा[illegible] है। अपील अपीलांट ने अस्वीकृत इन्तकाल सं0 180 दिनांक 12/0[illegible]2018 दर्ज किया गया को निरस्त कर अपीलांट की वसीयतशुदा भूमि 8.03 बीघा का इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपील पेश होने पर रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। बहस सुनी गई ।

दौराने बहस अपील अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश निराधार व एकतरफा दर्ज किया गया है। जिसे निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया जैरअपील इंतकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 दर्ज करते समय अपीलांट वसीयतानुसार वारिस थे । जिसे रेस्पोडेन्ट ने बिना भौतिक सत्यापन व दस्तावेजों की जॉच किये इन्तकाल सं0 180 को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका व सूचना दिये इकतरका तौर पर दिनांक 12/01/2018 को अस्वीकृत कर दिया। जो खिलाफ प्राकृतिक न्याय और बिना जांच किये बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिकार्ड की कोई पुष्टि नहीं करवाई ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस या अन्य सूचना अपीलांट को दी गई। जबकि डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा द्वारा वसीयत को सुनकर कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। राजस्थान पोंग बॉध विस्थापितों की आवंटित भूमि के संबंध में पुश्तैनी भूमि और वसीयत प्रकरणों तथा वारिसान से सम्बधित वाद विवाद सुनने का भी अधिकार डिप्टी कमीश्नर कॉगड़ा को प्राप्त है व कानूनी जायज प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरण के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त है।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है। चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है ।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दृष्टांतो के साथ विद्वान अधिवक्ता और राज पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया । अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 180 दिनांक 12/01/2018 चक 8 केवाईडी 'ए' का मु0नं0 175/37 का किला नं0 1 सालम, 9 में 7 बिस्वा, 10 ता 12, 19 व 20 सालम, 21 में 18 बिस्वा, 22 में 18 बिस्वा कुल तादादी 8.03 बीघा को अस्वीकृत कर दिया है ।

उक्त आदेश को निरस्त किया जाकर पुनः नि[illegible]र इंतकाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किया जाता है। प[illegible]वली [illegible]लशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को सरे [illegible]लास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— संदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 28/17

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेन्द्रकुमार जाति जाट निवासी 13 केजेडी (बी) कुण्डल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।

बनाम .... प्रार्थीया

1. परवीन बानो पत्नी शौकतअली कौहरी जाति मुसलमान निवासी रिड़मलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रफीक शाह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :— ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है। प्रार्थी की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थी को भारी परेशानी होती है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 13 ता 17 सालम, 23 ता 25 प्रत्येक में 18—18 बिस्वा कुल तादादी 07.14 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया को अपने रकबे में काश्तकार्य हेतु आने—जाने के लिए अप्रार्थी सं01 के किला नं0 15,16, 25 में रास्ता बना है, जो मौके पर चालू है इसी का उपयोग करती है और इसी मु0न0 81/29 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ता कटानशुदा दर्ज है प्रार्थी ने न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कटान कर चालू करवाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया अप्रार्थी को रजि0ए0डी0 समन तलब किया गया जिसपर दिनांक [illegible] को अप्रार्थी सं0 1 मय अधिवक्ता उपस्थित आये । अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने दि0 16.12.2019 जवाब पेश किया और दिनांक 14.01.2020 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। अप्रार्थीया अधिवक्ता ने जवाब में रास्ता देने हेतु असहमति जताई एवं अधिवक्ता प्रार्थीया

ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीया व अप्रार्थीया के जवाब और बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की चक 6 के.जे.डी. (ए) के मु0न0 81/29 के किला नं0 01 ता 06 सालम, 7 में 10 बिस्वा कुल तादादी 06.10 बीघा कमाण्ड भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी है। जिसमें आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिससें प्रार्थीया को भारी परेशानी होती है। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र अनुसार अपने खेत में आने–जाने के लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 81/29 के किला नं0 15,16, 25 में मौके पर चालू रास्ता उपलब्ध है का राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिए जाते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–53/19

1. मुनसफ खां पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी चक 14 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. मोहम्मद युसुफ पुत्र श्री हसन खां जाति मुसलमान निवासी चक 14 केवाईडी तह. खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
2. शाखा प्रबन्धक, एमजीएम, खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री जयवीरसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थीगण व उनके अन्य हिस्सेदारान माता व भाई के नाम से तहसील खाजूवाला का चक 14 केवाईडी का मु0नं0 136/3 के किला नं0 1, 10 ता 20, 22 ता 25 में कुल तादादी 15. 06 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि है जो प्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटित थी। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त रकबा विरासतन नामान्तरण से प्रार्थीगण व उनकी माता तथा बहन/भाईयो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। उस वक्त प्रार्थीगण का नाम वारिसनामा में गलत होने के कारण राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। प्रार्थी सं0 1 का वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम मुनसफ है जो राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में मुन्सीबखां दर्ज हो गया तथा प्रार्थी सं0 2 का वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम मोहम्मद युसुफ है जबकि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी में जुसीबखां दर्ज हो गया। प्रार्थीगण का रिकार्डेड एवं वास्तविक नाम मुनसफ व मोहम्मद युसुफ ही है और इसी नाम से अन्य समस्त दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड को छोडकर) है। प्रार्थी सं0 1 एवं 2 ने राजस्व रिकार्ड में क्रमशः मुन्सीबखां के स्थान पर मुनसफ और जुसीबखां के स्थान पर मोहम्मद युसुफ दुरस्त करने की इस्तदुवा चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थीगण ने स्वयं के और भाई व माता के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत 17 केवाईडी से प्रमाण पत्र पेश किये। साक्ष्य प्रार्थीगण लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई । शाखा प्रबन्धक, एमजीबी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थीगण ने स्वयं के और भाई व माता के शपथ पत्र व ग्राम पंचायत 17 केवाईडी से प्रमाण पत्र पेश किये। जिसमें भाई व माता ने उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार दुरस्ती की जाती है तो कोई एतराज नहीं जताया । अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के क्रमशः दर्ज नाम मुनसफ व मोहम्मद युसुफ की जगह मुन्सीबखां व जुसीबखां सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है । साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिचयपत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड,पैनकार्ड में भी प्रार्थीगण का नाम क्रमशः मुनसफ व मोहम्मद युसुफ दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं0 1 का नाम मुन्सीबखां की जगह मुनसफ और प्रार्थी सं0 2 का नाम जुसीबखां की जगह मोहम्मद युसुफ नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 19/19

1 हरखाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 18बीडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. जसोदा पुत्री हरखाराम जाति जाट निवासी 18बीडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1 गेनाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।
2 सुगनी पत्नि गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।
3 मनीराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।
4 अमानाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।
5 संतोष पत्नि अमानाराम जाति जाट निवासी गली नं0 14 राममुरा बस्ती लालगढ़ तहसील व जिला बीकानेर।
6 केसुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट वैष्णो धाम के पीछे तहसील व जिला बीकानेर।
7 चनणसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी 20 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
8 चगड़सिंह पुत्र बचनसिंह जाति मजबीसिख निवासी 20 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
9 डूंगरमल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी दिखणादा बास नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
10 श्यामसुन्दर पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी दिखणादा बास नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
11 राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।
12 एस.बी.बी.जे. शाखा खाजूवाला जरिए शाखा प्रबंधक खाजूवाला।

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2 श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ता 6की ओर से।
3 श्री भूपेन्द्रसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 7 ता 8 की ओर से।
4 अप्रार्थी सं0 9 ता 10 एकपक्षीय कार्यवाही।
5 श्री कृष्णकुमार विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 12 की ओर से।
6 पैरोकारराज उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश दिनांक :— 13.03.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार कि वादगत भूमि वाके चक 18 बी.डी. (ए) के मुरब्बा नं0 95/64 के किला नं0 1 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 2 ता 9 तादादी 8 बीघा, किला नं0 10 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 11 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 12 ता 19 तादादी 8 बीघा, किला नं0 20 तादादी 18 बिस्वा, किला नं0 21 18 बिस्वा, किला नं0 22 ता 25 तादादी 4 बीघा कुल तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा में स्थित है। जिसमें किला 1 ता 20 तादादी 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी सं0 1 की खातेदारी भूमि है तथा किला नं0 21 ता 25 तादादी 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी सं0 2 की खातेदारी भूमि है। दिनांक 06.07.2018 को प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने वादगत भूमि पर बने कच्चे मकान का ताला तोड़कर नाजायज कब्जा कर लिया जिसके बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 के विरूद्ध एफ.आई.आर. सं0 157 दिनांक 06.07.2018 को दर्ज करवाई और प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त वादगत भूमि पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जाकर उक्त वादगत भूमि को बहैसीयत रिसीवर अपने कब्जे में लेने की इस्तदुवा चाही है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तामिल होने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 6 एवं 7 ता 8 व 12 मय अधिवक्ता उपस्थित आये और अप्रार्थी सं0 9 ता 10 बावजूद तामिली उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तमाम कथनो को निराधार, बेबुनियाद बताते हुये अस्वीकार किया है। और अपने विशेष कथन में बताया कि उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की आवंटनशुदा खातेदारी भूमि है, जिसपर आवंटन से लेकर आजतक अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास कर कब्जा काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण ने अप्राथीगण की भूमि की को फर्जी दस्तावेजों व अन्य व्यक्ति को खड़ा कर उक्त भूमि का बैयनामा अपने नाम से करवाया है, जिसके लिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खिलाफ पी.एस. पूगल में एफ.आई.आर. 82 दिनांक 23.10.2018 व पी.एस. सदर बीकानेर में 339 दिनांक 17.09.2018 दर्ज करवाई, जिसकी जॉच विचाराधीन है, तथा विक्रय पत्र निरस्त करवाने हेतु डीजे कोर्ट बीकानेर के प्रार्थना सं0 90/18 तथा प्रार्थनाा सं0 19/18 पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थीगण को दिनांक 16.10.2018 से उक्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। अप्रार्थीगण 1 ता 6 अपनी कृषि भूमि चक 18 बी.डी. में मु0नं0 95/64 के किला नं0 1 ता 25 सालम 25 बीघा में आवंटन से लेकर आज तक मकान बनाकर काबिज काश्त है तथा प्राथीगण ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि को अपने नाम करवाया है, जिसकी तमाम जाँच सिविल न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

बीकानेर और पी.एस. पूगल व सदर थाना बीकानेर में विचाराधीन है, प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा व रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना निराधार है। अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब के साथ रूलिंग पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दौराने विचारण वाद उक्त भूमि को रिसिवर करने का निवेदन किया अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब के कथनों को दोहराते हुऐ बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मैलाफाइड आश्य से पेश किया गया है चूंकि उक्त वादगत भूमि बाबत पहले से ही सिविल वाद विचाराधीन है तथा फौजदारी कार्यवाही जैरकार है । जहां सिविल अदालत में वाद जैरकार है तो यहां रिसिवर का कोई औचित्य नहीं है और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति अप्रार्थीगण को है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो और बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि उक्त वादगत भूमि बाबत दोनों पक्षकारों में सिविल वाद जैरकार है तथा फौजदारी कार्यवाही चल रही है। रिसिवर के लिए सक्षम सिविल न्यायालयों में चाराजाही की जानी चाहिए। चूंकि हित व राइट्स संबंधी घोषणा सिविल दावा में ही होगी। प्रार्थी अन्य अदालतों के प्रकरण जैरकार रहते यहां किसी प्रकार का उपचार नहीं ले सकता। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असक्षम रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र रिसिवर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–05/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

मेघराज पुत्र चेतन राम जाति जाट साकिन बासी तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री मनीराम जाखड़ अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– दिनांक :– 20.03.2020

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसकी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी भूधारक है तथा इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन कर रहा है तथा अपने दायित्वों के अधीन उक्त वाद पत्र के माध्यम से आसामी को बेदखल किये जाने की मांग करता है। प्रतिवादी मेघराज पुत्र चेतनराज जाति जाट सा0 बासी तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर का खाता राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार चक 1 बी.आर.डब्लू.एम. के मु0नं0 101/39 के किला नं0 15 ता 25 कुल 10.06 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज है और प्रतिवादी भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना संपरिवर्तन कराये गैर कानूनी ढ़ंग से ईंट भट्टा लगाकर औधागिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है अतः उक्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है। अतः खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर उक्त आसामी अराजीराज दर्ज करने व कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जावें और प्रतिवादी मेघराज पुत्र चेतनराम द्वारा भूधारक व अभिधारी के मध्य अनुदान की संविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया है क्योंक जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गयी थी उससे असंगत कार्य प्रतिवादी द्वारा किया गया है जिसके लिये वह बेदखली का भागी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन/नोटिस तलब करने पर प्रतिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 11.11.2019 जवाब पेश किया जो शा.मि. किया । दिनांक 11.02.2020 को तनकियात कायम कर शा.मि. की गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चक 1 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के मु0नं0 101/39 के किला नं0 15 ता 25 की 10.06 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसके अन्दर प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार से गैर कृषि कार्य नहीं किया है। प्रतिवादी के उक्त मु0नं0 101/39 के किला नं0 24 ता 25 में 2 बीघा रकबे में लगा ईंट भट्टा आई.जी.एन.पी. नहर निर्माण के समय सी.ए.डी. विभाग द्वारा बनाया गया था और सी.ए.डी. विभाग द्वारा ईटों का निर्माण करवाकर नहर को पक्का किया गया था। वादगत भूमि प्रतिवादी ने खरीद की थी उसी समय ही सी.ए.डी. विभाग द्वारा उक्त कृषि भूमि में खादान खोदे हुए थे तथा किला नं0 24 ता 25 में ईंट भट्टा की चिमनी लगी हुई थी जो वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में पहुँच गई है। प्रतिवादी ने वादगत भूमि में खादानों को काफी धन एवं श्रम व्यय करके समतल बनाने की कोशिश की है और समतल बनाया भी है और जिसमें कृषि कार्य करता है। इसलिए वादी द्वारा झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावें और वादी ने वाद पत्र में कही पर भी स्पष्ट रूप से कॉज ऑफ एक्शन सृजन होने का उल्लेख नहीं किया है न ही वादी को वाद प्रस्तुत करने हेतु कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के संबंध में किसी भी प्रकार का सबूत प्रस्तुत व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रतिवादी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर व बिना कॉज ऑफ एक्शन के कोई भी वाद चल नहीं सकता इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र निरस्त फरमाया जावें। बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्र क्रमांक 63 दिनांक 23.01.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व ख[illegible] तनकियात 1 ता 3 जिम्मे वादी के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्याकि प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 23.03.2018 [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 63 दिनांक 23.01.2020 परस्पर विरोधाभासी है। रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 63 दिनांक 23.01.2020 अनुसार ''उपरोक्त रकबे में मौके पर 15,16 व 25 में 2.10 बीघा पुराना जर्जर हालात में लगभग 6–7 वर्ष पूर्व बन्द ईंट–भट्टा का ढ़ाचा खड़ा है'' कथन से वाद–हैतुक (कॉज ऑफ एक्शन) ही प्राप्त नहीं होता। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे प्रतिवादी के पक्ष में कोई मजबूत साक्ष्य तो प्रस्तुत नहीं किया परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 63 दिनांक 23.01.2020 अनुसार पुराना जर्जर बन्द ईंट भट्टा प्रतिवादी का कथन पुष्ट करता है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 ता 3 जिम्मे वादी को सिद्ध नहीं करने व वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 250/2007

1. सरूपसिंह पुत्र श्री पंजाबसिंह जाति राजपूत निवासी चक 18 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1 हरिसिंह पुत्र श्री कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत निवासी धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश।
2 सावित्री देवी पुत्री श्री कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत निवासी धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश।
3 निर्मला देवी पुत्री श्री कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत निवासी धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1 श्री रामकुमार तेतरवाल विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2 अप्रार्थीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 (क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954

आदेश **दिनांक :– 20.03.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 (क) में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दिनांक 07.02.1995 को अप्रार्थीगण की माता से श्रीमती कुब्जादेवी बेवा कैप्टन भीखमसिंह जाति राजपूत से वाके चक 18 बी.डी. का मु0 नं0 96/49 में 25 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा से खरीद की थी। उसी समय तमाम प्रतिफल की राशि स्व. श्रीमती कुब्जादेवी को अदा कर दी गई थी एवं उसी दिन अप्रार्थीगण की माता ने उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से प्रार्थी का आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। विक्रेता के वारिसगण अप्रार्थीगण सं0 1 अब उक्त भूमि का बेचान क्रेता प्रार्थी के पक्ष में करने में आनाकानी कर रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आंवटित भूमि वाके चक 18 बी.डी. का मु0नं0 96/49 में 25 बीघा भूमि को निर्धारित शास्ती जमा करवाकर क्रेता प्रार्थी के हक में नियमन करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुवा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थीगण बावजूद तलबी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 27.12.2011 को समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन के आदेश की पालना में दिनांक 24.01.2012 को समाचार पत्र पंजाब केशरी जो दैनिक रूप से पालमपुर से प्रकाशित होता है की प्रति दिनांक 06.01.2012 प्रस्तुत की गई। जिसमें इश्तहार प्रकाशित किया हुआ है एवं पृष्ठ शुक्रवार कांगड़ा केसरी दिनांक 06.01.2012 अतिरिक्त अंक ii पर मुद्रित है प्रस्तुत किया। प्रार्थी जरिये अधिवक्ता दिनांक 07.10.2019 के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली रिस्टोर की गई एवं दिनांक 22.11.2019 को अप्रार्थीगण बावजूद तलबी उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी की प्रार्थना पर तारीख पेशी 17.03.2020 को बहस एकतरफा सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, शपथ पत्र एवं प्रस्तुत इकरारनामा, खातेदारी सनद आदि दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार एवं फर्द मौका पटवार हल्का का गम्भीरापूर्वक अध्ययन करने एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 (क) के प्रावधान इस प्रकार हैः– 13A. Validation of certain transfers and declaration of consent to transfer.] - (1) Notwithstanding anything contained in Section 13, or in any other provisions of this Act or in the rules made or statement of conditions issued thereunder, but subject to Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), where any transfer or sub-lease has been made or any charge has been created by a tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act in contravention of sub-Section (1) of Section 13 at any time before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983, such transfer, sub-lease or charge may, on an application being made to the Collector in this behalf in such form as may be prescribed and within[1425 days of such commencement i.e. upto 30.6.1987] by the transferor, lessor or as the case may be, the person creating the charge or by the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder or by any subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder, be declared, after holding such enquiry as he deems proper, as valid by him subject to any of such persons as aforesaid making payment to the State Government [by way of compounding fee], in the case of irrigated land of an amount of Rs. 20,000/- per 25 bighas and in the case of barani or uncommand land of an amount of Rs. 4,000/- per 25 bighas or of an amount equal to the allotment price of the land prescribed by the State Government in the statement of conditions issued under sub-Section (2) of Section 7 or in any rule made under this Act and in force on such commencement, whichever is less [in four equal installments as follows:-

(a) in the case of an application made upto 31.12.1984: the first, second, third and fourth installments shall be payable respectively on 31.12.1984, 30.6.1985, 31.12.1985 and 30.6.1986;

(b) in the case of an application made after 31.12.1984 but before the date of publication in the Official Gazette of the Rajasthan Colonisation Ordinance, 1986 i.e. before 3.1.1987: the first installment shall be payable within fifteen days from the date of such publication and the second, third and fourth installments shall be payable respectively within fifteen days, six months and one year from the date of the order of the Collector; and

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(c) in the case of an application made on or after the date of such publication: the first installment shall be payable alongwith the application and the second, third and fourth installments shall be payable within the periods specified for such installments in clause (b): Provided that the State Government may, on being satisfied that it is necessary or expedient to do so, extend by notification the period beyond 30th June 1987, not exceeding [five years and six months], upto the day as deemed fit]:

[Provided further that where] any of the aforesaid persons pays to the State Government the entire compounding fee in one lump sum along with his application and within the period specified in this sub-section, the amount of compounding fee payable by him shall be deemed to be 25% less than that provided therein.

[Provided also that the State Government may, on being satisfied that it is necessary or expedient to do so in the public interest, extend by notification the period beyond 31st December,1992 upto the day as deemed fit:

Provided also that on the applications received during the period extended under the preceding proviso the transfer, sub-lease or charge shall be declared valid only on the condition that the applicant shall, in addition to the compounding fee payable under this sub-section, be also liable to pay interest at the rate of eighteen per cent per annum on the amount of the compounding fee for the period from 1st January, 1993 to the date of application.]

[(1-A) Where an allottee, in whom khatedari rights have not been vested, even after seven years of allotment, under condition 9 of General Colony Conditions, has transferred the land allotted to him or any right therein, in contravention of sub-Section (1) of Section 13 of this Act, before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No.9 of 1988), the Collector, on receiving an application from the allottee and the purported transferee in this behalf, in the prescribed form, within 297 days of the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1988 (Ordinance No.9 of 1988) or within such period, as may be extended by the Government from time to time, may, subject to the provisions of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No.3 of 1955), declare such transfer valid after holding such enquiry as he deems proper subject to payment of all dues of the State Government by the transferee

and also subject to the payment of a sum of Rs. 50,000/- per 25 bighas to the State Government in case of irrigated or command land and a sum of Rs. 10,000/- per 25 bighas in case of barani or uncommand land in four half yearly equal installments. Such transferee, shall thereafter be entitled to khatedari rights under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act No.3 of 1955):

Provided that where any of the aforesaid person pays to the State Government the entire compounding fee in one lump-sum alongwith [illegible] application and within the period specified in this sub-section, the amount of compounding fee payable by him shall be deemed to be 25% less than provided therein.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

Explanation. - For the purposes of this sub-section,-

(a) "allottee" means the person to whom land has been allotted on price under the rules made under this Act; and

(b) "dues" in relation to the land allotted, shall include unpaid price of such land and such other dues as are required under law to be paid by the allottee.]

(2) Where on account of transfer, sub-lease or charge having been made by a tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act in contravention of sub-Section (1) of Section 13, the Collector has passed an order for ejectment of the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder or of any subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder under sub-Section (2) of said section or for resumption of the tenancy of such tenant under clause (ii) of Section 14, but any of such persons or such tenant as aforesaid has not actually been ejected from the land transferred, sub-let or, as the case may be, charged and the tenancy has not actually been resumed before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983, such tenant or any of such persons as aforesaid may, at any time within [1425 days of such commencement i.e. upto 30.6.1987 or within the period extended by the State Government under the first proviso to sub-Section (1)], apply to the Collector for declaring the transfer, sublease or, as the case may be, the charge by such tenant as valid under and in accordance with sub-Section (1) and upon such declaration having been made, any of such persons as aforesaid shall not be liable to be ejected and the tenancy of such tenant shall not liable to be resumed and the order of ejectment or resumption of tenancy as the case may be, passed by the Collector shall be deemed to have been withdrawn.

(3) Notwithstanding any judgment, decree, order, direction or permission of any court, officer or authority, all cases, in which previous consent in writing of the Collector was not obtained under sub-Section (1) of Section 13 by a tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act for transferring or subletting such rights or, as the case may be, charging the same but subsequent consent as aforesaid for such transfer, sub-letting or, as the case may be, charge had been obtained by him from the Collector or from any court, officer or authority or in which clause (i) of Section 14 was applied by any of them to such transaction before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983,

shall be re-opened by the Collector and shall be decided afresh by him in accordance with this section after giving notice to the transferor, lessor, as the case may be, the person creating the charge, the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder and to every subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, the charge holder.

(4) Where compounding fee has been paid in accordance with this section, no action shall be taken or proceeded further against the purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder and no penalty shall be imposed on, and no resumption of tenancy shall be made of, the tenant in whom khatedari rights have vested by or under this Act, either under sub-Section (2) of Section 13 or under Section 14, as the case may be, for the breach of the same condition of tenancy and arising due to the same contravention as aforesaid.

(5) Where a tenant mentioned in sub-Section [illegible] or [illegible] purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder or any subsequent purported transferee, sub-lessee or, as the case may be, charge holder has already obtained a declaration under that sub-section or under sub-Section (2) or sub-Section (3) after making payment to the State Government of the amount of compounding fee under this section as it stood prior to its substitution by the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1984, so much amount of the compounding fee paid as is in excess of the amount of such fee specified in the proviso to sub-Section (1) shall be refunded to such tenant or, as the case may be, to any of such persons who made the payment.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(6) Where,-

(a) any tenant in whom khatedari rights in land have vested by or under this Act has, before the commencement of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Act, 1983, contracted to transfer for consideration such rights, or

(b) any tenant to whom khatedari rights in land have accrued before such commencement had, before accrual of such rights to him, contracted to transfer for consideration rights vested in him by or under this Act by writing signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty, and the transferee has, before such commencement, in part performance of the contract taken possession of the land or any part thereof, or the transferee, being already in possession, continued in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract, and the transferee has paid the whole or part of the consideration to the transferor, then the transferor or any person claiming under him and the transferee or either of them may make an application in such form as may be prescribed on or before the last day upto which an application can be made under sub-Section (1) to the Collector for declaration that the consent required of the Collector under sub-Section (1) of Section 13 to transfer such rights be deemed to have been granted and if Collector after making such enquiry as deemed fit, is satisfied that the conditions specified in this section and such other conditions as may be prescribed are fulfilled, he shall, subject to the transferor or the transferee making payment to the State Government of the amount calculated as the rate and in the manner specified in sub-Section (1) by way of compounding fee, by order in writing declare that such consent to transfer such rights shall be deemed to have been granted to the transferor or any person claiming under him and upon such declaration being granted, the transferor shall, notwithstanding the fact that consent of the Collector was not obtained by him as required by sub-Section (1) Section 13, be competent to transfer validly the land contracted to be transferred and in the event of the transferor refusing to do so or his whereabouts being not known, the transferee shall be competent to have the contract to transfer specifically enforced in accordance with the provisions of law relating to specific performance of contract for the time being in force.

उपरोक्त धारा 13 (क) कतिपय अन्तरणों का विधिमान्यकरण और अन्तरण के लिए सम्मति की घोषणा के अनुसार विचाराधीन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि चक 18 बी.डी. (बी) के मु0नं0 96/49 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25 बीघा कमाण्ड भूमि का अन्तरण प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 24.06.1995 द्वारा हरिसिंह आयु 66 वर्ष पुत्र श्री कैप्टन भीखमसिंह साकिन धारजरोट तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा द्वारा अपनी माता श्रीमती कुब्जा देवी बैवा कैप्टन भीखमसिंह के मुख्तयार मिन जानिव की हैसियत से सरूपसिंह पुत्र श्री पंजाबसिंह साकिन 18 बी.डी. तहसील खाजूवाला को अन्तरण कर कब्जा सुपुर्द कर दिया।

अन्तरिती का कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार से भी प्रमाणित है अतः आवंटिती काश्तकार द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 (क) का उल्लंघन कर सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्व सम्मति के [illegible] अन्तरण किया तथा बाद में इस तथ्य को छुपाकर दिनांक [illegible] हासिल कर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज करवा ली जो कि [illegible]स्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 एवं राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 का सरासर उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:41:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 (क) की उपधारा 13 क (1), 13 क (1क), 13 क (6) के तहत अन्तरण के लिए संविदाकृत भूमि का विधिमान्यतः अन्तरण करवाने के लिए सक्षम है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेशित किया जाता है कि वह अन्तरिति द्वारा राज्य सरकार के समस्त देशों का संदाय किये जाने के अध्यधीन रहते हुए और राज्य सरकार को सिंचित या कमाण्ड भूमि के मामले में प्रति 25 बीघा 50,000/– रूपये की रकम एवं अन्तरण की तारीख से आज तक शमन फीस की रकम पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित कुल शमन फीस का चार अर्द्धवार्षिक समान किश्तों में संदाय करने अथवा सम्पूर्ण शमन फीस ब्याज सहित का एकमुश्त राशि में संदाय करने पर उसके द्वारा संदेय शमन फीस की रकम को, उसके उपबंधित से 25% कम समझा जायेगा, का संदाय करने पर उक्त अन्तरण को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13–क (6) के अध्यधीन रहते हुवे विधिमान्य समझा जावे। तदानुसार तहसीलदार खाजूवाला नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–54/2017

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

मदनलाल पुत्र चेतन राम जाति नायक साकिन चक 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. प्रतिवादी उपस्थित।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः– दिनांक :– 20.03.2020

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसकी संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी भूधारक है तथा इस पद पर रहते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन कर रहा है तथा अपने दायित्वों के अधीन उक्त वाद पत्र के माध्यम से खातेदारी प्रतिवादी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा वादी सरकार को दिलाया जावे। प्रतिवादी मदनलाल पुत्र चेतनराज जाति नायक सा0 चक 7 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर का खाता राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार चक 2 बीआरडब्ल्यूएम (बी) के मु0नं0 142/52 के किला नं0 1 ता 19 व 22 कुल 19.11 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि दर्ज है और प्रतिवादी भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना संपरिवर्तन कराये गैर कानूनी ढ़ंग से किला नं0 1 ता 3 व 9 ता 10 में अवैध जिप्सम खनन किया है। रकबा पीएनबी शाखा खाजूवाला रहन है। अतः उक्त भूमि को कृषि से अकृषि कार्य किया जा रहा है जो विधि विरूद्ध है। इसलिये खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाकर कब्जा बहक सरकार को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन/नोटिस तलब करने पर प्रतिवादी उपस्थित आये और दिनांक 03.03.2020 जवाब पेश किया जो

शा.मि. किया । रिपोर्ट तहसीलदार खाजूवाला मय शपथपत्र पटवारी ली गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चक 2 बी.आर.डब्ल्यू.एम. के मु0नं0 142/52 के किला नं0 1 ता 19, 22 की 19.11 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम से खातेदारी भूमि है। जिसके अन्दर प्रतिवादी ने किसी भी प्रकार से गैर कृषि कार्य नहीं किया है। उक्त सम्पूर्ण रकबा में चना, तारामीरा की फसल काश्त कर रखी है। प्रतिवादी के उक्त रकबा में जुलाई 2017 में कृषि सिंचाई हेतु डिग्गी का निर्माण करवाया था। जिसमें खुदाई के दौरान किसी भी प्रकार का कोई जिप्सम या जिप्सम का कण नहीं निकला था और ना ही प्रार्थी ने किसी प्रकार का अवैध खनन कार्य किया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 तथा प्रस्तुत शपथपत्र दिः 03.03.2020 में वर्णित कथनों अनुसार वाद पत्र स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। इसपर प्रतिवादी ने बहस में जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं शपथपत्र से पूर्णतः विरोधाभासी होने के कारण व उक्त भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग नहीं करने के कारण उक्त दावा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 25.09.2017 व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 26.02.2020 परस्पर विरोधाभासी है। फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का 26.02.2020 अनुसार ''उपरोक्त रकबे में मौके पर किला नं0 1 में ढ़ाणी बनी हुई है और किला नं0 9 में सिंचाई हेतु डिग्गी बनी हुई है। शेष रकबे पर तारामीरा,चना व गेंहूॅ की फसल बोई हुई हैं''। इस फर्द मौका रिपोर्ट की पुष्टि वादी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत साक्षी देवीलाल पुत्र [illegible] राकुमार जाति मेघवाल निवासी खाजूवाला पदस्थ पटवारी प.म. कुण्डल की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र द्वारा की गयी है।

अतः मौका फर्द रिपोर्ट एवं वादी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में अंकित कथनों से वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक (कॉज ऑफ एक्शन) प्राप्त होने में भी संशय उत्पन्न होता है। वहीं मौका फर्द रिपोर्ट व साक्ष्य वादी हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र प्रतिवादी के जवाबदावा के प्रमुख कथन अवैध खनन नहीं होने की पुष्टि करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी द्वारा वाद की पुष्टि हेतु मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने व वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है उभय पक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करे। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

5. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
6. श्री पुरूषोतम सारस्वत् अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :— **20.03.2020**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित [illegible] तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष की सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी जयप्रकाश की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। रिपोर्ट मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है । प्रतिवादी ने खेत में डिग्गी निर्माण किया था और कच्चे दो मकान बनाये थे।

वादी राजपैरोकार ने नवीनतम रिपोर्ट तहसीलदार, रिपोर्ट पटवारी मय फर्दमौका को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने प्रार्थना करते हुए बहस हेतु अनुमति चाही। वकील प्रतिवादी ने किसी प्रकार का एतराज नहीं किया। राजपैरोकार ने बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर इस रिमाण्ड वादपत्र को पुर्वानुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार ने नवीन रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार, मौका अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/27 के किला नं0 1,10,11,20,21 तादादी 5 बीघा कमाण्ड में कब्जा काश्त जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश का उक्त सम्पूर्ण मुरब्बा 100/27 किला नं0 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भौतिक रूप से कब्जा काश्त है तथा ढाणी मकान तथा सिंचाई डिग्गी बनाकर कब्जा काश्त जयप्रकाश द्वारा की जाती है, के आधार पर व मौका फर्दअनुसार एवं रिपोर्ट तहसीलदार, साक्ष्य स्वरूप पेश नवीनतम पटवारी रिपोर्ट एवं फर्द मौका को साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर वाद स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। जवाब बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी के विस्तृत विवेचन के बाद पूर्व निर्णय निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया गया था।

माननीय न्यायालय की विस्तृत [illegible] कार ने साक्ष्य स्वरूप पेश अपनी रिपोर्ट व फर्दमौका में भी किसी भी प्र[illegible] क[illegible]वैध खनन होना नहीं पाया और ना ही साबित कर पाया। जिस खुदाई या खनन [illegible]र प्रस्तुत वाद इस द्वारा स्वीकार किया गया था वस्तुतः रिपोर्ट [illegible] हेतु डिग्गी का निर्माण किया गया है। अतः प्रथमतः तो वादी राज पै[illegible]र को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक भी प्राप्त नहीं होता और द्वितीय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विस्तृत विवेचन व निर्णयानुसार न तो कोई मजबूत साक्ष्य जैस फोटोग्राफ आदि एवं फर्दमौका पर किसी निष्पक्ष गवाह, साक्षी आदि के हस्ताक्षर है और ना ही राजपैरोकार द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य स्वरूप पेश की गई। नवीनतम रिपोर्ट एवं फर्दमौका में अवैध खनन का जिक्र किया गया है। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

राजपैरोकार ने पुनः प्रतिउत्तर में कहा कि तत्समय पेश रिपोर्ट पटवारी व फदमौका पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही फोटो उपलब्ध है परन्तु तत्कालीन रिपोर्ट अनुसार अवैध खनन किया गया था जो फर्दमौका पर तहसीलदार गिरदावर पटवारी के हस्ताक्षर है। अतः वाद स्वीकार किया जावे। पुनः बहस में प्रतिवादी के फर्दमौका साहक्लोस्टाईल रूप में पूर्व में मुद्रित कर मात्र परेशान करने के उद्देश्य से बिना किसी लिगल गवाह व साक्ष्य के प्रस्तुत कर प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखली का प्रयास किया गया। इसके जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने चक के स्वतंत्र गवाहो के स्टाम्प पर शपथपत्र पेश किये है जिन्होने खनन नहीं होना बताया है तथा साथ ही खड़ी फसल के फोटोमौका पेश किये है। अतः बिना किसी सबूत साक्ष्य तथा वाद हैतुक प्राप्त नहीं होने के कारण मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गयी।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैं कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 परस्पर विरोधाभासी है। उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाकर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत् अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— **दिनांक :— 20.03.2020**

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद [illegible] की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर [illegible] जुड़ा [illegible] था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य [illegible] सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी जयप्रकाश की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। रिपोर्ट मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहॅुचा हैं कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 परस्पर विरोधाभासी है। उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 22/19

1. कामो खातून पुत्री बासक अली पत्नी बसू खां जाति मुसलमान निवासी हाल चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीया

बनाम

1. अल्ला दिता पुत्र बासक अली जाति मुसलमान निवासी राणेवाला हाल चक 8 केवाईडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. दामो खातून पुत्री बासक अली पत्नि सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी राणेवाला हाल चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री नरेन्द्र गौड़ अधिवक्ता वादीया की ओर से।
3. प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

दिनांक :– 08.07.2020

पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 22. 11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादी ने लोकअदालत की भावना से इस प्रकरण में आपसी सहमति होने के कारण प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है एवं इसी स्टेज पर विड्रॉ करना चाहती है। कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल–शुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड
अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 70/2015

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश जाति जोशी साकिन दुधवाखारा तहसील व जिला चुरू हाल चक 2 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत् अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :— 20.03.2020

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 28.07.14 में पारित आदेश पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 70/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण में साक्ष्य वाद को 14.02.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा वाद में बतौर अपीलांट राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर के इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.14 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.02.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है वाद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस हेतु पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वाद पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद में वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के नि[illegible] इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राजपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र सार्वजनिक हित से सीधे तौर पर ज[illegible] हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद सभी [illegible] के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:34:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद के निस्तारण में राज्य की कमजोर स्थिति के बारे में यह न्यायालय टिप्पणी कर चूका है। इसके बावजूद राज्य पक्ष ने इन रिमाण्ड प्रकरणों में पुनः राज्य पक्ष की पैरवी नहीं की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जा चुका है। पूर्व की कार्यवाही एकपक्षीय रही है, जिसमें वाद के तथ्यों का खण्डन एकपक्षीय होने के कारण निर्णय तकनीकी रूप से सही नहीं था। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एंव अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है। अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना करना अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड प्रकरण में दायित्व है।

प्रतिवादी जयप्रकाश की ओर से लिखित जबाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त भूमि पर उसके द्वारा खनन नहीं किया गया है। रिपोर्ट मौका पर भूमि कृषि उपयोग में ली जा रही है । प्रतिवादी ने खेत में डिग्गी निर्माण किया था और कच्चे दो मकान बनाये थे।

वादी राजपैरोकार ने नवीनतम रिपोर्ट तहसीलदार, रिपोर्ट पटवारी मय फर्दमौका को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने प्रार्थना करते हुए बहस हेतु अनुमति चाही। वकील प्रतिवादी ने किसी प्रकार का एतराज नहीं किया। राजपैरोकार ने बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर इस रिमाण्ड वादपत्र को पुर्वानुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार ने नवीन रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार, मौका अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/27 के किला नं0 1,10,11,20,21 तादादी 5 बीघा कमाण्ड में कब्जा काश्त जयप्रकाश पुत्र नारायण प्रकाश का उक्त सम्पूर्ण मुरब्बा 100/27 किला नं0 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भौतिक रूप से कब्जा काश्त है तथा ढाणी मकान तथा सिंचाई डिग्गी बनाकर कब्जा काश्त जयप्रकाश द्वारा की जाती है, के आधार पर व मौका फर्दअनुसार एवं रिपोर्ट तहसीलदार, साक्ष्य स्वरूप पेश नवीनतम पटवारी रिपोर्ट एवं फर्द मौका को साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर वाद स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। जवाब बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया माननीय राजस्व अपील अधिकारी के विस्तृत विवेचन के बाद पूर्व निर्णय निरस्त किया कर प्रतिप्रेषित किया गया था।

माननीय न्यायालय की विस्तृत विवेचना अनुसार वादी राजपैरोकार ने साक्ष्य स्वरूप पेश अपनी रिपोर्ट व फर्दमौका में भी किसी भी प्रकार का अवैध खनन होना नहीं पाया और ना ही साबित कर पाया। जिस खुदाई या खनन के पर प्रस्तुत वाद इस द्वारा स्वीकार किया गया था वस्तुतः रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वहां सिंचाई हेतु डिग्गी का निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है। अतः प्रथमतः तो वादी राज पैरोकार को वाद प्रस्तुत करने हेतु वाद हैतुक भी प्राप्त नहीं होता और द्वितीय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विस्तृत विवेचन व निर्णयानुसार न तो कोई मजबूत साक्ष्य जैस फोटोग्राफ आदि एवं फर्दमौका पर किसी निष्पक्ष गवाह, साक्षी आदि के हस्ताक्षर है और ना ही राजपैरोकार द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप पेश की गई। नवीनतम रिपोर्ट एवं फर्दमौका में अवैध खनन का जिक्र किया गया है। अतः मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे।

राजपैरोकार ने पुनः प्रतिउत्तर में कहा कि तत्समय पेश रिपोर्ट पटवारी व फदमौका पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही फोटो उपलब्ध है परन्तु तत्कालीन रिपोर्ट अनुसार अवैध खनन किया गया था जो फर्दमौका पर तहसीलदार गिरदावर पटवारी के हस्ताक्षर है। अतः वाद स्वीकार किया जावे। पुनः बहस में प्रतिवादी के फर्दमौका साहक्लोस्टाईल रूप में पूर्व में मुद्रित कर मात्र परेशान करने के उद्देश्य से बिना किसी लिगल गवाह व साक्ष्य के प्रस्तुत कर प्रतिवादी को अपनी खातेदारी भूमि से बेदखली का प्रयास किया गया। इसके जवाब के समर्थन में प्रतिवादी ने चक के स्वतंत्र गवाहो के स्टाम्प पर शपथपत्र पेश किये है जिन्होने खनन नहीं होना बताया है तथा साथ ही खड़ी फसल के फोटोमौका पेश किये है। अतः बिना किसी सबूत साक्ष्य तथा वाद हैतुक प्राप्त नहीं होने के कारण मेरा जवाबदावा स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गयी।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि वादी स्टेट जरिये तहसीलदार, राजस्व खाजूवाला रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य साक्षी एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है क्योकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार पत्रांक 123 दिनांक 03.03.2020 परस्पर विरोधाभासी है। उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 70/15 सरकार बनाम जयप्रकाश रेस्पोडन्ट(प्रतिवादी) के पक्ष में निर्णित किया जाता है। चक 2 एमजीडब्ल्यूएम के ना.स. 107 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है, अभिलेख में पूर्व स्थिति बहाल रखी जाकर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को खुले इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— 58/20

जगसीरसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति बाजीगर निवासी 34 RWD तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ हाल 5 MTM तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट.

—:आदेश:— दिनांक :— 21.08.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आ.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि प्रार्थी जगसीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बाजीगर के चक 5 MTM खाजूवाला के मु0नं0 192/43 के किला नं0 11 ता 25 में 15 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जंगीर सिंह गलती से अंकित है और प्रार्थी उक्त रिकॉर्ड में अपने नाम को जंगीरसिंह की जगह जगसीर सिंह दुरस्त करवाना चाहता है। इस बाबत शपथ पत्र भी पेश करने के साथ साथ प्रार्थी ने दस्तावेज बैयनामा व जमाबंदी की छायाप्रति, इंतकाल प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति, आधारकार्ड, परिचयपत्र पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर भूमि वाके चक 5 MTM खाजूवाला के मु0नं0 192/43 के किला नं0 11 ता 25 में 15 बीघा कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जंगीरसिंह की जगह जगसीर सिंह नियमानुसार दुरस्त करने के आदेश किये जाते शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। आदेश आज दिनांक 21.08.2020 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड
अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—55 / 20

1. दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी 7 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक :—

1. श्री हंसराज देहडू विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :— 17.08.2020

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना—पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 7 बी.डी. तहसील खाजूवाला का मु0 नं0 173 / 36 व 44 की 7.07 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता देवेन्द्रसिंह द्वारा की गई वसीयत से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उक्त वसीयत दिनांक 11.09.2006 लिखवाते समय प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह के स्थान पर सहवन व लिपिकीय त्रुटि से दिनेश कुमार दत्तक पुत्र धन्नाराम अंकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थी पिता का नाम दत्तक पुत्र धन्नाराम की जगह देवेन्द्र सिंह दुरस्त करने की इस्तदुआ चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष्य मय शपथपत्र प्रार्थी लिये गये एवं पत्रावली में पेश देवेन्द्र सिंह के जायज वारिस प्रमाण पत्र में जायज वारिसों के शपथ पत्र लिये गये। तहसीलदार खाजूवाला एवं ग्रा.प. 14 बी.डी. से जवाब / रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा साक्ष्य/सबूत के तौर पर मु0नं0 66 चक 2 केएनडी तहसील रावला जिला श्री गंगानगर नकल बैयनामा एवं जमाबंदी पेश की गई साथ ही ग्रा.पं. 8 केवाईडी का देवेन्द्र सिंह का जायज वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम देवेन्द्र सिंह ही लिखा गया है । ग्रा0वि0अ0 14 बी.डी. ने प्रार्थी के पिता का नाम देवेन्द्रसिंह तस्दीक किया है। देवेन्द्र सिंह के जायज वारिसान प्रार्थी की मॉ,भाई, बहनों ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर कहा देवेन्द्रसिंह के द्वारा दिनेश कुमार के पक्ष में वसीयत की गई थी जिसमें दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह के स्थान पर सहवन से पिता के नाम के आगे दत्तक पुत्र धन्नाराम गलत अंकित हो गया जबकि वास्तविक नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्र सिंह ही है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज देवेन्द्र सिंह का राशनकार्ड एवं प्रार्थी के स्वंय के पहचान आईडी आधारकार्ड, परिचय पत्र, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मूल निवास प्रमाण पत्र, विधुत बिल, अन्य शैक्षणिक प्रमाण की फोटाप्रतियां पेश की गई में भी प्रार्थी का नाम दिनेश कुमार पुत्र देवेन्द्रसिंह दर्ज है। लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पिता के नाम देवेन्द्र सिंह की जगह दत्तक पुत्र धन्नाराम कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जा सकता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी दिनेशकुमार के पिता का नाम दत्तक पुत्र धन्नाराम के स्थान पर देवेन्द्रसिंह नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

हंसराज बनाम सुरजाराम वगै0 प्रा0 पत्र 212 आरटीए एक्ट

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा सुरजाराम के चक 6 बी.डी. के मु0नं0 174/6 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 24.10 बीघा भूमिहीन आंवटन शुदा है। दादा वृद्ध है तथा प्रार्थी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार का हिस्सा है तथा प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी का संयुक्त परिवार की भूमि में जन्म से हक एवं अधिकार बनता है। वाहमी व पारिवारिक बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 6 में अप्रार्थी सं0 1 रूबरू गवाहान 1/6 हिस्सा–पांति कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 6 को किला नं0 20 में 8 बिस्वा व किला नं0 21 ता 25 की 18–18 बिस्वा की कुल 4.18 बीघा भूमि देकर काफी अरसे पहले कब्जा दे दिया था जिसपर प्रार्थी कब्जा काश्त है। लेकिन अप्रार्थी सं0 2 ता 5 लालचवश वृद्ध दादा को बरगलाकर समस्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। दौराने वाद उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इसपर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए। अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी व स्वंय की अर्जित सम्पति है। जिसे वह उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि जैर रकबा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो काफी वृद्ध है तथा दादा की सम्पति पोतो का अधिकार सुनिश्चित है। दादा ने वाहमी बंटवारा कर कब्जा दे रखा है या नहीं यह वाद की विषयवस्तु है। दोनो पक्षकारों में भूमि बेचान को लेकर विवाद है। और पारिवारिक सम्पति जिसमें सबका हक निहित हो उसे बिना सहमति हस्तांतरण करने से विवाद बढ़ेगा। उक्त प्रार्थना पत्र में पारिवारिक विवाद है तथा न्यायालय के सामने यह साफ हो गया है कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 बेचान करना चाहता है। जो स्वंय अप्रार्थी सं0 1 न्यायालय में स्वीकार कर चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह आवश्यक हो जाता है कि विवाद बाहुल्यता कम करते हुए प्रार्थी के हको का दौराने वाद सुरक्षा की जाये। उक्त भूमि स्वअर्जित है या पैतृक सम्पति इसका विनिश्चय वाद में होना है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी सं0 1 को पाबन्द किया जाता है कि चक 6 बी.डी. के मु0नं0 174/6 की 1/6 हिस्सा भूमि का दौराने वाद रहन बैय हस्तांतरण नहीं करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

रामा देवी वगै0 बनाम नानूदेवी वगै0 प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी ने O7R11 एवं 151 सीपीसी का प्रा0 पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी प्रार्थीया की स्वअर्जित सम्पति है उसके जीवनकाल में अन्य वारिसान का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित है साथ ही हिन्दू नारी पति के जीवनकाल में पति के हक व अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकती एवं प्रा0पत्र O7R11 के पैरा सं0 4 में श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वाद इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया है तथा विद्वान अधिकवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में भी मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दो को उठाया है।

विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र O7R11 सीपीसी पेशकर प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए बताया कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में घोषणा व बंटवारा हेतु वाद राजस्व न्यायालय में पेशकर सकते है तथा O7R11 सीपीसी में वादपत्र नामंजूर किये जाने बाबत वाद हेतुक प्रकट नहीं होना, दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाना, अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो, जहा वाद के कथनों से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, दावा दो प्रतियों में पेश नहीं किया गया है, नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन करने में असफल रहता है, स्पष्ट कारण है और उक्त प्रा0पत्र बताते हुए O7R11 सीपीसी की परिधि में नहीं है तथा वाद को गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है तथा उठाए गए समस्त प्रश्न विधि व साक्ष्य के प्रश्न है। इसलिए प्रा0 पत्र काबिल खारिज योग्य है। विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने उक्त बिन्दूओं को ही बहस में उठाया व कुछ दृष्टांत भी पेश किये है।

उभयपक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध प्रा0 पत्र व जवाब प्रा0 पत्र व वाद के समस्त अभिवचनों का गहनता से अध्ययन किया। जिसमें पाया कि वाद पारिवारिक सम्पति के अधिकारों बाबत पेश किया गया है। जिसके लिए वादी को गुणावगुण पर सुना जाना आवश्यक है और ये समस्त तथ्य पत्रावली पर साक्ष्य व तनकी बनने पर ही तय किये जा सकते है। महज सरसरी तौर पर प्रा0 पत्र के आधार पर वाद का विनिश्चिय नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने जो प्रा0 पत्र में प्रश्न उठाए है वो मेरिट पर तय किये जाने योग्य है। जिसकी साक्ष्य आने के बाद ही तय किया जा सकता है तथा प्रा0 पत्र O7R11 सीपीसी में उक्त वाद कही भी लागू नहीं हो रहा है । O7R11 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान है कि वादपत्र किस चूक की वजह से खारिज किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी चूक बताने मे प्रार्थीया विफल रही है। इसलिए [illegible] O7R11 सीपीसी सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक.......................को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 2020/00036

1. रामा देवी पत्नी राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. कृतिका नाबालिग पुत्री रामा देवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. देशान्त नाबालिग पुत्र रामा देवी पत्नी राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. नानूदेवी पत्नी इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी 16 बी.एल.डी. तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद चक 25 के.एन.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राकेश कुमार पुत्र इन्द्रराम जाति कुम्हार निवासी सिंचाई कॉलोनी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश दिनांक :— ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के ससूर इन्द्रराम राजकीय सेवा में सेवारत थे। दौराने सेवारत [illegible] इन्द्रराम की मृत्यु हो गइ। इन्द्रराम की मृत्यु के उपरान्त जो राशि सरकार द्वारा इन्द्रराम के [illegible] नाम जारी की थी। उस राशि के चक 25 के.एन.डी. के मु0नं0 152/40 के किला [illegible] ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 की कुल 13.06 बीघा कमाण्ड/[illegible] भूमि क्रय की थी। इन्द्रराम के वारिसों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई राशि में प्रार्थीगण [illegible] पति/पिता का भी हक व हिस्सा था। विरास्त में मिली हुई धनराशि से ही अप्रार्थीगण ने भूमि क्रय की थी। जिसमें प्रार्थीगण के पति/पिता का भी हक व हिस्सा जरिये विरासतन था। वादगत भूमि पर प्रार्थी सं0 2 व 3 का मुताबिक हिन्दू विधि जन्म से ही हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण सं0 2 ता 3 व स्वंय का भरण पोषण उपरोक्त वर्णित भूमि से करती आ रही है और अप्रार्थीगण वादगत भूमि विक्रय पर उतारू है। वादगत भूमि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। जो प्रार्थीगण सं0 2 व 3 के दादा द्वारा खरीद की थी। इसलिए वादगत भूमि में प्रार्थीगण का बाई बर्थ हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण ने चक 25 के.एन.डी. के मु0 नं0 152/40 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 24 ता 25 की कुल 13.06 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड पैतृक भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, मुन्तकिल न करे और अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण तलवी उपरान्त हाजिर आये और अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश किया गया । जवाब आने के बाद आदेश 6 नियम 17 की पालना में प्रार्थीगण ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें बताया कि प्रार्थीगण सं0 2 ता 3 नाबालिग संतान है। जो अपने पिता के हक तक भूमि पाने के अधिकारी है। इसलिए उनके अधिकारों का भी संरक्षण आवश्यक है। संशोधित प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जवाब न देकर सीधे बहस का निवेदन किया साथ ही अप्रार्थीगण के अधिवक्ता पूर्व में पेश जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के तमाम कथन निराधार है तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 की स्वार्जित सम्पति है और उसके जीवनकाल में उसके पुत्रों को वारिसो का अधिकार नहीं है तथा जीवन निर्वाह का साधन उक्त भूमि दी है। अप्रार्थीगण सं0 2 अप्रार्थीगण सं0 1 का सौतेला पुत्र है। अप्रार्थीगण सं0 1 उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए किसी भी प्रकार से सुविधा का संतुलन व अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थीगण सं0 1 के हक में है। अप्रार्थीगण सं0 2 ने अपने जवाब में बताया कि पंजीकृत बैयनामा 31.07.1993 का है और इन्द्रराम की मृत्यु 10.05.1995 को हुई है। तो प्रार्थना पत्र के समस्त कथन स्वमैव ही झूठे साबित होते है। साथ ही मेरे जीवनकाल में मेरी पत्नी सम्पति प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए लिखित बहस मय दृष्टांत पेश की । उक्त भूमि पर हमारा अधिकार है। यदि दौराने वाद उक्त भूमि को रहन बैय मुतकिल कर दिया गया। तो हमें नुकसान होगा। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनों को दोहराते हुवे बताया कि अप्रार्थीगण सं0 1 के जीविकोपार्जन का साधन उक्त खातेदारी भूमि है और वह उसके रिकार्डेड खातेदार है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में रिकार्डेड खातेदार के जीवनकाल में उसके हक व हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र पारिवारिक विवाद की वजह से पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीगण अपनी सास व दादी की स्वाअर्जित खातेदारी भूमि में उनके जीवनकाल में ही हिस्सा चाहते है। जबकि उनके पति व पिता भी जीवित है और पति व पिता अप्रार्थीगण सं0 2 ने भी आपत्ति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त नहीं कर सकते प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन , अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू साबित करने में विफल रहे है । अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 2016/00158

1. पूजा पुत्री लखविन्द्रसिंह पौत्री बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता लखविन्द्रकौर पत्नी लखविन्द्रसिंह।
2. रविन्द्रसिंह पुत्र लखविन्द्रसिंह पौत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता लखविन्द्रकौर पत्नी लखविन्द्रसिंह।

.....

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. लखविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. बलदेवसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 17 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उप—पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री दिलीपसिंह विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

आदेश दिनांक :— 03.09.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के दादा के नाम चक 17 के.वाई.डी.(सी) के मु0नं0 117/43 के किला नं0 15 तादादी 01.00 बीघा एवं मु0नं0 117/51 के किला नं0 11 ता 13, 14 में 16 बिस्वा, 17 में 11 बिस्वा, 18 में 09 बिस्वा, 19 में 19 बिस्वा, 20 में 14 बिस्वा तादादी 06.09 बीघा कुल तादादी 07.09 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज कागजात रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 1 व 3 के अस्वस्था का फायदा उठाकर उक्त भूमि को येन–केन आगे बेचान करने पर आमादा है जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है और समस्त परिवार का हितनिहित है और अप्रार्थी सं0 3 उम्रदराज है जो रहन, बैय नहीं करें। प्रार्थीगण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत उक्त भूमि के जन्म से अधिकारी है तथा अपने पिता के हको तक की भूमि अपने नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण पारिवारिक समझौते एवं वाहमी बंटवारे अनुसार कब्जेकाश्त शुदा खातेदारी भूमि वाके चक 17 के.वाई.डी.(सी) के मु0नं0 117/43 के किला नं0 15 तादादी 01.00 बीघा एवं मु0नं0 117/51 के किला नं0 11 ता 13, 14 में 16 बिस्वा, 17 में 11 बिस्वा, 18 में 09 बिस्वा, 19 में 19 बिस्वा, 20 में 14 बिस्वा तादादी 06.09 बीघा कुल तादादी 07.09 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि को अप्रार्थीगण रहन, बैय, मुन्तकिल न करे और अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण चाही गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 3 तलवी उपरान्त मय अधिवक्ता हाजिर आये और अप्रार्थीगण 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने अपना जवाब प्रा0 पत्र पेशकर उक्त प्रा0पत्र के तमाम कथनों को निराधार झूठे व बनावटी बताया और साथ ही लिखा की उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है। जिसपर स्वंय काबिज काश्त है तथा यही जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। इसलिए प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी । अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी है तथा दादा पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे अनुसार 4 बीघा भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को दिया था। जिसको प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया । तो अप्रार्थी सं0 1 के मन में लालच आ गया और वह अप्रार्थी सं0 3 को बरगलाकर समस्त भूमि को बेचान करने पर आमदा है। जबकि दादा काफी वृद्ध है। स्वस्थचित नहीं है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक प्रार्थीगण पैतृक भूमि में जन्म से अपना अधिकार रखते है। इसलिए दौराने वाद उक्त भूमि रहन बैय न हो इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रतिउत्तर में बताया कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है और उसके जीवनकाल में पौत्र–पौत्रियों को कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी की जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि भूमि है। उक्त स्थगन की आड़ में वृद्ध अप्रार्थी को भूमि से बेदखल [illegible] सकता है। जो एक रिकॉर्डेड खातेदार के हको पर कुठाराघात है इसलिए प्रार्थना पत्र सारहीन है खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया । तो पाया कि प्रा0पत्र पारिवारिक समझौते व व्यवस्था अनुसार प्रार्थीगण दादा की भूमि में अपने हिस्से तक कुल 4 बीघा भूमि को रेहन बैय नहीं करने और उनके हको से मरहूम नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 3 की स्वअर्जित सम्पति है। वह अपने जीवनकाल में उपयोग–उपभोग ले सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन प्राप्त नहीं कर सकते प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण सुविधा का संतुलन, अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू साबित करने में विफल रहे है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है और प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 95 / 20

मुख्तयारसिंह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी लिखमीसर हाल चक 32 केवाईडी 'ए' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट.

—:आदेशः— **दिनांक :— 02.11.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एल.आ.एक्ट प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि चक 32 केवाईडी 'ए' के मु0नं0 199/28 के किला नं0 9 ता 16 तादादी 8.00 बीघा यानी 2.0232 हैक्टर दर्ज कागजात है। जिसका 1/2 हिस्सा का मैने दानपत्र अपनी पुत्रवधू को कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में मेरे बैयनामा दिनांक 30.03.1994 मुताबिक इं0सं0 33 दिनांक 24.5.94 भरा गया। लेकिन पिता का नाम पालासिंह की बजाय पातासिंह सहवन या पैनत्रुटि वश कर दिया जबकि बैयनामा में पालासिंह था। अन्य दस्तावेज में भी पिता का नाम पालासिंह ही दर्ज है तथा चक 30 केवाईडी की भूमि भी मुख्तयारसिंह पुत्र पालासिंह के नाम दर्ज है, आधारकार्ड, राशनकार्ड, परिचय पत्र आदि में पिता का नाम पालासिंह ही दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का पिता नाम पातासिंह गलती से अंकित है और प्रार्थी उक्त रिकॉर्ड में अपने पिता के नाम को पातासिंह की जगह पालासिंह दुरस्त करवाना चाहता है। इस बाबत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश करने के साथ साथ दस्तावेज बैयनामा, जमाबंदी, इंतकाल प्रविष्टि 33, दानपत्र, आधारकार्ड, परिचयपत्र की छायाप्रति व कार्यालय ग्रा0पं0 34 केवाईडी का प्रमाण पत्र पेश किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर भूमि वाके चक 32 केवाईडी 'ए' के मु0नं0 199/28 के किला नं0 9 ता 16 तादादी 8.00 बीघा यानी 2.0232 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता नाम पातासिंह की जगह पालासिंह नियमानुसार दुरस्त करने के आदेश किये जाते है शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। तदानुसार तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– स गीता शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 35/2020

1. चोथूराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल साकिन खारबारा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

बनाम ....

प्रार्थीगण

1. मलुराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल साकिन खारबारा तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री अरविन्द काजला विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट

आदेश **दिनांक :– 4.11.2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम तहसील छतरगढ के चक 5 डीएल के मु.नं. 169/32 के कि.नं. 1 ता 24 की कुल 4 बीघा कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं इसी मुरब्बा के कि.नं. 11 ता 20 व 25 की कुल 11 बीघा कमाण्ड भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थी को अपनी भूमि मु.नं. 169/32 के कि.नं. 1 ता 24 की कुल 4 बीघा कमाण्ड भूमि में आने जाने के लिये मौ[illegible]ता नहीं है। प्रार्थी ने अपनी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की [illegible] मु.नं. 169/32 कि.नं. 25 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवानें [illegible] अप्रार्थी संख्या [illegible] आग्रह किया कि यदि आपकी भूमि के कि.नं. 25 में 1 बिस्वा [illegible] है तो वह अपने गांव से अपनी कृषि भूमि में पक्की सडक जो उक्त मुर[illegible]के चिपते मु.नं. 169/40 के कि.नं. 1,10,11,20,21 में से निकलती है से होकर उक्त कि.नं. 25 में से होकर अपनी कृषि भूमि में आसानी से आ जा सकेगा तो अप्रार्थी सं. 1 अपनी भूमि के कि.नं. 25 में रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत करवानें से स्पष्ट इन्कार कर दिया जबकि उक्त रास्त के अलावा प्रार्थी की भूमि के आने जाने के लिए अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि तहसील छतरगढ के चक 5 डीएल के मु.नं. 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 की कूल 4 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि में आने जाने हेतु इसी मु.नं. 169/32 के कि.नं. 25 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया जिस पर दिनांक 16.09.2020 को अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आये और दिनांक 26.10.2020 को जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में गलत बयानी कर तथा मनगढंत तथ्यों से गुमराह करनें की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने सहीं कथनों को छुपाया है व क्लीन हैण्ड से नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि मु.नं. 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 के चिपता मु.नं. 170/17 के कि.नं. 1 ता 25 में 24.10 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसके कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत है एवं मौके पर चालू है। प्रार्थी के मु.नं. 170/17 के कि.नं. 5 व मु.नं 169/32 का कि.नं. 21 आपस में चिपता है इसलिए प्रार्थी वांछित अनुतोष का कतई अधिकारी नहीं है तथा मु.नं. 169/32 के कि.नं. 25 के पत्थर लाईन पर अप्रार्थी संख्या 1 पक्का मकान बनाकर निवास कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

वर्तमान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

01. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
02. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदेश द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो [illegible] तो [illegible] की दुगुनी राशि का

निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी व अप्रार्थी के बहस कथनों व नजरी नक्शा ध्यानपूर्वक मंथन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने कृषि भूमि में सड़क पर आने के

लिए केवल मात्र नजदीकी रास्ता मु0न0 169/32 के कि.नं0 25 में खेत की सींव पर उत्तर से पश्चित 1 बिस्वा रास्ता ही एकमात्र विकल्म हैं। रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का खारबारा में भी बताया गया है चक 5 डीएल के मु0न0 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 कुल 4.00 बीघा कमाण्ड भूमि चोथुराम पुत्र केशराराम कौम मेघवाल निवासी खारबारा एवं इसी मुरब्बा के किला नं0 11 ता 20, 25 कुल 11.00 बीघा कमाण्ड भूमि मूलराम पुत्र केशराराम कौम मेघवाल सा. खारबारा तहसील छतरगढ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वहां से रास्ता प्राप्त करे तो उचित है। इस प्रकार प्रार्थी का कथन है कि उसे मुरब्बा नं 169/32 के कि.नं. 25 से रास्ता मिलता है तो प्रार्थी अपने मु0न0 169/32 के कि.नं. 21 ता 24 कुल 4 बीघा कमाण्ड भूमि में आसानी से प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थी के कथनों व उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है एवं अत्यान्तिक आवश्यकता भी है। जिसके लिए नजदीकी रास्ता मु0न0 169/32 के किला नं0 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 5 डीएल के मु0न0 169/32 के कि.नं. 25 में उत्तर से पश्चिम 1–1 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी उक्त 1–1 बिस्वा कुल 1 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि अप्रार्थी को प्रदान करे यदि 30 दिन की मियाद तक अप्रार्थी उक्त राशि नहीं लेता है। तो प्रार्थी द्वारा उक्त राशि तहसीलदार अमानतमद में जमा करवाकर रास्ते का अंकन रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सीता शर्मा),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(छतरगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—29/20

1. रामेश्वरी पत्नी जिसकाराम जाति बिश्नोई निवास अलाय हाल चक 10 केवाईडी 'बी' खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. प्रार्थीया एवं श्री जिसकाराम पति प्रार्थीया की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :— 19.11.2020

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना—पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रार्थीया के नाम से चक 10 केजेडी (बी) का मु0नं0 157/12 व मु0नं0 157/5 कुल 33 बीघा कृषि भूमि है, जो कि उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम जिसकाराम है समस्त दस्तावेजों में भी जिसकाराम अंकित है लेकिन प्रार्थीया की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में जिसकाराम के स्थान पर जसकाराम दर्ज हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

जो संशोधन योग्य है। अतः प्रार्थीया के उक्त राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर प्रार्थीया का नाम रामेश्वरी पत्नी जिसकाराम जाति बिश्नोई सा अलाय तहसील व जिला नागौर दर्ज करने की इस्तदुवा चाही है।

उक्त प्रा0 पत्र तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को पेश किया गया था जो रिपोर्ट पटवारी बाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थीया लिये। प्रार्थीया द्वारा अपने पति की एक अन्य जमाबंदी चक 20 बीडी मु0नं0 96/34 की प्रति पेश की गई साथ ही प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड में प्रार्थीया के पति नाम का जिसकाराम ही लिखा गया है। इस संबंध में प्रार्थीया की ग्राम पंचायत अलाय नागौर द्वारा भी पति का नाम जिसकाराम प्रमाणित किया है तथा प्रार्थीया द्वारा भी इस बाबत शपथपत्र दिया गया है। बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पति की उक्त कृषि भूमि की अलावा अन्य जमाबंदी, ग्रामपंचायत प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, शपथपत्र व रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रार्थीया के पति का नाम जसकाराम सहवन से हो गया है तथा दुरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थीया के पति का नाम जसकाराम के स्थान पर जिसकाराम दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.11.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–126 / 20

क्रमांक:एसडीओ / खाजू / 20 दिनांक 24.12.2020

संशोधन आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार राजस्व खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण झुमरदेवी पत्नी गुमानाराम व हुकमाराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी दीपसर तह. रतनगढ़ चुरू हाल चक 28 बीडी 'सी' के चक 28 बीडी 'सी' के मु0नं0 16 / 1 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के स्थायी पते में गांव का नाम दीपसर के स्थान पर दीपासर दर्ज हो गया है जबकि सही नाम दीपसर है। जिसे प्रार्थीगण शुद्ध करवाना चाहते है। अतः रिकार्ड के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के गांव का नाम शुद्ध किया जाकर दीपासर की जगह दीपसर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिये जाते है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मिथलेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–114/20

क्रमांकःएसडीओ/खाजू/20/ दिनांक 24.12.2020

संशोधन आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार राजस्व खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रमेशकुमार पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 केजेडी खाजूवाला के चक 4 केजेडी के मु0नं0 61/60 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रमेशचन्द्र दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी का सही नाम रमेशकुमार है जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहते है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में दस्तावेज स्वरूप ग्राम पंचायत 3 पीडब्ल्यूएम द्वारा रमेश कुमार नाम की तस्दीक व इसी नाम की जमाबंदी 4 केजेडी मु0नं0 61/61 भी पेश की है, अन्य पहचान दस्तावेज आधारकार्ड,राशनकार्ड,मूलनिवास, वोटरलिस्ट आदि पेश किये जिनमें प्रार्थी का नाम रमेशकुमार ही दर्ज है। अतः रिकार्ड दस्तावेज के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी का नाम रमेशकुमार शुद्ध किया जाकर रमेशचन्द्र की जगह रमेशकुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को दिये जाते है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

(मिथलेश कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–04/20
आदेश दिनांक 12.01.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रा0पत्र में चक 19 पीकेडी 'ए' लगभग 18 मुरब्बों में अलग–अलग रास्ता कटान करने बाबत् लिखा है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र में कहीं यह यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि उनकी कृषि भूमि पत्रावली में वर्णित चक के कौनसे मु0नं0 पर स्थित है और वे अपनी कृषि भूमि हेतु कहा से कहां तक रास्ता चाहते है। इसलिए उक्त प्रकरण धारा 251 ए RTA का नहीं बनता है। क्योंकि धारा 251ए RTA का प्रकरण जब बनता है जब काश्तकार को खुद की कृषि भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता ना हो और रास्ता कटान चाहता है। अतः प्रार्थीगण को अपने कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तो नियमानुसार प्रा0पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। यह पत्रावली धारा 151 CPC की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—61/20

क्रमांक:एसडीओ/खाजू/रीडर/21/ दिनांक

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के चक 5 KLD (CAD) के मु0नं0 236/46 के कुला 9 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा 2 KLD से ऋण लिया था। राजस्व रिकॉर्ड में रहन का अंकन करते वक्त गलती से पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला अंकित हो गया। जिसे प्रार्थी दुरस्त करवाना चाहता है।

तहसीलदार राजस्व खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी काशीराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई सा0 रामपुरा के चक 5 KLD (CAD) के मु0नं0 236/46 के कुला 9 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के रहननामा का नामा0 सं0 125 दर्ज करते वक्त सहवन से रहन पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला अंकित हो गया इसी नामा0 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला दर्ज हो गया, जबकि संलग्न 6(1) के अनुसार रकबा पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD के पक्ष में रहन होना था।

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में दस्तावेज स्वरूप बैंकपास, अनुसूची 6, जमाबंदी व नामा0 की छायाप्रति पेश किये। अतः रिकॉर्ड दस्तावेज के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी के पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD शुद्ध किया जाकर पंजाब नेशनल बैंक खाजूवाला की जगह पंजाब नेशनल बैंक 2 KLD राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को किये जाते है एवं शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक:एसडीओ/खाजू/21/ दिनांक

प्रतिलिपीः— तहसीलदार खाजूवाला को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—51/20
आदेश दिनांक 01.02.2021

आज पत्रावली उभयपक्ष के उपस्थित आने व प्रार्थीगण पुनीतकुमार, आरती पुत्र सुधीरकुमार नाबालिक जरिये माता कान्तादेवी के विड्रो प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र पेशकर पारिवारिक सहमति एवं राजीनामा हो जाने के कारण बाद में कोई कार्यवाही आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। उक्त वाद इसी स्तर पर विड्रो करने का आदेश का निवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विड्रो के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–52/20
आदेश दिनांक 01.02.2021

पत्रावली पेश हुई। मूलवाद विड्रो के आधार पर खारिज किया जा चुका है। उक्त पत्रावली मूलवाद का अभिन्न अंग होने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति ओड निवासी चक 22 केजेडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उर्मिला पत्नि शिवप्रकाश, जाति नाई निवासी चक 7 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल चक 24 केजेडी, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला। .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) **Colony Condition Act** व धारा 251, 251क **RT Act**

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की वादी मनीराम पुत्र रामकरण द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था की चक 24 केजेडी के मुरब्बा नंबर 224/49 के किला नंबर 5,6,15,16,25 में कदीमी रास्ता चल रहा है जो चक की आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ता है। उक्त किला नंबर राजस्व रिकॉर्ड में उर्मिला पत्नी शिव प्रकाश के नाम दर्ज हैं। वादी का कहना है उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और प्रतिवादी उर्मिला को पाबंद किया जाए कि वह रास्ते में दखलअंदाजी ना करें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है यह प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 8(2) उस स्थिति में लागू होती है जब किसी काश्तकार को अपने खेत तक पहुंचने के लिए नया रास्ता चाहिए .यहां वादी द्वारा कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि उसका खेत कहां पर स्थित है और उसके खेत को पहुंचने के लिए कहां से कहां तक रास्ता चाहिए। यह भी गौरतलब है की वादी द्वारा कहीं पर यह जिक्र भी नहीं किया गया है की आबादी कौन से मुरब्बे में स्थित है और सड़क कहां स्थित है और आबादी से सड़क तक पहुंचने के लिए किस–किस मुरब्बे से रास्ता गुजर रहा है।

दूसरा यदि कोई रास्ता सुखाधिकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न करता है तो अनुतोष के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा. इस मामले में उपनिवेशन अधिनियम की धारा 82 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है..इसलिए यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर [illegible] किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. कलावती पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी मसानीवाला हाल आबाद चक 13 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीया

बनाम

1. वीरोकौर पत्नि लालसिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 12 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम 1955 की शर्तें संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वादी कलावती पत्नी ओमप्रकाश के नाम चक 13 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 138/33 में 23 बीघा भूमि दर्ज है। उसकी खातेदारी भूमि का किला नंबर 1,10,11,20 व 21 में 4–4 बिस्वा भूमि रास्ते के तौर पर दर्ज है। वादी का कहना है कि यह रास्ता पिछले 40 सालों से बंद है इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है इसलिए इसे रिकॉर्ड में से हटवाया जाए।

वादी और प्रतिवादी की दलीलों पर विचार किया गया। न्यायालय का यह निष्कर्ष है यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8(2) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के अंतर्गत काश्तकार को अधिकार है कि वह अपने खेत तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग कर सकें लेकिन इस धारा के तहत पूर्व में दर्ज रास्ते को विलोपित किए जाने का प्रावधान नहीं है।

दूसरा बिंदु यह है कि इस आधार पर कि कोई कटानी रास्ता कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है उस कटानी रास्ते को विलोपित तक नहीं किया जा सकता है। इसलिए civil procedure code की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय यह निर्णय देता है कि इस प्रार्थना पत्र को ही स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी वीरो कौर पत्नी लाल सिंह को निर्देशित किया जाता है कि यदि आज की तारीख में यह रास्ता बंद है तो वह उसे खुद के स्तर पर खोलने की कोशिश नहीं करें बल्कि रास्ता खुलवाने के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करें।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 44/2020

1 लिछमणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालरम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला।

बनाम .... प्रार्थी

1 रतिराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी 33 केवाईडी 'बी' खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अधिनियम

आदेश दिनांक :– ....

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी लिक्ष्मणराम उर्फ लिछीराम पुत्र गोपालराम जाति जाट के चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0 181/35 के किला नं0 1 ता 13 कुला तादादी 12.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शेष भूमि अप्रार्थी की है। प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों भाई है। अप्रार्थी के खेत तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी चक व मु0न0 के किला नं0 5,6 में 2–2 बिस्वा रास्ता देने के लिए सहमत है। दिनांक 03.02.2021 को दोनो पक्ष उपस्थित हुवे तथा अप्रार्थी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई।

न्यायालय ने पत्रावली का अध्ययन किया है । न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की सहमति होने की वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 33 केवाईडी'बी' के मु0नं0 181/35 के किला नं0 5,6 में 2–2 बिस्वा भूमि पत्थर लाईन पर रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– /

महेन्द्र पुत्र श्री नेमीचन्द जाति रेगर निवासी चक 5 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
2. महेशप्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
3. तिलोकचन्द पुत्र प्रभुदयाल
4. पुरूषोत्तमदास पुत्र प्रभुदयाल
5. मालचन्द पुत्र प्रभुदयाल
6. चुनीलाल पुत्र प्रभुदयाल
7. जगपालसिंह पुत्र प्रभुदयाल
8. बजरंगलाल पुत्र प्रभुदयाल
9. लक्ष्मीदेवी पुत्री प्रभुदयाल
10. जसोदादेवी पुत्री प्रभुदयाल
11. उषा देवी पुत्री प्रभुदयाल

} जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

12. हरिमोहन पुत्र नेमीचन्द
13. शकुन्तला पुत्री नेमीचन्द

} जाति रेगर निवासीगण शिवबाड़ी, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

14. ग्रांम पंचायत 8 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
15. ग्रांम पंचायत 17 के.वाई.डी. जरिये सरपंच प.स. खाजूवाला।
16. राज. राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... रेस्पोडेंट

वादपत्र अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए.

–: निर्णय :– दिनांक :–

अपील का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित आराजी चक 10 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/46 के किला नंबर 17 से 25 की 9 बीघा भूमि, मुरब्बा नंबर 137/49 के किला नंबर 16 से 25 की 10 बीघा भूमि और चक 11 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 156/18 के किला नंबर 6 ,7 ,14 से 17 और 25 की 6.18 बीघा भूमि इस प्रकार 3 चक्रों में कुल 25.18 बीघा भूमि अपीलेट महेंद्र के दादा प्रभु दयाल के नाम दर्ज थी। उसकी मृत्यु के पश्चात यह जमीन सन 2001 मैं ग्राम पंचायत 8 केवाईडी के इंतकाल संख्या 54 दिनांक 15 जनवरी 2001 और ग्राम पंचायत 17 केवाईडी के इंतकाल संख्या 90 दिनांक 22 फरवरी 2001 के जरिए उसके वारिसान के नाम दर्ज हो गई। प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है कि मृतक प्रभु दयाल ने 14 जून 2000 को उसके नाम वसीयत कर दी थी इसलिए इंतकाल संख्या 54 व 90 को निरस्त कर जमीन उसके नाम दर्ज की जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है यह प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने लायक है क्योंकि इसमें cause of action reveal नहीं हो रहा है न्यायालय के फैसले के पीछे निम्न आधार है–

वादी द्वारा प्रस्तुत की गई वसीयत सन 2000 में लिखी गई है। वादी इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिछले 20 सालों में उन्होंने यह

वसीयत एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवाई। वादी ने खुद दावे में लिखा है कि पिछले 20 वर्षों से वह इस जमीन को जोत रहा है ऐसे में यह संभव नहीं है कि उसे पता ही ना हो कि उस के पक्ष में ऐसी वसीयत लिखी गई है।

यह वसीयत पंजीकृत नहीं है, सादे कागज पर लिखी गई है इसलिए इसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। इसके अलावा वीरा सिंह पुत्र छैला सिंह, जिसने इस वसीयत पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किया है उसकी गवाही को स्वतंत्र गवाही नहीं माना जा सकता क्योंकि वसीयत में ही लिखा है कि उसने वसीयत कर्ता यानि कि प्रभु दयाल ने वीरा सिंह से ₹300000 उधार लिए हैं जिसको चुकाने की जिम्मेदारी महेंद्र ,यानि कि जिस के पक्ष में वसीयत की गई है, की होगी. इसके मायने हैं कि गवाह वीरा सिंह का इस वसीयत में हित निहित है।

इसलिए न्यायालय द्वारा इस अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या 10 / 2021

1. रामेश्वर 47 वर्ष } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन रोजड़ी

2. चुन्नीलाल 44 वर्ष हाल चक 2 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1. शान्ति पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजाराम
3. रंजना
4. विनोद
5. विजयपाल

(2 से 5) पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन चक 1 आर. जे. एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

6. जेठी देवी पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. लिक्ष्मण
8. कृष्ण

(7 व 8) पिसरान रेवंन्तराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन सुभलाई तहसील लुनकरनसर जिला बीकानेर।

9. केशराराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 78 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
10. ख्यालीराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
11. उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी– चक 2 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 60/2 की 25 बीघा भूमि –प्रार्थीगण रामेश्वर और चुन्नीलाल के पिता चंदूराम के नाम दर्ज है। चंदू राम की 2018 में मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी गण ने दावा पेश किया है कि चंदू राम में पारिवारिक बंटवारे के तहत यह जमीन प्रार्थी गण के नाम कर दी थी लेकिन चंदू राम की अन्य संताने फर्जी वसीयत के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। वादी गण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष चाहा गया है की परिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी गण को उक्त संपत्ति का खातेदार घोषित किया जाए और वादी गण के पक्ष में चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए की प्रतिवादी गण वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना करें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया दावा maintainable नहीं है क्योंकि किसी खातेदार की मृत्यु के बाद आराजी का सही हकदार कौन है यह फैसला तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान इंतकाल के द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार/ग्राम पंचायत के फैसले से पूर्व ही उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यदि प्रार्थीगण उस फैसले से व्यथित होते हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि प्रार्थीगण को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान फर्जी कागजात पेश कर सकता है तो वह सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करवा सकते हैं। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

चंदू राम द्वारा प्रार्थी गण के पक्ष में कोई बंटवारा किया गया है तो प्रार्थी गण उसे भी तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

इसलिए यह वाद maintainable नहीं है. इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला/ ग्राम पंचायत 2 पीडब्ल्यूएम को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी के उत्तराधिकार इंतकाल का निर्णय करते समय वादी गण और प्रतिवादी गण गण को आवश्यक रूप से सुने और उसके बाद ही फैसला करें।

प्रार्थी गण द्वारा इस वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उस प्रार्थना पत्र को भी इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 11/2021

1 रामेश्वर 47 वर्ष } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन रोजड़ी
2 चुन्नीलाल 44 वर्ष हाल चक 2 पीडब्ल्यूएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादीगण

बनाम

1 शान्ति पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2 राजाराम
3 रंजना } पिसरान चन्दुराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन चक 1 आर. जे.
4 विनोद एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5 विजयपाल
6 जेठी देवी पत्नि चन्दुराम जाति जाट उम्र 75 वर्ष साकिन 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7 लिक्ष्मण } पिसरान रेवंन्तराम पौत्र मानाराम जाति जाट साकिन सुभलाई
8 कृष्ण तहसील लुनकरनसर जिला बीकानेर।
9 केशराराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 78 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
10 ख्यालीराम पुत्र मानाराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष साकिन चक 1 आर.जे.एम. रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
11 उप–पंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर।
12 राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी– चक 2 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 60/2 की 25 बीघा भूमि –प्रार्थीगण रामेश्वर और चुन्नीलाल के पिता चंदूराम के नाम दर्ज है। चंदू राम की 2018 में मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थी गण ने दावा पेश किया है कि चंदू राम में पारिवारिक बंटवारे के तहत यह जमीन प्रार्थी गण के नाम कर दी थी लेकिन चंदू राम की अन्य संताने फ[illegible] के आधार पर इस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,188 के तहत वाद प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष [illegible] गया है की परिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी गण को उक्त संपत्ति का खातेदार घोषित किया जाए और वादी गण के पक्ष में चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए की [illegible] वादी गण वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ना करें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया दावा maintainable नहीं है क्योंकि किसी खातेदार की मृत्यु के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 16:44:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजी का सही हकदार कौन है यह फैसला तहसीलदार/ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान इंतकाल के द्वारा किया जाएगा। तहसीलदार/ग्राम पंचायत के फैसले से पूर्व ही उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। यदि प्रार्थीगण उस फैसले से व्यथित होते हैं तो वह सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि प्रार्थीगण को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान फर्जी कागजात पेश कर सकता है तो वह सक्षम अधिकारी यथा तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति दायर करवा सकते हैं। यदि चंदू राम द्वारा प्रार्थी गण के पक्ष में कोई बंटवारा किया गया है तो प्रार्थी गण उसे भी तहसीलदार/ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

इसलिए यह वाद maintainable नहीं है. इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही तहसीलदार खाजूवाला/ ग्राम पंचायत 2 पीडब्ल्यूएम को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी के उत्तराधिकार इंतकाल का निर्णय करते समय वादी गण और प्रतिवादी गण गण को आवश्यक रूप से सुने और उसके बाद ही फैसला करें।

प्रार्थी गण द्वारा इस वाद के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है उस प्रार्थना पत्र को भी इन्हीं आधारों पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वादपत्र संख्या :– 02/2021

इसी आराजी के संबंध में सीआरपीसी 145/146 के तहत मुकदमा विचाराधीन है। इसलिए धारा 212 के तहत कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रकरण सं0 06/19 (75 आरएएक्ट), 01/20 अन्तर्गत धारा 145/146 सीआरपीसी, 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) और 02/20 (अन्तर्गत 212 आरटीएएक्ट) सभी एकही आराजी चक 14 बीडी'ए' के मु0नं0 134/15 से संबंधित है।

इसमें मुख्य फैसल किए जाने लायक बिंदू यह है कि क्या उक्त भूमि नत्थूराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज होनी चाहिए या नत्थूराम के पुत्र हनुमानराम के नाम जरिये वसीयत दर्ज होनी चाहिए।

इस बिंदू का फैसला केस नं0 06/19 में किया जाएगा।

वर्तमान वाद 02/20 (अन्तर्गत धारा आरटीएक्ट) में आगामी आदेशों तक रिकॉर्ड पर स्टे दिया गया है। अदालत का मानना है कि इन केसेज को मर्ज कर सुनना आवश्यक है।

इसलिए अदालत यह आदेश करती है। इस प्रा0पत्र में 07.01.20 में जारी किया गया स्थगन आदेश प्रकरण सं0 06/19 का फैसला होने तक प्रभावी रहेगा।

कब्जे संबंधी विवाद का निपटारा वाद सं0 01/20 (अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी) में किया जायेगा। इसलिए इस प्रा0पत्र और वाद सं0 01/20 (अन्तर्गत धारा 188 आरटीएएक्ट) में आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

Case u/s 145/146 Crpc disputed land is Pending in SDM Court No need to conduct paused proceeding same land u/s 188 RT Act 1955. Hence droped at this stage.

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजीत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— /

1. तोलाराम पुत्र ठाकरसीराम जाति ब्राहम्ण साकिन 21 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जीयाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. जगदीश पुत्र मूलाराम जाति जाट साकिन 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला। ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान जनरल कालोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्त 8(2) एवं सुखाधिकार अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :–

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस तरह से है कि प्रार्थी तोलाराम के नाम चक 21 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 से 25 की 25 बीघा भूमि और चक 22 केवाईडी के मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 3,,4,8,,9 2.08 बीघा भूमि दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि मुरब्बा नंबर 98/45 मे स्थित जमीन तक पहुंचने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, प्रार्थी की मांग है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24,25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाए ताकि वह किला नंबर 98/45 में स्थित अपनी जमीन तक पहुंच सके।

इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई व 3 फरवरी को मौका मुआयना किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट और मौका मुआयना से यह तथ्य सामने आया है की मुरब्बा नंबर 98/53 की उत्तरी सीमा के साथ साथ मुरब्बा नंबर 98/52 के किला नंबर 21 से 25 में एक कटान शुद रास्ता चलायमान है जो मुरब्बा नंबर 98/44 की दक्षिणी पूर्वी और 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आकर समाप्त होता है। वर्तमान में प्रार्थी कटान शुदा रास्ते के जरिए मुरब्बा नंबर 98/45 की उत्तरी पूर्वी सीमा तक पहुंच सकता है। उसके बाद मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने से खाले को पार करता हुआ मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 5 में प्रवेश करता है जो कि मीनाक्षी के नाम दर्ज है। वर्तमान में इस किला नंबर 5 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ रास्ता चल रहा है जिसका इस्तेमाल कर प्रार्थी इस मुरब्बा नंबर के किला नंबर 4 में पहुंचता है।

उक्त तथ्यों का विवेचन किया गया। दोनों पक्षों की बहस भी सुनी गई न्यायालय का मत है कि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24 और 25 में से रास्ता दिया जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है वही रास्ता उसके खेत तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसे इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए।

अप्रार्थी गण प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट का रास्ता देने के लिए तैयार है जिससे वह मुरब्बा नंबर 98/45 में प्रवेश कर सकें लेकिन प्रार्थी इस पर सहमत नहीं है। प्रार्थी किला नंबर 24,25 में रास्ता चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

यहां एक और बिंदु भी विचारणीय है कि मुरब्बा नंबर 98/53 ,जो कि प्रार्थी की खातिरदारी में दर्ज है, मुरब्बा नंबर 98/45 की पश्चिमी सीमा के साथ चिपका हुआ है। मुरब्बा नंबर 98/53 तक पहुंच के लिए कटान रास्ता उपलब्ध है। मुरब्बा नंबर 98/53 के किला नंबर 1 और मुरब्बा नंबर 98/45 के किला नंबर 4 के मध्य केवल मुरब्बा नंबर 98/45 का किला नंबर 5 पड़ता है। वर्तमान में प्रार्थी इसी किला नंबर 5 में से

होकर किला नंबर 4 तक पहुंच रहा है। उचित तो यही है कि प्रार्थी इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करें।

मौका स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 16*16 फीट जगह की भी जरूरत नहीं है।

इन सब तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 06/2021

this cast to be heard along with remanded case related to this land case no- 26/18 u/s 53 RTA no need for seprate hearing

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

1. मदनलाल पुत्र श्री निम्बाराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर हाल चक 27 बीडी 'ए' तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.

.....

वादी

बनाम

1. जेठी देवी पत्नि श्री ईशरराम जाति जाट निवासी डाबरा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
2. खमा देवी पत्नि श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी शेखड़ा तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 एंव 188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :—**

वाद का विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 6 एसजेएम (बी) के मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1 से 25 की 20.05 बीघा भूमि वादी मदनलाल और प्रतिवादी संख्या 1 जेठी देवी की खातेदारी में बहिस्सा बराबर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या दो खमा देवी के पक्ष में कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर वादी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 और 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

वादी का कहना है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में खाता विभाजन करवाए बिना कोई अजनबी खरीददार किन्ही विशिष्ट किला संख्या पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। 11 फरवरी 2021 को वादी और प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से सहमति बटवारा नामा प्रस्तुत किया गया जिसके तहत दोनों ने निम्न प्रकार से विभाजन किए जाने पर सहमति जताई है।

मदनलाल का हिस्सा

मुरब्बा नंबर 39/64 के किला नंबर 1/2 में .2150 किला नंबर 2, 3, 8 , 9 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 10/2 ,11/2 प्रत्येक में में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 12, 13, 19 प्रत्येक में .0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 20/1 में 0.2150 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2 में 0.1897 (उत्तर दिशा की तरफ) किला नंबर 22 में 0.2276 हेक्टेयर (उत्तर दिशा की तरफ), इस प्रकार कुल 13 किलो में 3.0476 हेक्टेयर रकबा।

खमा देवी का हिस्सा

किला नंबर 4 से 7 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 14 से 18 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, किला नंबर 21/2,22 प्रत्येक में 0.0253 हेक्टेयर (दक्षिण दिशा की तरफ) किला नंबर 23 से 25 प्रत्येक में 0.2529 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 14 किलो में 3.0854 हेक्टेयर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

क्योंकि दोनों पक्ष सहमति से खाता विभाजन करवाना चाहते हैं इसलिए न्यायालय का मानना है कि इस सहमति के आधार पर खाता विभाजन स्वीकार किया जाना जायज है।

लेकिन इसमें एक बिंदु है उक्त विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा जो कि खमा देवी द्वारा जेठी देवी से खरीदा गया है, वह वर्तमान में जेठी देवी के नाम से ही दर्ज है। इसलिए इस खाता विभाजन को एग्जीक्यूट करने से पहले उस विक्रय पत्र का इंतकाल होना जरूरी है जिसके द्वारा खमा देवी ने यह जमीन विक्रय की है।

उस विक्रय पत्र का इंतकाल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि प्रार्थना पत्र संख्या 109/20 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया गया था। आज दोनों पक्षों में समझौता हो गया है इसलिए उस स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है।

इसलिए इस मामले में तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह विक्रय पत्र दिनांक 13/10/20, जिसके द्वारा जेठी देवी द्वारा विवादित आराजी में से अपना हिस्सा खमा देवी को बेचान किया गया था, के इंतकाल पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जब उक्त जमीन विधिक रुप से खमा देवी के नाम दर्ज हो जाएगी तब ऊपर लिखित सहमति के आधार पर मदनलाल और खमा देवी के मध्य जमीन का विभाजन करें। निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2020 / 00109

वाद सं0 08/20 में किए गए फैसले के मुताबिक स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 2017/00188

1. वाहिद बक्श पुत्र अल्लादिवाया जाति मुसलमान निवासी 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1. अल्लाबसाया पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. रामचन्द्र } पुत्रगण फूलचन्द जाति कुम्हार निवासीगण 13 केवाईडी
3. इन्द्राज } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. उपपंजीयक खाजूवाला।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एंव धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी संख्या 1 चक 3 बीजीएम (बी) का मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा अनकमांड और चक 4 बीजीएम (ए) के मुरब्बा नंबर 164/54 की 24 बीघा कुल 40 बीघा भूमि वादी वाहिद बख्श के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी संख्या 2 चक 5 बीजीएम का मुरब्बा नंबर 144/54 की 16 बीघा व मुरब्बा नंबर 144/53 की 15 बीघा कुल 31 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाह बसाया को आवंटित हुई थी।

वादी का कहना है के प्रतिवादी संख्या 1 ने 1989 में वादी की उक्त 40 बीघा भूमि को हड़पने हेतु एक फर्जी प्रार्थना पत्र बाबत भूमि तबादला तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने वादी को सुने बिना तबादला तस्दीक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ वादी ने उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष अपील दायर की जो 1991 में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर वादी ने राजस्व मंडल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका पेश की राजस्व मंडल ने 1998 में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर तहसीलदार निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनर्विचार हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रति प्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिव्यू पेश किया जो मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 603/ 1999 प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वादी ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा है कि क्योंकि तहसीलदार के आदेश 1989 निरस्त हो चुका है, इसलिए इस आदेश की पालना में दर्ज हुए इतकाल को निरस्त कर विवादित आराजी संख्या 1 वादी की खातेदारी में दर्ज की जाए। दूसरा क्योंकि तबादले के द्वारा विवादित आराजी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा भूमि का आगे जरिए बैयनामा बेचान कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त बैयनामा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन विचाराधीन होते हुए किया गया है इसलिए इस बेचान को null and void घोषित किया जाए।

प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीआरपीसी पेश किया है। प्रतिवादी का कहना है की वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय 1998 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2018 एस.बी. सिविल रिट न. 603/1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज होने लायक है।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि इस वाद को सुनना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यह वाद जो 1989 में तहसीलदार द्वारा तबादला तस्दीक किए जाने से शुरू हुआ था वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें जो लेटेस्ट फैसला हुआ है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के 1998 के आदेश को अपास्त कर दिया है और तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को यथावत रखा है।

यदि वादी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं तो वह इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि वादी का मानना है की प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित आराजी संख्या 1 का बेचान किया गया है तो वह उस न्यायालय में, जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दायर कर सकते हैं।

लेकिन इन दोनों ही मामलों में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र 31/17 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– 2017/00189

1 वाहिद बक्श पुत्र अल्लादिवाया जाति मुसलमान निवासी 21 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादी

बनाम

1 अल्लाबसाया पुत्र अल्लादिता जाति मुसलमान निवासी सियासर चौगान तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

2 रामचन्द्र } पुत्रगण फूलचन्द जाति कुम्हार निवासीगण 13 केवाईडी
3 इन्द्राज } तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4 उपपंजीयक खाजूवाला।

5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एंव धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की विवादित आराजी संख्या 1 चक 3 बीजीएम (बी) का मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा अनकमांड और चक 4 बीजीएम (ए) के मुरब्बा नंबर 164/54 की 24 बीघा कुल 40 बीघा भूमि वादी वाहिद बख्श के नाम दर्ज थी। विवादित आराजी संख्या 2 चक 5 बीजीएम का मुरब्बा नंबर 144/54 की 16 बीघा व मुरब्बा नंबर 144/53 की 15 बीघा कुल 31 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अल्लाह बसाया को आवंटित हुई थी।

वादी का कहना है के प्रतिवादी संख्या 1 ने 1989 में वादी की उक्त 40 बीघा भूमि को हड़पने हेतु एक फर्जी प्रार्थना पत्र बाबत भूमि तबादला तहसीलदार के समक्ष पेश किया। तहसीलदार ने वादी को सुने बिना तबादला तस्दीक कर दिया। इस फैसले के खिलाफ वादी ने उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष अपील दायर की जो 1991 में खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर वादी ने राजस्व मंडल अजमेर में पुनरीक्षण याचिका पेश की राजस्व मंडल ने 1998 में पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर तहसीलदार निर्णय निरस्त कर प्रकरण पुनर्विचार हेतु सक्षम अधिकारी कलेक्टर को प्रति प्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने रिव्यू पेश किया जो मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 603/ 1999 प्रस्तुत की जो वर्तमान में विचाराधीन है।

वादी ने धारा 88 राजस्[illegible] के तहत दावा पेश कर यह अनुतोष मांगा है कि क्योंकि तहसीलदार के [illegible]89 निरस्त हो चुका है, इसलिए इस आदेश की पालना में दर्ज हुए इंतकाल को [illegible] कर विवादित आराजी संख्या 1 वादी की खातेदारी में दर्ज की [illegible] के द्वारा विवादित आराजी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible]। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से मुरब्बा नंबर 184/20 की 16 बीघा भूमि का आगे जरिए बैयनामा बेचान कर दिया है। उक्त बैयनामा उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन विचाराधीन होते हुए किया गया है इसलिए इस बेचान को null and void घोषित किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीआरपीसी पेश किया है। प्रतिवादी का कहना है की वादी द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय 1998 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 6/9/2018 एस.बी. सिविल रिट न. 603/1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए वादी का वाद खारिज होने लायक है।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का भी अध्ययन किया गया। न्यायालय का मानना है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज होने लायक है क्योंकि इस वाद को सुनना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

यह वाद जो 1989 में तहसीलदार द्वारा तबादला तस्दीक किए जाने से शुरू हुआ था वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर पहुंच चुका है। इसमें जो लेटेस्ट फैसला हुआ है उसके मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व मंडल के 1998 के आदेश को अपास्त कर दिया है और तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश को यथावत रखा है।

यदि वादी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित हैं तो वह इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यदि वादी का मानना है की प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित आराजी संख्या 1 का बेचान किया गया है तो वह उस न्यायालय में, जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दायर कर सकते हैं।

लेकिन इन दोनों ही मामलों में न्यायालय उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा कोई भी अनुतोष नहीं दिया जा सकता है इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 151 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस वाद से संबंधित प्रार्थना पत्र 31/17 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 13/2021

अपील का सार इसप्रकार है कि तहसील खाजूवाला के चक 16 बीडी के मु0नं0 114/47 के किला नं0 1 ता 25 कुल 25.00 बीघा भूमि अपीलांट लालचंद की नानी किशनी/ईशरराम के नाम दर्ज थी। किशनी की मृत्यु के बाद इंतकाल सं0 234 दिनांक 05.11.19 (पंचायत 20 बीडी) के जरिये वारिसान के नाम दर्ज हो गई। अपीलांट ने पेश किया है कि किशनी ने 30.01.2006 को वसीयत के जरिये उक्त मु0नं0 114/47 की 7 बीघा भूमि (किला नं0 1 ता 7) अपीलांट के नाम कर दी थी। इसलिए यह 7 बीघा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की जाये।

पत्रावली का अध्ययन किया गया । जमाबंदी संवत् 2074–77 का अवलोकन किया गया। इसके मुताबिक उक्त रकबा गैरखातेदारी के तौर पर दर्ज है। यह स्थापित विधि है कि गैर खातेदार द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इसलिए किशनी द्वारा सन् 2006 में लिखी गई अपंजीकृत वसीयत शूरू से ही शून्य है।

इसलिए इंतकाल सं0 234 के खिलाफ अपील पेश करने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बताया कि पक्षकार फौत हो चुके है और आगे इस पत्रावली में पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh
Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 2016 / 00132

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने बताया कि पक्षकार फौत हो चुके है और आगे इस पत्रावली में पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2013/00074

पत्रावली पेश हुई। अपीलांटा अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट से लम्बे अरसे से सम्पर्क नहीं है इसलिए पैरवी में असमर्थता जताई। अतः इस पत्रावली में पैरवी नहीं करने के कारण आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली अदमपैरवी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी ने वादपत्र विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर विड्रॉ करने का निवेदन किया व आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 2019/00083

पत्रावली मय अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रा0पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। वादी ने वादपत्र विड्रॉ करने बाबत् प्रा0पत्र पेशकर विड्रॉ करने का निवेदन किया व आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :–   /

1. मांगीलाल पुत्र श्री गौरीशंकर जाति जाट निवासी 33 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....वादी

बनाम

1. रेशमी देवी पत्नि लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तह. सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. काशीराम
3. महेन्द्र कुमार
4. विनोद कुमार

} पुत्रगण लालचन्द जाति जाट निवासी सिंगणपालीवाला तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

5. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92(ए),188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी भूमि चक 1 बीडब्ल्यूएसएम (ए) के मुरब्बा नंबर 188/59 के किला नंबर 4 से 7,14 से 16,17/2 में 7 बिस्वा, 25 कुल 8.07 बीघा भूमि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 14 अगस्त 2020 को प्रतिवादी संख्या 1 का 4 से खरीद की गई थी। वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उसे बेदखल कर जमीन को दोबारा बेचान पर आमादा है। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही सुसंगत विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का फैसला है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है, अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं वादी द्वारा विवादित जमीन की खरीद अपंजीकृत इकरारनामा के जरिए की गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो–

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88,89,92(ए),188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

1. खूमाराम पुत्र खेता जाति जाट निवासी 12 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1 शिवलाल पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2 मोहनलाल पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3 मंगतुराम पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4 हजारीराम पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5 मुनीराम पुत्र नत्थू जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
6 लूणाराम पुत्र कोजुराम जाति जाट निवासी 16 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
7. स्टेट राज्य जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र शीर्षक संशोधन

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद मूल तौर पर मूला बनाम नत्थू के नाम से दर्ज हुआ था। वादी की मृत्यु के बाद उसकी जगह उसके विधिक प्रतिनिधि खुमाराम का नाम प्रतिस्थापित किया गया। 2015 में प्रतिवादी की मृत्यु हो गई तो खुमाराम द्वारा ऑर्डर 22 रूल 4 के तहत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधिकगण की फेहरिस्त प्रस्तुत की गई। इन 6 वारिसों का नाम प्रतिवादी की जगह प्रतिस्थापित किया गया।

2020 में प्रतिवादी संख्या 5 मुनीराम द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है की मूल प्रतिवादी के कुल 10 वारिस थे। खूमाराम द्वारा केवल छह विधिक प्रतिनिधियों को ही रिकॉर्ड पर लिया गया है इसलिए बाकी 4 विधिक प्रतिनिधियों को भी रिकॉर्ड पर लिया जाए।

खूमाराम ने अपने जवाब में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का पक्ष इस बात से प्रभावित हो रहा है तो वह सिविल प्रोसीजर कोड के सुसंगत रूल के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बन सकता है। इस प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति पक्षकार नहीं बन सकता है।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। न्यायालय का मानना है की प्रतिवादी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की जिम्मेवारी वादी की है यदि यह इत्तला मिलती है कि प्रतिवादी के कुछ वारिस वाद में पक्षकार बनने से रह गए हैं तो बचे हुए वारिसान को पक्षकार बनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इसलिए प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी के समस्त वारिसान को वाद में पक्षकार बनाने की कार्रवाई करें यदि किन्ही वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जाता है उनके खिलाफ दावा abate कर दिया जाएगा।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

1. गुरमेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1	श्रीमती परमजीत कौर पत्नि श्री अजायब सिंह	जातियान जटसिख निवासीगण
2	अंग्रेज सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह	10 बीडी तहसील खाजूवाला
3	गुरप्रीत कौर पत्नि श्री अंग्रेज सिंह	जिला बीकानेर राज.

1. उप पंजीयक खाजूवाला।
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/51 में 9.16 बीघा भूमि और मुरब्बा नंबर 133/59 में 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 परमजीत कौर पत्नी अजायब सिंह के नाम दर्ज है। वादी ने दावा किया है यह जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और 3 नवंबर 2016 को वादी, वादी के माता —पिता और भाई व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक पारिवारिक समझौता किया गया था जिसके मुताबिक मुरब्बा नंबर 133/ 51 के किला नंबर 4, 7, 14, 17, व 24, में कुल 4.18 बीघा भूमि वादी के हिस्से में आई थी। अब प्रतिवादी संख्या 1 इस जमीन को प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जरिए दानपात्र हस्तांतरित करवा रहे हैं। वादी ने अनुतोष चाहा है कि उक्त दान पत्र को शून्य घोषित किया जा कर विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड की जाए।

प्रतिवादी गण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश कर कहा है कि उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की अर्जित संपत्ति है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 के तहत हिंदू नारी की संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होगा। इसलिए यह वाद barred by law है। प्रतिवादी गण ने यह आपत्ति भी पेश की है कि उक्त परिवारिक समझौते के आधार पर पूर्व में भी इसी न्यायालय में अजायब सिंह द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे 6.11. 2017 को निरस्त कर दिया गया था।

वादी ने इसका जवाब देते हुए कहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 (2) के तहत स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के तहत इस संपत्ति पर धारा 14 लागू नहीं होती है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर भी गौर किया गया। हिंदू अधिनियम उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 14 स्पष्ट तौर पर यह कहती है हिंदू नारी अपनी संपत्ति को पूर्ण स्वामी के रूप में धारित करेगी ना कि मर्यादित स्वामी के रूप में। धारा 14 (2) के मुताबिक हिंदू [illegible] परिस्थितियों में संपत्ति को मर्यादित स्वामी के तौर पर धारण करेंगी जबकि उस दस्[illegible] के द्वारा हिंदू नारी द्वारा वह संपत्ति अर्जित की गई है, के द्वारा ही हिंदू नारी के अधिकारों [illegible]तिबंधित कर दिया गया है। अदालत का मानना है की प्रतिवादी द्वारा धारा 14 (2) की सही [illegible] नहीं की गई है .

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है की वादी को अपनी माता के नाम दर्ज जमीन पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह दावा barred by law है। इसलिए इस दावे को इस स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 94/2020 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में मुरब्बा नंबर 133 /51 की 9.16 बीघा भूमि पर जारी किए गए स्थगन आदेश दिनांक 31.08.2020 को भी निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

अदालत का मानना है कि इस बात की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है कि उक्त जमीन परमजीत कौर की स्व अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति क्योंकि दोनों ही स्थितियों में वह उस जमीन की पूर्ण स्वामी है। हालांकि परमजीत कौर द्वारा विक्रय पत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिससे साबित होता है कि यह जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है।

अदालत द्वारा वाद पत्र, प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और परिवारिक समझौता 2016 का अध्ययन किया गया। इस समझौते में चक 10 बीडी (ए) के मुरब्बा नंबर 153/20 ,चक 10 बीडी (बी) के मुरब्बा नंबर 133/ 51 और मुरब्बा नंबर 133/59 की जमीन का जिक्र है जो समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी।

अदालत धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस समझौते के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां करना चाहती है। 2016 का पारिवारिक समझौता गैर पंजीकृत अनौपचारिक बंदोबस्त है कि किस तरह से परमजीत के नाम दर्ज जमीन का हस्तांतरण उसके पति और पुत्रों के पक्ष में किया जाएगा। लेकिन यदि आज की तारीख में पक्षकार इस समझौते के मुताबिक अपनी जमीन का हस्तांतरण नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि समझौते में लिखी गई जमीन समझौते वाले दिन परमजीत कौर के नाम दर्ज थी। परमजीत कौर के पति या पुत्र का उस जमीन में कोई कानूनी हक नहीं है (धारा 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत)। इसलिए वादी द्वारा या अन्य किसी द्वारा भी उस समझौते के आधार पर परमजीत कौर के खिलाफ दावा नहीं लाया जा सकता।

यहां यह बात भी गौरतलब है कि उक्त समझौता किसी संयुक्त संपत्ति के विभाजन से संबंधित नहीं है बल्कि परमजीत कौर के नाम दर्ज जमीन के हस्तांतरण से संबंधित है। इसलिए परमजीत कौर की सहमति के खिलाफ इसे अमल में नहीं लाया जा सकता।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

मोहम्मदखां बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :— राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् मु0नं0 एवं सन् /2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
25-07-2014	पत्रावली आज तहसीलदार के पत्रांक 1409 दिनांक 19.04.2014 पर पेशी में ली गई। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चक 12 केएलडी के मु.नं. 199/38 के किला नं0 6,7,12 ता 20, 22 ता 25 की 15.00 बीघा कमाण्ड एवं मु.नं. 199/46 के किला नं. 1,10,11,19 ता 22 की 7.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट व फर्द सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील के किला नं. 6,7,12 ता 20, 22 ता 25 की 15.00 कमाण्ड एवं मु.नं. 199/46 के किला नं. 1,10,11,19 ता 22 की 7.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि की 15एएए—2बी के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान की जाती है। तदानुसार निःशुल्क खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने के आदेश जारी होकर पत्रावली दाखिलदफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला,बीकानेर

क्रमांकः—एसडीओ / खाजू / आवंटन / 14 /   दिनांक

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला।

विषयः— प्रार्थी मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला को 15 एएए—2 बी के तहत निःशुल्क खातेदारी के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक भू.अ. / 14 / 1409 दिनांक 19.04.2014 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके फर्द सत्यापन के आधार पर प्रार्थी मोहम्मदखं पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला की कृषि भूमि चक 12 केएलडी के मु.नं. 199 / 38 के किला नं0 6,7,12 ता 20, 22 ता 25 की 15.00 बीघा कमाण्ड एवं मु.नं. 199 / 46 के किला नं0 1,10,11,19 ता 22 की 7.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 22.00 बीघा कमाण्ड भूमि की 15 एएए—2 बी के तहत निःशुल्क खातेदारी प्रदान की जाती है। तदानुसार निःशुल्क खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करें।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

क्रमांक / सम / 18   दिनांक

प्रतिलिपिः— प्रार्थी मोहम्मदखां पुत्र मनूखां कौम मुसलमान साकिन 12 केएलडी तहसील खाजूवाला को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 24 / 20

1. इन्द्रराम पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खजूवाला जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1 हेतराम पुत्र श्री काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 6 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी इन्द्रराम के नाम चक 9 बीडी के मुरब्बा नंबर 154 / 44 के किला नंबर 1 से 10 व 15 और 16 कुल 12 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। इस मुरब्बे की बाकी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 हेतराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कहना है कि दोनों पक्षों के मध्य 1991 में पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत प्रार्थी को किला नंबर 25 में रास्ते का इस्तेमाल करने की सहमति दी गई थी। प्रार्थी पिछले कई सालों से किला नंबर 25 से होकर सड़क तक पहुंच रहा है। लेकिन अप्रार्थी द्वारा बार—बार रास्ता बंद कर दिया जाता है, इसलिए वह उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अप्रार्थी ने जवाब दिया है कि उन दोनों के मध्य ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। लेकिन उसने किला नंबर 25 में पूर्व दिशा में पक्के खाले के साथ—साथ एक बिस्वा रास्ता छोड़ रखा है। यदि प्रार्थी द्वारा इस एक बिस्वा रास्ते के बदले उसे साथ लगते हुए किले में एक बिस्वा भूमि दी जाती है तो वह रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने के लिए राजी है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि अप्रार्थी की यह मांग कि उसे भूमि के बदले भूमि दी जाए गैर वाजिब नहीं कही जा सकती क्योंकि किसान के लिए भूमि की सबसे अच्छी कीमत क्या है यह वही जानता है।

प्रार्थी इस मांग पर सहमत नहीं है। वह परिवारिक समझौते के आधार पर रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अदालत का मानना है कि प्रार्थी द्वारा यह मांग कि भूमि के बदले भूमि दी जाए मानने से इनकार करने की कोई वाजिब वजह नहीं है। प्रार्थी जिस पारिवारिक समझौते की बात कर रहा है वह एक अपंजीकृत दस्तावेज है। यदि मान भी लिया जाए कि उस समय दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता हुआ था तो भी इस दस्तावेज के आधार पर उस समझौते को बाध्यकारी तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता।

इसलिए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि यदि प्रार्थी भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है तो उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रार्थी इस बात पर सहमत नहीं है इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 36/18

अनवर पत्नि श्री अकबर खां जति मुसलमान निवासी पीरणवाली, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला
बीकानेर।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. विलायत पत्नि श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
2. इब्राहीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
3. बशीर पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
4. अजीम पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
5. अजीज पुत्र श्री हाजी पीरण खां जाति मुसलमान निवासी चक 7 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
6. ताजा पत्नि श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
7. सुबी पुत्री श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
8. महमुदा पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
9. निदाम पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
10. महमुद पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
11. रहमान पुत्र श्री गुलाम रबानी जाति मुसलमान निवासी चक 8 केएचएम दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
12. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस प्रकार से है कि प्रार्थीया अनवर पत्नी अकबर खान के नाम चक 8 केएचएम के मुरब्बा नंबर 77/64 के किला नंबर 21 से 25 की 5 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा अप[illegible] पहुंचने के लिए मुरब्बा नंबर 98/01 और 97/08 के किला नंबर 1,10,11,20 [illegible] 2[illegible] में से होकर रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण का जवाब है कि प्रार्थीया के खेत तक [illegible] के लिए पहले से ही रास्ता मौजूद है।इसलिए इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया ज[illegible]
मौके का नक्शा इस प्रकार से है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11,20 और 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। अब प्रार्थीया मुरब्बा नंबर 97/08 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ रास्ता चाहती है। प्रार्थीया की दलील है इस रास्ते के कटान होने से नक्शे में दर्शाई गई सड़क नंबर एक और सड़क नंबर दो का आपस में मिलान हो जाएगा। इससे प्रार्थीया के साथ–साथ आम जनता को भी फायदा होगा।

अप्रार्थीगण ने आपत्ति पेश की कि धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब किसी काश्तकार के खेत तक पहुंचने का कोई रास्ता मौजूद ना हो। केवल आमजन की सुविधा को देखते हुए इस धारा के अंतर्गत रास्ता कटान नहीं किया जा सकता।

दोनों पक्षों की बहस को सुना गया अदालत का मानना है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति वाजिब है। प्रार्थीया ने खुद अपने प्रार्थना पत्र मैं लिखा है कि मुरब्बा नंबर 98/01 के किला नंबर 1,10,11, 20, 21 के काश्तकारों द्वारा रास्ता कटान की सहमति दे दी गई है। नक्शे के अवलोकन से यह जाहिर है कि इस रास्ते के द्वारा के जरिए प्रार्थीया सड़क नंबर दो तक पहुंच सकती है। इसलिए मुरब्बा नंबर 98/01 की पश्चिमी सीमा पर रास्ता कायम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इसके साथ ही मुरब्बा नंबर 97/08 के किला नंबर 1 से 25 के सिलसिले में जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 06.07.18 भी निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 46/19

लालचन्द पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला
बीकानेर। ...
..प्रार्थी

बनाम

1. बिरमा देवी पत्नि पतराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. हंसराज पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन माधोडिग्गी चक 17 पी.के.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

....
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट
सुखाधिकार अधिनियम एंव 151 सी.पी.सी.

—: निर्णय :— दिनांक :—

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार से है कि चक 17 पीकेडी के मुरब्बा नंबर 223/18 प्रार्थी लालचंद पुत्र लादूराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटान रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मुरब्बा नंबर 223/25 के किला 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 2—2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है। मुरब्बा नंबर 223/25 अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज है और मुरब्बा नंबर 223/17 अप्रार्थी संख्या दो के नाम दर्ज है।

अप्रार्थी गण द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण अपने खेत में से रास्ता देने के लिए राजी हैं उनका कहना है कि उन्होंने रास्ते के बदले में प्रार्थी लालचंद से राशि प्राप्त कर ली है। इसलिए अगर रास्ता कटान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर अदालत यह फैसला करती है मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 21 से 25 में प्रत्येक किले की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ 16 फीट चौड़ा रास्ता व मुरब्बा नंबर 223/17 के किला नंबर 25 में 8 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाए। तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रखबे का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के तौर पर करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 113/20

किशनलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी महादेववाली तह. छतरगढ हाल आबाद चक 3 पीडब्ल्यूएम तह. खाजूवाला जिला बीकानेर रा ....अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला। .... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :–

अपील का ब्यौरा इस प्रकार है की अपीलांट किशनलाल पुत्र पन्नाराम को को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 41/23 व 41/31की 50 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। अपीलांट द्वारा जब उक्त आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए पेश किया तब तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 188 को इस आधार पर खारिज कर दिया उक्त आवंटन आदेश नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि क्योंकि उक्त जमीन अपीलेट को विधिवत तौर पर आवंटित हुई है। इसलिए इंतकाल संख्या 188 को निरस्त किया जाए और आवंटन आदेश के अनुसार नामांतरण दर्ज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 188 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 1999 में विशेष आवंटन के तहत चक 39 केजेडी के मुरब्बा नंबर 48/63 पर आवेदन किया था। उक्त भूमि पर कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए थे परंतु 99 में इन आवेदनों पर कोई फैसला नहीं किया गया था। 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इन चारों आवेदनों की जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्योंकि मदनलाल पुत्र मोटाराम की प्राथमिकता आवंटन नियम 1975 के अनुसार सर्वोच्च श्रेणी की है इसलिए उक्त मुरब्बा नंबर 48/63 मदनलाल को आवंटन किया जाता है। यह निर्णय 19.04. 2017को किया गया। उसके बाद 07.07.2017 को अपीलांट को उक्त विवादित आराजी आवंटन की गई। यह आंवटन इस आधार पर किया गया कि क्योंकि अपीलांट को वह भूमि आंवटन नहीं हो पाई जो उसके द्वारा मूल आवेदन में मांगी गई थी। इसलिए आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए)5 4 के तहत उसे अन्यत्र भूमि आवंटित की गई है।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया इस नियम के मुताबिक

सन 1999 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार आवेदन किया गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रह गया था।

इन दोनों निर्णय दिनांक 19.04.17 और 07.07.17 पर सरसरी नजर डालने से ही यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.07.17 को किया गया आवंटन नियम 13 (ए) 5 4 की दायरे में नहीं आता है क्योंकि उक्त नियम तभी लागू होगा जब दो समान प्राथमिकता वाले आवेदकों के बीच फैसला किया गया हो। जबकि यहां तो स्पष्ट है की प्रथम आवंटन के समय मदनलाल की प्राथमिकता सर्वोच्च थी। अपीलांट और मदनलाल की प्राथमिकता समान नहीं थी।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आवंटन आदेश की विस्तृत जांच करें। यदि उक्त आवेदन विधि विरुद्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर करें।यदि उक्त आवेदन आबंटन विधि मान्य पाया जाता है तो उस[illegible] दर्ज करें। इसके साथ ही इंतकाल संख्या 188 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले इजलास में [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 06/20

सुखराम पुत्र श्री भागीरथ राम जाति जाट निवासी खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार भू.अ. खाजूवाला।

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

अपील का ब्यौरा इस तरह से है कि अपीलांट सुखराम पुत्र भागीरथ राम को सन 2017 में चक 3 पीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नंबर 42/9 और 42/17 की 50 बीघा भूमि विशेष आवंटन के तौर पर आवंटित हुई थी। अपीलांट ने आवंटन आदेश को तहसीलदार के समक्ष नामांतरण के लिए प्रस्तुत किया तो तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 191 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह आवंटन विनिमय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना जारी किया गया है, इसलिए यह नियम विरुद्ध है। अपीलांट का कहना है कि तहसीलदार को उक्त विवेचना करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए तहसीलदार द्वारा खारिज किए गए नामांतरण को ख़ारिज किया जाए।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। नामांतरण संख्या 191 पर भी गौर किया गया। अदालत का मत है की तहसीलदार को उपखंड अधिकारी के न्यायिक आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उपखंड अधिकारी का न्यायिक आदेश विधि विरुद्ध है या उस आदेश से राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा है तो तहसीलदार उस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन वह स्वयं के स्तर पर उस आदेश को खारिज नहीं कर सकता।

अदालत द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 14.07.2017 का भी अध्ययन किया गया। अपीलांट ने सर्वप्रथम सन 2000 में विशेष आवंटन के तहत चक 1–2 एमडीएम के मुरब्बा नंबर 203/04 पर आवेदन किया था लेकिन उस समय अपीलांट को भूमि आवंटन नहीं हो पाई। सन 2017 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1975 के नियम 13(ए) 5 4 के तहत अपीलांट को विवादित आराजी आंवटन कर दी।

अदालत द्वारा उक्त नियम का अध्ययन किया गया। उक्त नियम के अनुसार यदि किसी भूमि पर समान प्राथमिकता वाले एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस भूमि का आवंटन उन आवेदकों के मध्य मोहरबंद बोली के जरिए किया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनको इस प्रक्रिया के कारण भूमि आवंटित नहीं हो सकी हो उन्हें दूसरी भूमि ,जिसे पूर्व में अधिसूचित किया गया था और जिस के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, आवंटित की जा सकेगी बशर्ते की उस दूसरी भूमि पर कोई अन्य आवेदन लंबित ना हो।

नियम 13(ए) 5 4 के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न जानकारी का होना–

सन 2000 में जिस समय अपीलांट द्वारा प्रथम बार [illegible] या गया था उस समय अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि पर कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे।

उन आवेदकों का वरीयता क्रम क्या था।

वह भूमि किसे अलॉट हुई थी और किस प्रक्रिया के जरिए अलॉट हुई थी।

क्या समान प्राथमिकता वाले 2 आवेदकों के मध्य फैसला किया गया था और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपीलांट जमीन से वंचित रहे गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

इन सब बिंदुओं पर जांच किए बगैर नियम 13(ए) 5 4 के तहत फैसला नहीं किया जा सकता है। लेकिन आवंटन आदेश 2017 में इन बिंदुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इन तथ्यों की जानकारी के बिना इस बात पर फैसला नहीं लिया जा सकता है कि क्या अपीलांट वास्तव में अन्यत्र भूमि

आवंटित करवाने का अधिकारी था? इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है होता है कि 2017 का आवंटन आदेश नियम संगत नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इंतकाल संख्या 191 को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त एलॉटमेंट आदेश 2017 की विस्तृत जांच करें। यदि वह आदेश विधि संगत है तो उसका नामांतरण दर्ज करें यदि उस आदेश में कोई विधिक त्रुटि है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 39 /21

1. कालूराम पुत्र श्री टिकूराम जाति जाट निवासी भुवाला तहसील लूनकरणसर हाल मेघाना तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर हाल चक 2 बी.वाई.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

......

..........वादी

बनाम

1. जय सिंह पुत्र श्री सिंधाराम जाति कुम्हार निवासी हमीरवास तहसील राजगढ जिला चुरू राज.।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188, 92(ए) आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वादी ने दावा अंतर्गत धारा 88,188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है की विवादित आराजी चक 2 बीवाईएम (बी) के मुरब्बा नंबर 105/40 के किला नंबर 1 से 23 की कुल 22.14 बीघा भूमि उसके द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 14.03.1995 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई थी। वादी उस इकरारनामा के आधार पर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर गौर किया गया। इसके साथ ही रेलीवेंट विधिक प्रावधानों पर भी गौर किया गया। अदालत का फैसला है कि यह वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है। अदालत के फैसले के पीछे निम्न आधार हैं। वादी द्वारा विवादित जमीन की खरीद अपंजीकृत इकरारनामा के जरिए की गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के मुताबिक ऐसा दस्तावेज जिससे किसी स्थावर संपत्ति में एक सौ रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार हक या हित पैदा होता हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसी एक्ट की धारा 49 के मुताबिक कोई भी दस्तावेज जिसका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है यदि उसका पंजीयन नहीं करवाया गया है तो–

1. वह दस्तावेज उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगा।
2. ऐसी संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले या ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी भी सव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर ग्रहण नहीं होगा।

इन विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अदालत का यह मत है कि गैर पंजीकृत इकरारनामा की बिनाह पर धारा 88 ,188, 92(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए यह दवा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इसी आधार पर इस वाद के साथ धारा 212 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

3. विजय कुमार पुत्र श्री रूपलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भटोली फकोरियान तहसील हरिपुर जिला कांगड़ा हाल आबाद चक 6 केवाईडी (ए) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....

वादी

बनाम

1 कासम अली पुत्र गोसुखां जाति मुसलमान निवासी 5 एम.सी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. उप—पंजीयक खाजूवाला।

5. स्टेट राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है विवादित आराजी चक 6 केवाईडी (ए) के मुरब्बा नंबर 196/12 की कुल 7.08 बीघा कमांड व मुरब्बा नंबर 196/20 की कुल 14.11 बीघा कमांड, इस तरह कुल 21.19 बीघा कमांड कृषि भूमि में से आधा हिस्सा (1/2) वादी के पिता रूपलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता का देहांत 2011 में हो चुका है और उक्त भूमि का विरासत नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 फर्जी दस्तावेज के आधार पर उक्त जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है और वादी को उस जमीन से बेदखल करना चाहता है। इसलिए प्रतिवादी को पाबंद किया जाए कि वह उक्त जमीन में दखलअंदाजी ना करें। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब ना दिए जाने के कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अदालत द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया। सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अदालत द्वारा फैसला किया जाता है कि तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित आराजी के संबंध में जांच करें। यदि रिकॉर्डर खातेदार रूपलाल पुत्र राजूराम की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वारिसान की जांच करते हुए विधि अनुसार विरासत नामांतरण की प्रक्रिया संपन्न करें। इस दौरान किसी भी तरीके से जमीन का हस्तांतरण ना हो।

इस आराजी के संबंध में प्रार्थना पत्र 29/19 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी किया गया स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– /

1. गजानन्द पुत्र बहादुर सिंह जाति ब्राहम्ण उम्र 55 वर्ष साकिन मुण्डा जिला हनुमानगढ हाल साधुवाली जिला श्रीगंगानगर। मो. 8219261027

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. एंव 151 सीपीसी

–: निर्णय :– दिनांक :–

वाद का ब्यौरा इस तरह से है की वादी गजानंद पुत्र बहादुर सिंह जाति ब्राह्मण साकिन मुंडा जिला हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को चक 25 बीएलडी मुरब्बा नंबर 176/13 की 25 बीघा अनकमांड जमीन बतौर विशेष आवंटन दिनांक 18.03.99 को आवंटित हुई थी। 2013 में वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए थे।

वादी का कहना है कि आवंटन आदेश में गलती से उसका नाम गजानंद सिंह दर्ज हो गया है जबकि उसका असल नाम गजानंद है। प्रार्थी द्वारा सबूत के तौर पर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं–

1. आवंटन हेतु आवेदन पत्र संख्या 5216 दिनांक 31.12.96।
2. सहायक आयुक्त उपनिवेशन उपनिवेशन छतरगढ़ का फैसला दिनांक 18.03.99।
3. 35 प्रतिशत राशि भरवाने का चालान दिनांक 18.03.99।

उक्त दस्तावेजों का अध्ययन किया गया इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी द्वारा गजानंद के तौर पर ही आवेदन किया गया था और 18.03.99 का सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ का आदेश भी गजानंद के नाम से ही जारी हुआ है। लेकिन इस निर्णय की अनुपालन में जारी की गई गैर खातेदारी सनद दिनांक 30.07.99 में वादी का नाम गजानंद सिंह दर्ज कर दिया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय [illegible] यह समाधान है कि विवादित आराजी से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का [illegible] गजानंद सिंह की जगह गजानंद दर्ज किया जाए। बाकी सभी [illegible]।

निर्णय आज दिनांक .... [illegible] खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

1. पृथ्वीराम पुत्र श्री रूपाराम जाति मेघवाल निवासी 26 केवाईडी तह. खाजूवाला।

.....

वादी

बनाम

1 मोहनलाल चराया पुत्र श्री बनवारीलाल जाति अरोड़ा निवासी 29 एल. ब्लॉक श्रीगंगानगर तह. व जिला श्रीगंगानगर।

2 नक्षत्र सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी 427 गुरूनानक बस्ती वार्ड न. 45 श्रीगंगानगर।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :—

वाद का ब्यौरा इस प्रकार से है कि विवादित जमीन चक 26 केवाईडी का मुरब्बा नंबर 59/44 की 25.00 बीघा भूमि वादी के नाम दर्ज है। इसी के साथ लगता हुआ मुरब्बा नंबर 59/53 प्रतिवादी के नाम दर्ज है। वादी ने वाद पेश किया है कि प्रतिवादी गण उसकी जमीन के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में से जबरदस्ती सिंचाई खाला बनाना चाहते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादी गण को पाबंद किया जाए कि वह वादी की खातेदारी भूमि में कोई दखलअंदाजी ना करें।

प्रतिवादी गण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया इसलिए उनका जवाब बंद किया जाकर पत्रावली का अध्ययन किया गया। 11 नवंबर 2013 का एक गैर पंजीकृत ईकरारनामा शामिल मिसल है जिसमें वादी द्वारा मुरब्बा नंबर 59/44 के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में एक—एक बिसवा भूमि सिंचाई खाले के लिए प्रतिवादी मदनलाल के पक्ष में छोड़ी गई है। हालांकि वाद में वादी ने कहा है कि यह करारनामा उसे गुमराह करके लिखवाया गया था।

अदालत का मानना है उक्त इकरारनामा एक गैर पंजीकृत दस्तावेज है। इसे कानूनी साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत द्वारा यह फैसला किया जाता है की प्रतिवादी गण वादी के नाम दर्ज भूमि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी ना करें। वादी को भी पाबंद किया जाता है कि यदि मुरब्बा नंबर 59/44 में कोई रास्ता या खाला मौके पर मौजूद है, [illegible] रिकॉर्ड [illegible] नहीं, वादी उस रास्ते/ खाले में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

इसी के साथ मुरब्बा नंबर 59/44 [illegible] प्रकरण संख्या 53/15 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 16.07.15 को [illegible] किया गया स्थगन आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

कौशल्या देवी पुत्री युद्ववीर सिंह पत्नि जयचन्द जाति राजपूत निवासी नंदपुर भटोली हाल आबाद
गांव टिका तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

.....वादी

बनाम

1. शेर सिंह पुत्र श्री युद्ववीर सिंह जाति राजपूत निवासी नंदपुर भटोली हाल तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
2. शकुन्तला पुत्री श्री युद्ववीर सिंह पत्नि रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी नजदीक सिमरन हॉस्पीटल चयाना चुंगी मकान न. 804 गली न. 6 अमृतसर मोहल्ला पंजाब
3. दामोदरी देवी पुत्री श्री युद्ववीर सिंह पत्नि अमरसिंह जाति राजपूत निवासी नोसेरा तहसील देहरा जिला कांगड़ा।
4. जयदेवी पुत्री श्री युद्ववीर सिंह पत्नि ईन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी स्पैल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा।
5. पुष्पा देवी बेवा
6. दिक्षा देवी पुत्री
7. राहुल पुत्र
8. करण पुत्र

(5 से 8) स्व. श्री गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी नंदपुर तह. देहरा जिला कांगड़ा हि.प्र.

9. वेदप्रकाश पुत्र श्री रामनिवास जाति बिश्नोई निवासी 25 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 एलआर एक्ट

—: निर्णय बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 :— दिनांक—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि विवादित आराजी चक 23 केवाईडी (बी) का मुरब्बा नंबर 79/43 की 25.00 बीघा कमांड भूमि, वादिया और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता और 5 से 8 के दादा युद्ववीर सिंह के नाम पोंग बांध विस्थापित के तौर पर आवंटित हुई थी। वादिया का आक्षेप है युद्ववीर सिंह की 6 संताने थी —2 पुत्र (1 पुत्र लाऔलाद मृत) और 4 पुत्रियां। लेकिन 1993 में युद्ववीर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शेर सिंह और गोरधन सिंह ने फर्जी वारिस नामा तैयार कर उक्त जमीन का इंतकाल दोनों भाइयों और माता के नाम करवा लिया और बहनों को उनके हिस्से से वंचित कर दिया। सन 2006 में माता की मृत्यु होने के पश्चात उक्त जमीन दोनों भाइयों गोरधन सिंह और शेर सिंह के नाम दर्ज हो गई। उस समय भी दोनों भाइयों ने माता का फर्जी वारिस नामा तैयार कर बहनों को उनके हिस्से से वंचित कर दिया।

उसके बाद गोरधन सिंह ने अपने हिस्से की [illegible] को प्रतिवादी संख्या 9 वेद प्रकाश पुत्र रामनिवास को बेच दिया। इसलिए वादिया ने दावा [illegible] कर [illegible]र्ज किया है युद्ववीर सिंह के कुल 6 वारिश है (पत्नी और 1 पुत्र लाऔलाद मृत्यु) उक्त जमीन [illegible] दोनों भाइयों और चार बहनों का बराबर का हिस्सा है। इसलिए प्रत्येक वारिस को 1/6 हिस्से [illegible] खातेदार घोषित किया जाए और दूसरा प्रतिवादी संख्या 9 के पक्ष में तस्दीक किया गया बेनामा विधि विरुद्ध है इसलिए उसे वादियां एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के हकों की हद तक शून्य घो[illegible] किया जाए कर दिया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए उनका जवाब बंद कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 9 की तरफ से जवाब दिया गया और साथ में ही ऑर्डर 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसका सार इस तरह से है कि वादीया द्वारा इंतकाल संख्या 146 और 147 जो 2006 में तस्दीक किया गया था, के खिलाफ 2015 में एक अपील पेश की थी जो इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। इंतकाल संख्या 146 के जरिए युद्धवीर सिंह की पत्नी के नाम दर्ज जमीन पत्नी की मृत्यु के बाद उसके दोनों बेटों शेर सिंह और गोरधन सिंह के नाम दर्ज हुई थी। इंतकाल संख्या 147 के द्वारा गोरधन सिंह द्वारा बेचान की गई जमीन वेद प्रकाश के नाम दर्ज हुई थी। वर्तमान वाद भी उसी जमीन से संबंधित है और उन्हीं समान बिंदुओं पर आधारित है जो अपील में उठाए गए थे चूंकि अपील खारिज हो चुकी है इसलिए वाद के जरिए दोबारा उसी बिंदु को नहीं उठाया जा सकता। इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए।

वादीया के द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त अपील मियाद बाहर होने की वजह से खारिज हुई थी। इसलिए उस अपील का खारिज होना वादिया द्वारा घोषणा आत्मक वाद प्रस्तुत किए जाने को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अदालत का मानना है कि ईंतकाल संख्या 146 और 147 के खिलाफ प्रस्तुत की गई अपील मेरिट पर फैसल नहीं हुई थी। इसलिए उस अपील में दिया गया फैसला इस घोषणात्मक दावे के सिलसिले में res judicata के तौर पर लागू नहीं होता। इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :– /

राजेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति नाई निवासी चक 19 बीडी तहसील खाजूवाला जिलाबीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद } पुत्रगण सीताराम जाति नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।
2. रमेश चन्द्र }
3. ललिता देवी पत्नि गोपालराम पुत्र सीताराम नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।
4. संतोष देवी पत्नि मुरलीधर पुत्र सीताराम नाई निवासी धोबीधोरा, सूरसागर के पास बीकानेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 19 बीडी के मुरब्बा नंबर 94/30 के किला नंबर 1 से 25 में 24 बीघा भूमि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की माता रानी देवी पत्नी सीताराम के नाम दर्ज थी। वादी का कहना है की रानी देवी ने दिनांक 20.02.2004 को उक्त भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में करवा दी थी। रानी देवी की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण संख्या 156 दिनांक 31.08. 2005 को दर्ज किया गया। जिसके तहत विवादित आराजी वादी के नाम दर्ज कर दी गई। इसी दौरान प्रतिवादी नंबर 1 से 4 ने उक्त विवादित आराजी का विरासतन इंतकाल नामांतरण संख्या 154 दिनांक 06.08. 2005 को दर्ज करवा लिया।

वादी ने इस आशय का अनुतोष चाहा है कि इंतकाल संख्या 154 को निरस्त किया जाकर इंतकाल संख्या 156 को विधि सम्मत घोषित किया जाए। प्रतिवादी गण ने जवाब पेश किया है की इंतकाल संख्या 154 इंतकाल संख्या 156 से पहले दर्ज किया गया है। इसलिए इंतकाल संख्या 154 के कायम होते हुए इंतकाल संख्या 156 कानूनी तौर पर दर्ज ही नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी गण द्वारा उक्त इंतकाल को निरस्त करवाने बाबत इसी न्यायालय में अपील 16/2005 पेश की गई थी। उस अपील का निर्णय दिनांक 15.06. 2006 को हो चुका है व न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 156 को निरस्त किया जा चुका है। इसलिए वादी इस न्यायालय के समक्ष इंतकाल संख्या 156 को पुष्ट करने का वाद दायर नहीं कर सकता क्योंकि इस बिंदु पर अपील संख्या 16/2005 में फैसला हो चुका है।

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया और निर्णय अपील संख्या 16/2005 का भी अध्ययन किया गया। वर्तमान वाद और अपील संख्या 16/2005 में मुख्य बिंदु एक ही है। मुख्य बिंदु यह है कि इंतकाल संख्या 156 और इंतकाल संख्या 154 में से किसे वैध माना जाए। क्योंकि अपील संख्या 16/2005 में इस मुद्दे पर फैसला हो चुका है जिसमें इंतकाल संख्या 156 को निरस्त किया गया है और अपील संख्या 16/2005 के निर्णय के खिलाफ वर्तमान में माननीय राजस्व मंडल में कार्यवाही [illegible] है। इस[illegible]मान वाद सस्टेनेबल नहीं हैं। इसलिए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– /

पार्टी न. 1

1. श्रीमती भंवरी देवी पुत्री श्री डुंगरराम पति श्री जेठाराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी डाबड़ी हाल करनाणियां की ढाणी भीकमकोर पुलिस थाना औसिंया जोधपुर राज.।
2. श्रीमती रेलकी देवी पुत्री श्री भागराम उर्फ भागसिंह पति श्री दुदाराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष

निवासी डाबड़ी हाल करनाणियां की ढाणी भीकमकोर पुलिस थाना औसिंया जोधपुर राज.।

बनाम

पार्टी न. 2

1. श्री नानकराम पुत्र श्री भागराम उर्फ भागराम उर्फ भागसिंह पति श्री दुदाराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी डाबड़ी हाल करनाणियां की ढाणी भीकमकोर पुलिस थाना औसिंया जोधपुर राज.

अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी

–: निर्णय :– दिनांक–

प्रकरण का ब्यौरा इस प्रकार है कि थाना अधिकारी पुलिस थाना दंतोर की तरफ से एक इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी इस बाबत प्रस्तुत किया गया था कि चक 16 वीएलडी (बी) के मुरब्बा नंबर 71/16 की 23 बीघा कमांड भूमि को लेकर पार्टी नंबर 1 श्रीमती भंवरी देवी और रेलकी देवी और पार्टी संख्या 2 नानकराम पुत्र श्री भागराम के बीच विवाद है। इस विवाद की वजह से दोनों पक्षों के बीच में कभी भी खून खराबा हो सकता है। इसलिए विवाद ग्रस्त भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया जाए।

अदालत द्वारा इस इस्तगासा के तथ्यों पर गौर किया गया .दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया। प्रथम पक्ष इस आधार पर इस जमीन पर हक जता रहा है कि उक्त जमीन जमाबंदी में उनके नाम दर्ज है। द्वितीय पक्ष 1996 में लिखे गए इकरारनामा के आधार पर जो कि प्रथम पक्ष के पिता द्वारा नानकराम के पक्ष में लिखा गया है इस जमीन पर कब्जा जता रहा है।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में जमीन पर द्वितीय पक्ष नानकराम का कब्जा है. प्रथम पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि नानकराम द्वारा प्रथम पक्ष को गैरकानूनी तरीके से बेदखल कर उक्त जमीन पर कब्जा किया गया है. इसलिए अदालत का मानना है कि इस प्रकरण में विवादित आराजी को कुर्क किए जाने का कोई आधार नहीं है।

इसलिए अदालत द्वारा धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष भंवरी [illegible] देवी उक्त विवादित आराजी के संबंध में द्वितीय पक्ष नानकराम के कब्जा काश्ड में को[illegible]खल[illegible]ी नहीं करेंगे. यदि प्रथम पक्ष का मानना है नानकराम ने इस जमीन पर गैरकानूनी तरीके [illegible] कब्जा किया हुआ है तो वह सक्षम न्यायालय में बेदखली के लिए वाद दायर कर सकते हैं।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :— /

तरसेम सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति मजहबी निवासी 14 डीओएल (ए) तहसील घड़साना जिला

श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 3 एसएसएम प्रथम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक 23 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 बीजीएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप–पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) राजस्व खाजूवाला।

....

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए,88,89,188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक—

वाद का ब्यौरा इस तरह से है कि वादी तरसेम सिंह का कहना है कि उसने विवादित आराजी चक 3 एसएसएम प्रथम के मुरब्बा नंबर 197/06 के किला नंबर 1 ता 22 की कुल 5.4 हेक्टेयर भूमि को खरीदने बाबत 17 जनवरी 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 गुरदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह के साथ मौखिक इकरार किया था और इकरार के आधार पर 12 लाख रुपए उसी दिन गुरदीप सिंह को दे दिए थे और जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया था। मसौदे के मुताबिक 18 मार्च 2021 को जमीन का बैयनामा पंजीयन करवाया जाना तय हुआ था। वादी ने उक्त भूमि के संबंध में स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी कर दिया था लेकिन दिनांक 18 मार्च 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 सौदे से मुकर गया और इसके बाद उसने जमीन का बेचान आगे प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम के पक्ष में कर दिया। इसलिए वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है उक्त भूमि पर वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें और करार के आधार पर उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज की जाए।

अदालत द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि वादी के पक्ष में कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर स्थगन आदेश जारी किया जा सके या जमीन वादी के नाम दर्ज कर दी जाए। वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि 17 जनवरी 2021 को दोनों पक्षों के बीच कोई इकरार हुआ था और वादी ने 12 लाख रुपए देकर उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से प्राप्त किया था। अगर यह मान भी लिया जाए कि गुरदीप सिंह मौखिक इकरारनामा के बाद जमीन का बेचान करने से मुकर गया है तो भी संभावित खरीददार के पक्ष में उक्त जमीन के संबंध में कोई अधिकार सृजित नहीं होते। बैयनामा लिखे जाने मात्र से भी संभावित [illegible]दार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते। जहां तक संभावित खरीददार द्वारा स्टांप [illegible] जमा करवाए जाने का प्रश्न है तो स्टांप ड्यूटी रिफंड हो सकती है इसलिए यह ऐसा मामला नहीं [illegible] जिसमें प्राथी को अपूर्णीय क्षति हो रही हो। इसलिए अदालत का फैसला है कि [illegible] नहीं है और इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वाद के साथ धारा 212 [illegible] नियम के तहत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—103/15

वादी की तरफ से वाद विड्रॉ करने लिए प्रा0पत्र पेश किया गया। वादी का कहना है कि उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष 251ए आरटीए 1955 के तहत प्राप्त हो सकता है। इसलिए वह वर्तमान वाद जो कि धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पेश किया गया है। विड्रॉ करना चाहता है। अकॉर्डिंगली विड्रॉ इज अलाउड एंड प्रमीशन इज ग्रांटेड टू फाइल केस अंडर अप्रोप्रीयेट लॉ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:44:58 IST
Reason: SelfAttested